राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ३३वां दिवस [संख्या १६

शुक्रवार, १४ मार्च १६५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

संस्कृत समिति की रिपोर्ट

५७०. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को संस्कृत समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा समिति की सिफारिशों को लागू करने में कितना समय लगेगा ?

(२) क्या सरकार राजस्थान विश्व विद्यालय को फेकल्टी ऑफ ओरियन्टल स्टडीज़ के लिये सहायता दे रही है ? यदि हां, तो कितनी और नहीं तो क्यों ?

(३) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय संस्कृत की परीक्षायें लेने लगा है ? यदि नहीं, तो ये परीक्षायें कौन लेता है ?

(४) संस्कृत विद्यालयों में कौन सा पाठ्यक्रम चलता है ? उसे किसने निर्धारित किया है ?

(५) सरकार संस्कृत की शिक्षा को बढ़ाने लिये और क्या क्या व्यवस्था कर रही है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां। समिति की सिफारिशों को मान लिया गया है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन सिफारिशों को लागू करने में कितना समय लगेगा।

(२) इसके लिये राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्र व्यवहार जारी है।

(३) जी नहीं। विभागीय रजिस्ट्रार ही उन परीक्षाओं को अभी लेता है।

(४) संस्कृत विद्यालयों में दो प्रकार के कोर्स चलते हैं एक विभागीय तथा दूसरा विश्वविद्यालीय सरकार तथा विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है।

(५) प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री तथा आचार्य परीक्षाओं को क्रमशः मैट्रिक, इन्टर, बी. ए. व एम. ए. के बराबर मान्यता दी जा चुकी है।

(ख) अध्यापकीय पदों के अतिरिक्त संस्कृत परीक्षा पास प्रशिक्षार्थियों को मिनिस्ट्रीयल स्टाफ में भी लिये जाने की योजना है।

Page No.2

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ग) संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिये प्रथम संचालक नियुक्त किया जा रहा है। स्टाफ की कमी को पूर्ण करने के लिये भी विशेष समिति का निर्माण हो चुका है।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार को यह समिति नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों मालूम पड़ी ? क्या समिति बिना काम नहीं चल सकता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौन सी समिति ? दो समितियां हैं, एक स्टाफ के लिये और दूसरी संस्कृत के लिये ?

डॉ० चन्द्रकला : संस्कृत समिति से मतलब है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसलिये कि हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या समिति स्थापित किये बिना बढ़ावा नहीं दे सकते थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें विद्वान् पुरुषों को रखा और उनकी राय ली गई, यह सोच कर कि ज्यादा विद्वान् लोगों की राय अच्छी होगी।

डॉ० चन्द्रकला : समिति ने अपनी रिपोर्ट कितने दिन में दी ? क्या वह समिति बाहर भी गई और उस पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : खर्चे का प्रश्न अलग है। समिति ने एक क्वेश्चनेअर निकाली और उस पर लोगों की राय ली और फिर रिपोर्ट पेश की।

डॉ० चन्द्रकला : कितने दिन में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, यह भी मैंने पूछा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मैं निश्चित नहीं कह सकता।

डॉ. चन्द्रकला : राजस्थान विश्व-विद्यालय से ओरिएन्टल फेकल्टी के लिए सहायता देने के विषय में पत्र-व्यवहार समिति कर रही है, उसके विषय में क्या सम्भावना मालूम पड़ती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह हो जायगा। हम रुपया लेना चाहते हैं और उनसे यह प्रार्थना की गई है कि अपना एक विभाग खोल दें।

डॉ. चन्द्रकला : युनिवर्सिटी द्वारा जो पाठ्य-क्रम बनाया है वह लागू क्यों नहीं किया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : युनिवर्सिटी के पाठ्य-क्रम के अनुसार ही परीक्षा होती है, यह उत्तर में कहा गया है।

डॉ. चन्द्रकला : यह परीक्षा युनिवर्सिटी नहीं लेती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : युनिर्विसटी में यह फेक्लटी नहीं है, इसलिए नहीं लेती है, लेकिन यह प्रार्थना की है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

जन-सम्पर्क डाइरेक्टोरेट

५७१. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Public Relations Department be pleased to state:-

Is it correct that the Director of Public Relations has informed the State Government that the integration of services of staff in his department has been completed

Page No.3

(श्री पी. के. चौधरी)

while quite a number of staff working against gazetted posts under the Directorate have not yet been integrated ?

मंत्री जन सम्पर्क विभाग (श्री रामकिशोर व्यास) : No, it is not correct. The Director of Public Relations did never inform the Government that the integration of services of staff in the Department was completed. Provisional appointments of some of the persons have, however, been made now on the available posts of the Directorate. The question of providing the remaining persons suitably and finalising the residual work of integration is under active consideration of the Government.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the inter-seniority of this staff is not yet ready ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes.

श्री अध्यक्ष : Rao Raja Shri Sardar Singh.

पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था

५७२. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में डिवीजन वाइज़ ऐसे कौन कौन सी बीड़ें हैं जहां दुर्भिक्ष के लिए घास इक्ट्ठा करके सरकार जानवरों के लिए सुरक्षित रखती है ?

(ख) क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कोई स्थान है ? अगर हां, तो किस किस तहसील और ग्राम में ?

(ग) अगर नहीं, तो इस डिस्ट्रिक्ट में दुर्भिक्ष से मवेशियों को बचाने के लिये सरकार के पास क्या साधन हैं ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) दुर्भिक्ष के लिए जिन बीड़ों से घास इकट्ठा कराया जाता है वे निम्न प्रकार हैं :

फोरेस्ट डिवीजन	बीड़
जोधपुर	गुडा ऐंदला
	बिंजोबा
	काल
	मुडांवा
सिरोही	बाडा खेडा
	पालडी
	पिंडवाड़ा
अजमेर	अरबड़ ब्लॉक
चितौड़गढ़	भाड़ौती
जयपुर	लुनेरा
	शिवडूंगरी
टोंक	फूलिया खुर्द
	कनेछन खुर्द
	सरवाड़
भरतपुर	माढेरा
कोटा	डूंगरकला
बारां	चट्टी घट्टा
	ब्लॉक कवाई

दुर्भिक्ष के समय परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए बीड़ और जंगल चराई के लिए खोले जाते हैं ।

(ख) ऐसा कोई बीड़ नहीं ।

[भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया]

Page No.4

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या टोंक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई बीड़ नहीं हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे राजस्थान में बीड़ नहीं है। अगर ऐसे स्थानों में अकाल पड़ता है तो दूसरे स्थानों से वहां घास भेजी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह कौन सी जगह है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

एक माननीय सदस्य : रावराजा साहब ने कोई स्थान रखा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

पंचवर्षीय योजना

५७३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस किस जिले में कितना कितना रुपया खर्च किया जा चुका है?

(ख) द्वितीय पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितना रुपया जिला वाइज़ खर्च करना है?

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो रुपया सरकार ने खर्च किया है उससे प्रत्येक जिले के व्यक्तियों के जीवन स्तर पर सरकार की आमदनी पर क्या असर पड़ा?

(घ) टोंक डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पंच वर्षीय योजना में क्या क्या खर्च किया और द्वितीय योजना में क्या खर्च करने का विचार है?

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) चूंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना की धन-राशि का जिलेवार बटवारा नहीं किया गया था, यह बताया जाना कि उक्त योजना में किस किस जिले में कितना कितना खर्च किया गया, सम्भव नहीं है।

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना पर व्यय होने वाली रकम का बंटवारा जिले वाइज़ न करके सैक्टर वाइज किया गया है। विभागीय मुख्य अधिकारी अपने संबंधित विभाग के विकास हेतु प्रति वर्ष के लिये भिन्न भिन्न योजनायें बनाते हैं।

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा ५,४१४.४३ लाख रुपया व्यय किया गया है। जिलेवार आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण जिले के व्यक्तियों के जीवन स्तर पर और सरकार की आमदनी पर होने वाले प्रभाव का बताया जाना कठिन है।

(घ) जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब ५,४१४.४३ लाख रुपया खर्च किया गया है और जैसा मुख्य मन्त्रीजी ने बताया कि जिलेवार आंकड़े नहीं बताये जा सकते हैं, फिर जहां अनएम्प्लॉयमेंट है क्या वहां के जीवन स्तर पर कोई असर नहीं पड़ता है; क्या वहां पर बेरोजगारी नहीं होगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि आंकड़े न होने का मतलब यह नहीं निकलता जो आपने फर्माया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप जानते हैं कि टोंक डिस्ट्रिक्ट में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां के लिए कुछ उपाय करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीतनसिंह।

पुलिस स्टेशन, सिणदरी

५७४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री तनसिंह)

(१) क्या यह सही है कि सिणदरी थाने के मुन्शी श्री समेलाराम के खिलाफ कोई चोरी का आरोप था ?

(२) क्या यह सही है कि उसके मकान से उक्त चोरी का माल भी बरामद किया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि उसके साथ सरकारी दरियां और ऊंटों की काठियां भी बरामद हुई ?

(४) क्या वह मोअत्तिल कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) श्री समेलाराम के खिलाफ चोरी का नहीं बल्कि चोरी का माल रखने का आरोप था।

(२) जी हां।

(३) केवल दरियां बरामद हुई।

(४) श्री समेलाराम को तारीख ५-४-५७ से मोअत्तिल कर दिया गया है।

श्री तनसिंह : यह बरामदगी कौनसी तारीख को हुई ? सन् बता दीजिये ?

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : १९५७ का ही है। अप्रैल, १९५७ को सस्पेन्ड किया है, उसी वक्त की है।

श्री तनसिंह : यह तो मेरे ख्याल से आप अन्दाज से बता रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो डेफीनेट बता रहा हूं कि वह अप्रैल, १९५७ में सस्पेन्ड हुआ है।

श्री अध्यक्ष : रिकवरी कब हुई है, उससे मालूम हो जायगा।

श्री तनसिंह : अप्रैल, १९५७ को सस्पेन्ड हुआ है, रिकवरी तो बहुत पहले हो गई।

श्री अध्यक्ष : इन्फोर्मेशन हो तो बता दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं देख रहा हूं।

(विराम)

मेरे ख्याल से शायद मार्च में है।

श्री अध्यक्ष : केस कब रजिस्टर हुआ है, उससे शायद पता चल जाये।

श्री रामकिशोर व्यास : एग्ज़ेक्ट डेट मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष ; नेक्स्ट।

श्री तनसिंह : क्या यह बता सकते हैं कि यह जो बरामदगी हुई, वह इसी सिलसिले में हुई या किसी दूसरे केस के सिलसिले में जब तलाशी ली गई उस समय बरामदगी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक बर्गलरी की शिकायत थी।

श्री तनसिंह : क्या बर्गलरी दरी की थी या और किसी सिलसिले में थी, किसके सम्बन्ध में तलाशी लेते समय बरामदगी हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : और माल की थी, जहां तक मेरा ख्याल है।

श्री तनसिंह : इन्फोर्मेशन आपके पास नहीं है, यह मानें ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस वक्त तो यही मानें।

Page No.6

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का उत्तर दिया जाय !

लेक्चरार्स एवं अध्यापकों का स्थानान्तरण

565 **डॉ० चन्द्रकला** (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में) :Will the Education Minister be pleased to state:-

(i) How many transfers of Lecturers and Teachers were made during the period July 1956 to April, 1957 ?

(ii) How many of them were transferred again for the second time during the same session and for what reasons ?

(iii) How many of them were transferred again for the third time during the same session and for what reasons ?

(iv) Does the Government feel that such frequent transfers hinder the smooth working in the Institutions and also cause inefficiency in the Department ? If so, dose the Government propose to put ean nd to such transfers ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) जुलाई, १९५६ से अप्रैल, १९५७ तक लेक्चरार्स के ८६ कॉलेजों में तबादले किये गये हैं । अध्यापकों के तबादले की पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है, सूचना आने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(२) ६ लेक्चरार्स के तबादले दूसरी बार किये गये, जिनके कारण निम्नलिखित हैं :

(अ) शासकीय कारणों से,

(आ) प्रमोशन के कारण से,

(इ) पी. ए. सी. के चुने हुए व्यक्तियों के आने से,

(ई) पोस्ट के अपग्रेड होने से,

(उ) रिवर्शन के कारण और

(ऊ) प्रार्थना-पत्र पर ।

(३) केवल एक का तीसरी बार तबादला किया गया, दूसरे व्यक्ति के मेडीकल ग्राउन्ड पर अवकाश पर जाने के कारण हुआ ।

(४) जी हां । पर वह आवश्यक होते हैं और (अ) इसके लिए पी. ए. सी. से प्रार्थना की गई है कि सेशन के प्रारम्भ में चुने हुए व्यक्तियों को भेजे । (ब) अगर कोई व्यक्ति पी ए. सी. द्वारा किसी अन्य ग्रेड में चुन लिया गया हो तो उसका सेशन के बीच में तबादला न किया जाय ।

(स) पी. ए. सी. से यह भी प्रार्थना की गई है कि व्यक्तियों को चुन कर एक लिस्ट बना दें ताकि आवश्यकतानुसार नये व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाय और टेम्पोरेरी नियुक्ति बन्द हो जाय ।

डॉ. चन्द्रकला : क्या महिला लेक्चरार और टीचर के तबादले का भी यही आधार है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां ।

डॉ. चन्द्रकला : क्या सरकार यह अनुभव नहीं करती है कि अगर महिला का तबा-

(डॉ० चन्द्रकला)

दला कर दिया गया, जिसके माता-पिता या संरक्षक नहीं हैं, क्या उसे असुविधा नहीं हो सकती है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : असुविधा भी हो सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : इस असुविधा को सुविधा में बदलने के लिए क्या सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जहां तक हो ध्यान रखते हैं कि असुविधा न हो। अगर आवश्यक होता है तो ट्रान्सफर करना पड़ता है, उसका हमारे पास इलाज नहीं है।

प्रश्न संख्या ५७६

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

बस सर्विस

५७७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार लालसोट से जयपुर को प्रात: ६ बजे तथा जयपुर से लालसोट को सायं ६ बजे रवाना होने वाली बसों को नियमित रूपेण रवाना होने का आदेश जारी करेगी ?

(ख) क्या इस बस के समय पर चालू होने से दौसा व जयपुर की कचहरियों में आने वाले फरीकेन को सुविधा नहीं होगी ?

(ग) क्या आर. टी. ओ. के पास इस सम्बन्ध की कोई दर्ख्वास्तें दी गई हैं ? यदि हां, तो उनपर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री सम्पतराम : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उपरोक्त उप मंत्री द्वारा अन्य प्रश्न का उत्तर देने पर)

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ५७६ पूछा नहीं है, यह प्रश्न मेरा है।

(क) मामला आर. टी. ए. के विचाराधीन है।

(ख) इस असुविधा को दूर किये जाने की कोशिश की जा रही है।

(ग) जनता द्वारा दो प्रार्थना-पत्र आये हैं, एक मार्च, १९५७ को दूसरा दिसम्बर, १९५७ में। प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : कब तक विचाराधीन रहेंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आर. टी. ए. की मीटिंग महीने में होती है, जब इन प्रार्थना-पत्रों की बारी आयेगी, तब विचार होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

विकास खंड

५७८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या योजना व विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बसी विकास खंड द्वारा अब तक काशीपुरा गांव के किस-किस नागरिक को कितनी-कितनी रकम किस-किस काम के लिये दी गई ?

(२) उक्त कामों के लिये जनता द्वारा कितनी-कितनी रकम लगादी गई है ?

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(३) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप योजना व विकास मंत्री (श्री संपतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) ये कार्य अभी चालू हैं और इनके पूर्ण होने पर उनकी लागत का मूल्यांकन किया जायगा; तभी यह मालूम हो सकेगा कि जनता द्वारा कितने मूल्य का कार्य किया गया !

(३) विकास खंड द्वारा दी गई रकम से होने वाले कार्यों की बाबत कोई शिकायत नहीं आई है । अलबत्ता लोकल डेवलपमेंट वर्क्स के लिए जो रु० ८०० की रकम दी गई थी उस सम्बन्ध में शिकायत आई थी जिसकी जांच पुलिस द्वारा की गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

बांध निर्माण

५७६. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काटली बांध की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक इसका कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा तथा अब तक सर्वे कराने में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) जी हां ।

(ख) उपयुक्त स्थान के लिये अन्वेषण जारी है । अगर कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिला तो योजना कार्यान्वित नहीं की जा सकेगी । अब तक सर्वे कराने में सरकार का लगभग १,७७,८५३ रुपया खर्च हो चुका है ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : क्या १७५ हजार रुपया खर्च करने पर भी इस नदी पर उपयुक्त स्थान नहीं मिला जिस पर बांध बांधा जा सके ?

श्री भीखाभाई : बिल्कुल नहीं, अभी तक चट्टान नहीं मिली है जिस पर बांध की पाल बांधी जा सके; और भी कठिनाइयां हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : फिर यह रुपया किस पर खर्च हुआ ?

श्री भीखाभाई : सर्वे में खर्च किया गया ।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : क्या सरकार के ध्यान में है कि यह ऐसा बांध हो सकता है जिससे शेखावाटी और तोरावाटी में अनाज की पैदावार बहुत बढ़ सकती है ?

श्री भीखाभाई : हां, भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया जिससे इसकी सर्वे कराई गई और राजस्थान सरकार ने भी इस काम को जारी रखा ।

एक माननीय सदस्य : वह नदी कितनी बड़ी है जिस पर बांध बांधे जाने की योजना है ?

श्री भीखाभाई : नदी का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

Page No.9

सड़क निर्माण

५८०. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला जयपुर में चौमू से सामोद तक जाने वाली ६ माइल लम्बी सड़क काफी खराब हो चुकी है तथा इसमें गहरे खड्डे हो गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सड़क की हालत सन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) संभवतः अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक टेन्डर्स स्वीकृत हो चुके हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह ठिकाने की सड़क है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पुराने जमाने में ठिकाने की सड़क थी, ५६–५७ में अपन ने ले ली है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह सड़क कितने अर्से से बेकार पड़ी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अरे भाई बेकार नहीं पड़ी है, सड़क पर रोज गाड़ियां चलती हैं, ५६–५७ में इस पर १३००–१४०० रुपया खर्च किया, ५७–५८ में और रुपया खर्च किया, फिर भी यह टूटी हुई है, हालत संतोषजनक नहीं है जो कि ठीक कराई जायगी, टेन्डर्स भी इन्वाइट कर लिये हैं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह इस तरह टूटी-फूटी दशा में क्यों है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा न कि इसे ठीक कराने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पदोन्मुक्त वृद्ध कर्मचारियों का पुनः राजकीय सेवाओं में लिया जाना

५८१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१ अप्रेल सन् १९५७ के बाद जिन जिन सरकारी कर्मचारियों की सरकारी सेवायें आयु की अवधि के समाप्ति के कारण खत्म हो चुकी थीं उनमें से किन किन लोगों को किन किन पोस्टों पर कितनी अवधि के लिये फिर से क्यों लगाया गया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : ऐसे कर्मचारियों की सूची, जिनकी उनकी सेवाएं १ अप्रेल, सन् १९५७ के बाद आयु की अवधि की समाप्ति के कारण सेवा-मुक्त करने के बाद पुनः नियुक्त किया गया है, सदन की मेज पर रख दी गई है । इसमें पद तथा अवधि प्रत्येक कर्मचारी के नाम के सामने अंकित है । विशेष परिस्थितियों में तथा प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों के अभाव में ये नियुक्तियां जनहित में की गई हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके यहां टीचर्स के लिये, डिप्टी डाइरेक्टर के लिये, जोइन्ट डाइरेक्टर के पदों के लिये दूसरे व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते ये इसलिये उनको इन नौकरियों पर वापिस रखा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टीचर्स नहीं रखे हैं, लेक्चरार्स हैं, इंग्लिश के और साइन्स के लेक्चरार्स का अभाव है, मिलते नहीं हैं इसलिये उनको रखा गया है। जोइन्ट डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर को एक्सपीरियेन्स की वजह से रखा है और हम अनुभव करते हैं कि इन पदों पर दूसरों को प्रोमोट न कर के कुछ अर्से के लिए इनको ही जारी रखा जाय।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका ध्यान लिस्ट के नं० २० की ओर दिलाना चाहता हूं, इन टीचर्स को रखा है, इस बेकारी के वक्त में, जिनका समय समाप्त हो चुका है, उनको रखना कहां तक उचित है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया न कि मुझे अभी उनकी क्वालिफिकेशन्स मालूम नहीं हैं पर साइन्स के लिये आज भी जितने टीचर्स चाहिये, नहीं मिल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मूलसिंह नं० २१ को किस आधार पर रखा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें लिखा है विलेज वाटर सप्लाई के लिये, तो एक एक जगह की इतनी तफसील के बारे में जवाब दूं यह तो संभव नहीं या तो वे टेक्निकल हैंड होंगे या इज़ीली रिप्लेस नहीं किये जा सकते होंगे। इस पर भी विशेष जानकारी चाहें तो, इसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर के जवाब दे सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : भविष्य के बारे में सरकार की इस सम्बन्ध में क्या यही नीति रहेगी कि, जिनका समय समाप्त हो गया है उनको रखा जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं, हम इस नीति को नहीं रखना चाहते, दिन ब दिन कम कर रहे हैं, जहां उपयुक्त आदमी मिल जाय वहां रिटायर्ड को नहीं रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बिजली घर, बयाना

५८२. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना) : क्या विद्युत् मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार की बयाना, जिला भरतपुर में बिजलीघर स्थापित करने की कोई योजना थी ? यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप विद्युत् मंत्री (श्री भीखाभाई) : बयाना के विद्युति करण के खर्चे के आंकड़े सन् १९५१ में तत्कालीन निर्माण मंत्री जी की आज्ञानुसार तैयार किये गये थे। उस समय धनाभाव के कारण यह कार्य नहीं हो सका।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या अब भी कोई योजना बिजलीघर बनाने की है ?

श्री भीखाभाई : योजना नहीं है पर इसके लिये सर्वे कराया जायगा।

श्री गोवर्धनसिंह केन : कब तक कराया जायगा ?

श्री भीखाभाई : इसका डिवीजन स्थापित हो गया है; स्टाफ का इन्तजाम होते ही कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

गोवर्धन कन्या पाठशाला, नाथद्वारा

५८३. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे :—

Page No.11

(श्री मनोहर कोठारी)

(क) श्री गोवर्धन कन्या पाठशाला, नाथ द्वारा में कुल कितनी कक्षाएं हैं और उनमें कितने कितने सेक्शन्स हैं ?

(ख) उक्त स्कूल भवन में कितनी कक्षाओं के बैठने की व्यवस्था है और शेष के लिए क्या प्रबन्ध है ?

(ग) क्या राज्य सरकार उक्त स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

(ङ) क्या सरकार वर्तमान इमारत को एक्सटेन्ड करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये जा चुके हैं ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) (क) कक्षा १ में ३ सेक्शन्स। कक्षा २ में दो सेक्शन्स। कक्षा ३ में २ सेक्शन्स। कक्षा ४ में २ सेक्शन्स। कक्षा ५ से ८ तक एक सेक्शन।

(ख) कक्षाएं एक से ५ तक एक किराये के मकान में चल रहीं हैं व मिडिल सेक्शन एक सरकारी भवन में चल रहा है जो कि आपस में बिल्कुल करीब करीब हैं।

(ग) यदि उक्त स्कूल सरकार की आधारित शर्तों को पूरा करेगा तो आगामी वर्ष में उसको हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने के प्रश्न पर, अन्य ऐसे स्कूलों के साथ, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर इसकी उपयुक्तानुसार, विचार किया जायेगा।

(घ) इसका उत्तर भाग "ग" के उत्तर में दिया जा चुका है।

(ङ) प्राइमरी स्कूल के लिये पुरानी जेल की बिल्डिंग को लेने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री मनोहर कोठारी : जो शर्तें बता रहे हैं वे क्या हो सकती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : लड़कियों की तादाद, पास में स्कूल है कि नहीं, भवन की सुविधा है कि नहीं, इत्यादि।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इन शर्तों का कभी कभी कोई अपवाद भी रखा जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं अपवाद की आवश्यकता नहीं, शर्तें ही इस प्रकार की हैं कि जिनमें उपयुक्त तरीके से फैसला किया जा सकता है।

डॉ० चन्द्रकला : कुछ दिनों पहले मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया था कि प्राइमरी स्कूल को बुनियादी स्कूलमें परिवर्तित करते समय बिल्डिंग का प्रश्न नहीं रहता, तो उस पहले दिये हुए उत्तर में और इस उत्तर में अन्तर है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भवन का प्रश्न नहीं आता, यह इसके लिये कहा था कि प्राइमरी स्कूल को बुनियादी स्कूल में परिवर्तित किया जाय इसमें भवन का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सही है कि ठिकाना स्कूल के लिये पुरानी जेल का मकान देने को तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

पी. कैप पैकेट्स का निर्माण

५८४. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) :

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि श्री ख्यालीराम देवपुरिया उदयपुर ने पी. केप्स के एक लाख पैकेट्स प्रति वर्ष निर्माण एवं बेचने के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ?

(२) यदि हां, तो कब तथा उसकी स्वीकृति कब तथा कितने पैकेट निर्माण करने की दी गई ?

(३) क्या सरकार ने यह भी जांच की थी कि पैकेट निर्माण का धन्धा व्यापारिक रूप में चल सकता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) हां। इस प्रकार का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, उदयपुर को ३-११-१९५३ को प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति सचिवालय दिनांक २१-६-५७ को २०,००० पैकेट्स टोपियां बनाने के लिये दी गई। इस बात को भी ध्यान में रखा गया था कि यह धन्धा कुटीर उद्योगों में समुन्नित हो और व्यावसायिक रूप में चल सके।

(२) प्रार्थी ने १००००० पैकेट्स टोपियों के बनाने की मांग की थी किन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार स्वीकृति देते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि बाजार में इन वस्तुओं का बाहुल्य न हो जाय।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि उस व्यक्ति ने आपके द्वारा दिया हुआ लाइसेंस वापिस दे दिया है यह कह कर कि ४०० पैकेट्स बनाने की मंजूरी दी है उससे मशीनरी में जो लागत लगाई है वह भी पूरी नहीं पड़ती ?

श्री रामकिशोर व्यास : ४०० पेकेट्स का नहीं २०,००० पेकेट्स का दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सड़क निर्माण

५८५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बाड़मेर से हरसाणी तक कोई सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(२) क्या यह सही है कि उसका कुछ अंश बन भी चुका है ? यदि हां, तो वह कब बना ?

(३) यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

(४) कुल कितना रुपया इस सड़क पर खर्च हो चुका है और कितना और होने की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(१) जी हां।

(२) साढ़े छः मील १९५३-५४ में।

(३) तृतीय पंच वर्षीय योजना में।

(४) २५,००० रु० और २,६०,०००।

श्री तनसिंह : क्या तृतीय पंच वर्षीय योजना के सब आंकड़े बन गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, अपने रोड्स के तो तैयार हैं।

श्री तनसिंह : साढ़े छः मील जो बना है वह प्रथम पंच वर्षीय योजना में बना या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ?

Page No.13

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अकाल के वक्त में बनाई गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ लाख रुपया और है वह इसमें खर्च करेंगे और १६० हजार तृतीय पंचवर्षीय योजना में खर्च करेंगे।

श्री तनसिंह : एक लाख बाड़मेर के लिये है या इस सड़क के लिये है?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सड़क के लिये। यह ४३ मील लम्बी सड़क है, २६० हजार रुपया और लगेगा। १ लाख रुपया इसमें और १६० हजार रुपया तीसरी योजना में खर्च करेंगे।

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह मसूदा।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

इन्सपेक्टर्स का वेतन

५८७. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टर्स का और पैरोकारी शाखा में काम करने वाले लॉ ग्रेजूएट्स की वेतन दर एक ही है?

(ख) पैरोकारी शाखाओं में काम करने वाले लोगों को क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं?

(ग) क्या यह सत्य है कि पैरोकारी शाखा को उससे अलग किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी हां।

(ख) २० रु० मासिक का प्रोसीक्युशन भत्ता पी. एस. आई. का कार्य करने वाले थानेदार को दिया जाता है।

(ग) इस प्रकार की एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इन लोगों को सरकार की ओर से किताबें भी दी जाती हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : हां, देते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या सरकार को यह मालूम है कि एल. एल. बी. नहीं होने से वे ठीक तरह से पैरोकारी नहीं कर सकते और मुकदमे खराब होते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ज्यादातर लॉ ग्रेजुएट ही रखते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि उनको किताबें नहीं मिलने से मुकदमे बिगड़ जाते हैं और वे अच्छी तरह से पैरोकारी नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट: श्री पी. के. चौधरी। उन्होंने कहा कि किताबें मिलती हैं।

हैवी व्हीकल अलाउन्स

५८८. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state:-

Is it correct that truck and bus drivers in Irrigation, P. W. D., Education and other Government Departments are not given heavy vehicles allowance while the same is granted to truck and tractor

(श्री पी० के० चौधरी)

drivers in the Agiculture Department?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): Yes pleae.

श्री पी० के० चौधरी : When it is given in the Agriculture Department why it is not given in other departments ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I would like to examine this case.

श्री पी. के. चौधरी : The question was very clear.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : This is clear but why this difference is there, that I will examine.

बांध निर्माण

५८६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जिला पाली में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार कौन कौन से बांध बांधने का विचार रखती है ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : पाली जिले में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत जिन कामों की स्वीकृति दी गई है व जिन पर सर्वे जारी है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी है, इसके उपरान्त आगामी वर्षों में अन्य योजनायें भी उपयुक्तता के अनुसार सर्वे के बाद ली जायेंगी ।

(विराम)

माननीय अध्यक्ष, सूची छोटी सी है मैं उसे पढ़े देता हूँ ।

काम जिनकी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है :

(१) दान्तीवाड़ा बांध इसका निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है ।

(२) धाकड़ी ।

काम जिन पर सर्वे जारी है :

कान, खोड लाटारा, रायपुरा, मंडीगढ़, गिरोलिया, मिटरी, चांचोरी, सेली की नाल, बाड़ी स्टोरेज व डिगोर ।

काम जिनके एस्टीमेट तैयार हो चुके हैं और सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनीयर की स्क्रूटिनी में हैं :

सारन, कांठलिया, सिरियानी, रायपुरलूनी ।

गोचर भूमि

५९०. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या गवर्नमेंट ने जंगलात के नीचे जो ग्रेजिंग लैन्डस् हैं उनकी रेट और फीस के निर्णय के लिये कोई कमेटी नियुक्त की थी ?

(२) यदि हां, तो इस कमेटी ने बयाना और बसेड़ी तहसीलों की ऊंची रेटों के बारे में क्या निर्णय लिया ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां । कमेटी की रिपोर्ट सरकार के अभी विचाराधीन है । कमेटी ने बयाना व बसेरी तहसीलों के लिए निम्नलिखित ग्रेज़िंग रेट्स की सिफारिश की है :

	ऊंट	बकरी भेड़	घोड़े व टट्टू	गधे	गाय व बैल	भैंस
बयाना :	३)	।।)	१)	।।)	१)	२)
बसेरी :	४)	।।।)	१।।।)	।।)	१।।)	३)

श्री बहादुरसिंह : बसेरी में ज्यादा रेट्स क्यों हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो कमेटी ने सिफारिश की है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : बच्चों की रेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मुलतानी मिट्टी का ठेका

५६१. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या मंत्री खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील बाड़मेर में आलमसरिया (दादरा रोड) पर मुलतानी मिट्टी का ठेका ता० ७-२-५२ से ६-२-५३ तक का किसको दिया गया था ?

(२) क्या १३-११-५२ को २००) रु० भर कर ठेकेदार ने ठेके के नवीनीकरण की अर्जी दी थी ?

(३) क्या मिनरल कन्सेशन रूल्स, १६४६ के अन्तर्गत प्रारम्भ में जितने अर्से का ठेका किया जाता है उतने ही अर्से के लिये नवीनीकरण ठेकेदार की इच्छा मात्र पर ही होना आवश्यक है ?

(४) यदि हां, तो इस ठेकेदार के ठेके का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जी हां, मेसर्स लीलचन्द खेमराज मल को।

(२) जी हां।

(३) जी हां, साधारणतया सिर्फ प्रथम नवीनीकरण के लिए।

(४) ठेके का नवीनीकरण एक वर्ष के लिये किया गया।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

५६३. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत पुस्तकों में किस-किस श्रेणी की कितनी कितनी पुस्तकें किस-किस तारीख को किस-किस बुकसेलर को दी गई ?

(ख) कौन कौन सी ऐसी पुस्तक (नेश्नेलाइज़्ड टैक्स्ट बुक) अभी तक बुकसेलर्स को नहीं दी जा सकी हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या की तुलना में जितनी पाठ्य पुस्तकें अब तक दी जा चुकी हैं वे बहुत कम हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके समाधान के संबन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(घ) उपरोक्त पुस्तकें किस-किस प्रेस में छपवाई गई हैं ? किस आधार पर विभिन्न छापाखानों को इस प्रकार की आज्ञा दी गई थी ? क्या छापाखानों से कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई थीं ? यदि हां, तो कृपया उनकी एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) :

(क) सरकार ने कक्षा एक से ५ तक की तमाम राष्ट्रीयकृत पुस्तकें केवल सामाजिक ज्ञान के अलावा तमाम निरीक्षकों को बांटी

Page No.16

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

और निरीक्षकों ने अपने-अपने हल्के के पुस्तक विक्रेताओं को समय-समय पर पुस्तकें दीं। इस प्रकार राजस्थान भर में सैंकड़ों पुस्तक विक्रेताओं को अलग अलग समय पर पुस्तकें दी गईं।

(ख) सामाजिक ज्ञान के अलावा तमाम पुस्तकें दे दी गईं।

(ग) छात्रों की निर्धारित संख्या के अनुरूप किताबें छपवाई गईं किन्तु कुछ कारणों से सब छात्रों को वे प्राप्त न हो सकीं। इस क्षति को दूर करने के लिये उन उन स्थानों पर पुस्तकें भेजने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीयकृत पुस्तकें निम्नलिखित प्रेसों से छपवाई गई हैं :

१. मेसर्स नेशनल ऑफसेट प्रेस, देहली।

(२) मेसर्स इलाहबाद लॉ जनरल कम्पनी, इलाहबाद।

(३) मेसर्स इन्डियन प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद।

(४) मेसर्स फाइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर।

(५) मेसर्स जयपुर प्रिन्टर्स, जयपुर।

(६) मेसर्स राजस्थान प्रिन्टिंग प्रेस, जयपुर।

(७) मेसर्स अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ।

हिन्दी कक्षा १ की छपाई ऑफ सेट की है व कक्षा ३ से ५ तक की छपाई लेटर प्रेस की है। विभिन्न छापाखानों को छापने की आज्ञा निम्नलिखित आधार पर दी गई।

(1) Presses having one or no cylinder have not been selected as they are not expected to cope with the work within the time.

(2) Presses which did not send specimens of their work were left out of consideration.

(3) The specimen of each press were examined and only those presses were considered whose work was of the requisite standard in the opinion of the Board. The Board submitted the specimens of work of all the presses to Justice K. L. Bapna also and obtained his approval for its selection.

(4) Out of the presses which have been selected those whose rates are cheapest have been given as many books to be printed as they could undertake within the stipulated time.

(5) The press quoting next higher rates have been taken into consideration in the ascending order of their quotations.

(6) The Sammelan Press of Allahabad has been rejected as the representative of the Board found that its managements was beset with internal difficulties as may impede the execution of our work.

राष्ट्रीयकृत पुस्तकें छपवाने के संबन्ध में जो दोनों छपाई के सम्बन्ध में प्रेसों से शर्तें निर्धारित कीं, उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट फोर ओफसेट प्रिन्टिंग के क्लॉज ३ के अनुसार जिन जिन प्रेसों को छापने का काम दिया गया उन्होंने इस एग्रीमेंट के इस क्लॉज़ के अनुसार काम किया है ?

श्री पूनमचन्द : शर्तों की पाबन्दी की गई ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने शर्तों के अनुसार काम किया या नहीं ?

श्री पूनमचन्द : इसकी मेरे पास सूचना नहीं है, अगर आप चाहें तो अलग से प्रश्न पूछ कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को अभी पोस्टपोन कर दिया जावे क्योंकि इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री पूनमचन्द : इसमें कई शर्तें हैं ।

श्री अध्यक्ष : इसमें कई शर्तें हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक ही क्लॉज़ के बारे में पूछ रहा हूं । मैंने प्रश्न में पूछा है कि जितने समय में पुस्तकें आनी चाहिये थी आईं या नहीं ? मैं दूसरे क्लॉज़ेज़ के बारे में नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री पूनमचन्द : The Hon'ble member could have put a particular question in this respect. Now there were so many things in this and I could not have diverted my whole energy to this particular clause.

The Hon'ble member can ask a fresh question and then the whole attention shall be diverted to that.

श्री अध्यक्ष : इससे तो वह कवर नहीं करता है । आप हर एक क्लॉज़ पर कह सकते हैं । आपकी शिकायत हो सकती है, is it within the notice of the Government that this clause was contravened in certain cases ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट की शर्त ३ के अनुसार बुकसेलर्स ने पुस्तकें नहीं दीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां, कुछ समय लगा ।

श्री भैरोंसिंह : हां, तो उनको पिनेलाइज़ करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो बोर्ड का काम है; अगर वास्तव में डिले (delay) हुई या नहीं, यह तो बोर्ड के विचार की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बोर्ड के सामने विचाराधीन है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर इस प्रकार की कोई बात बोर्ड के सामने आए तो बोर्ड एक हाई पॉवर बोर्ड है, उसको सारी चीजें करने का अधिकार है । उसके सामने कोई रुकावट नहीं है । अगर वे यह मानते कि जो डिले के रीज़न्स दिये गये हैं वे माकूल नहीं है, वे कुछ करना चाहें तो कर सकते थे । उनको अख्तयार हैं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने क्या उनसे जानकारी चाही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमारे सामने यह जानकारी नहीं है कि डिफॉल्ट हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : क्या जानकारी करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बिना जानकारी के किस बात की जानकारी करें ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के ध्यान में था कि प्रिटिंग प्रेसेज़ के द्वारा पुस्तकें समय पर नहीं देने से शिक्षा में छात्रों को नुकसान हुआ। उसके लिये बोर्ड को लिख कर जानकारी हासिल करना आवश्यक नहीं समझा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में सदन में जानकारी कई बार दी जा चुकी है। लाइनें बन्द हो गई थीं, फिल्म उनको नहीं मिली थी।

श्री भैरोंसिंह : इस क्लॉज में स्पष्ट यह है कि कागज देने के तुरन्त १५ दिन बाद किताबें छपनी चाहिए। सदन में इस बात की सूचना दी गई थी कि सरकार की ओर से कागज देने में देरी हुई और उसके बाद किताबें छपने में फिर देरी होने का क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कागज देने में देरी के अलावा भी तो और कारण हो सकते हैं, फिल्म देने में देरी होने के कारण और मौसम की खराबी के कारण वे नहीं दी जा सकीं, जैसी कि पहले सूचना दी जा चुकी है जिसके कारण कि देरी हुई और ख्याल नहीं किया गया। यदि कोई पर्टीकुलर इन्स्टान्स (particular instance) ऐसे हो तो उसकी जानकारी की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात लायी गई कि एक हल्के के निरीक्षकों के लिए जो किताबें अलॉट हुई थीं वे दूसरे हल्के में जाकर बिकी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी जानकारी हमें नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस एग्रीमेन्ट के अनुसार मौसम वगैरह के कारण जो देरी हो उसको एक्सक्यूज़ नहीं माना गया है ?

श्री अध्यक्ष : It is in the terms of the contract itself, श्री मौहब्बतसिंह।

श्री भैरोंसिंह : मौसम के कारण यदि छपी नहीं हैं तो अध्यक्ष महोदय, यह कारण इस एग्रीमेन्ट के अनुसार एक्सक्यूज़ नहीं माना गया है ?

श्री अध्यक्ष : कोई स्पेसिफिक शिकायत हो तो बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि मौसम के कारण देरी हुई इसलिए यह एक्सक्यूज़ तो एग्रीमेन्ट में नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एग्रीमेन्ट में नहीं है। लेकिन अगर अनप्रिसिडेन्टेड कारण हो जांय तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन अनप्रेसिडेन्टेड कारणों की जांच की है जिनका प्रेसेज़ ने एक्सक्यूज़ लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे कारण सामने रहते हैं कि उस समय ज्यादा बारिश हुई थी।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने इसकी जांच कराई है या नहीं ? प्रेसेज़ के कहने के अनुसार ही क्या यह कहा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ५६४

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

पटवार घर का निर्माण

५६५. श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम कसार, तहसील लाडपुरा में पटवार घर के निर्माण के हेतु पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की ओर से कितने रुपये में किस ठेकेदार को कब, कितने समय में कार्य समाप्त कर देने के लिए ठेका दिया गया था ?

(ख) क्या वह पटवार घर बन कर तैयार हो गया ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कोई ठेका नहीं दिया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या वहां पटवार घर बना हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं बना हुआ है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या बनाने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पी. डब्ल्यु. डी. महकमा बनाता है और हुक्म दूसरे देते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या ऐसा हुक्म दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई हुक्म नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

स्टेडियम का निर्माण

५६६. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Planning and Development be pleased to state:—

(1) Did the Government of India sanction certain amount of money to the Rajasthan Government for the construction of Stadiums at each District Headquarters ? If yes, what was the total amount ?

(2) In how many districts have the stadiums been built ?

उप योजना मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बिजली घरों में दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी

५६७. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या विद्युत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के सम्पूर्ण पॉवर हाउसेज़ में दैनिक वेतन पर कार्य करने वाले कितने कर्मचारी हैं ?

(२) उपरोक्त कर्मचारियों में अधिक से अधिक कार्यावधि कितने वर्षों की किस व्यक्ति की है ?

(३) क्या सरकार उपरोक्त व्यक्तियों को स्थायी बनाने का विचार कर रही है ?

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) विद्युत एवं यन्त्र विभाग में डेली रेट्स पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या २,४८४ है ।

(२) श्री शिवबक्स अनस्किल्ड हेल्पर जिनकी २८ वर्ष से ऊपर की कार्यावधि है ।

(३) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या ये व्यक्ति योग्य नहीं है, जिससे कि जो पोस्टें खाली हुई हैं उन पर उनसे टेम्प्रेरी कार्य कराया जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : यह है कि इन्टीग्रेशन रूल्स सन् ५१ में बने थे तो एक कन्डीशन उसमें यह थी कि जो ३१ मार्च, सन् ५१ को रिटायर हुए हैं उनके केस कन्सीडर नहीं किये जावेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि इस प्रकार के व्यक्ति जो हैं उनके बाद भी जो लोग चलते आ रहे हैं, उनको नहीं करके दूसरों को परमानेन्ट कर दिया गया है ?

श्री भीखाभाई : ऐसा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल ।

शिक्षा शुल्क

५६८. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या हरिजन व आदिवासी छात्र प्राइमरी से विश्वविद्यालय कक्षाओं तक शिक्षा शुल्क से मुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें शुल्क से मुक्त करने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : केवल वे ही हरिजन व आदिवासी छात्र प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा शुल्क से मुक्त हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है । इस स्थिति में अन्य फीसें भी उनसे आधी ही ली जाती हैं ।

श्री धर्मपाल पंवार : हरिजनों की आम तौर से आर्थिक स्थिति कोई ठीक नहीं होती है, फिर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : आम तौर से माफी भी दे दी जाती है ।

प्रश्न संख्या ५६६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६००

श्री पृथ्वीराज पटेल ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

सहरिया परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था

६०१. श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देनेकी कृपा करेंगे :

(१) शुभधरा तथा खुशहालपुरा, तहसील शाहबाद में कितने सहरिया परिवारों को बसाने तथा उनके पुनर्वास पर कितनी धन-राशि व्यय करने की योजना बनाई गई थी ?

(२) इस योजना के अन्तर्गत कितने सहरिया परिवार बस चुके हैं तथा उन पर कितनी धन-राशि व्यय हो चुकी है ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(३) शुभधरा तथा खुशहालपुरा में योजना के अन्तर्गत कितने मकान तथा कुएं अभी तक पूर्ण बने हैं, कितने अधूरे बने हैं तथा कितने बनने शेष हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त परिवारों द्वारा अपने मकानों के लिए ८ मन्दिरों तथा कुछ मस्जिदों को नष्ट कर दिया गया है तथा उनके पत्थर ले जाये गये हैं ?

उप विकास मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) कुल १८२ सहरिया परिवारों को बसाने तथा उनके पुनर्वास के लिए कुल २,०४,७०० रुपये की योजना मंजूर की गई है।

(२) १६३ परिवार बस चुके हैं और उपरोक्त धनराशि व्यय हो चुकी है ।

(३) अब तक कुल ७४ मकान व ५२ कुए पूरे बन गये हैं तथा ७१ मकान व ४६ कुए अधूरे हैं एवं तीन मकान व १६ कुएं अभी बनाने शेष हैं।

(४) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि अभी तक जिन लोगों के कुए वगैरह बन जाने चाहिए थे और उन पर १८५ परिवारों को बसाने की योजना थी लेकिन बाकी नहीं बनने के क्या करण हैं ?

श्री सम्पतराम : बन रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : कब तक बन जावेंगे ?

श्री सम्पतराम : काम चल रहा है। कोई कुआ एक हाथ दो हाथ बनना शेष है, किसी में पानी नहीं निकला है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि काम इतना खराब हुआ है कि बरसात आने से मकान गिर गये हैं। उनको बार बार रकम उनके लिए खर्च करनी पड़ती है।

श्री सम्पतराम : ऐसी इत्तला हमारे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दूं तो क्या जांच कराने के लिए तैयार हैं ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तौर पर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सीमेंट फैक्टरी की स्थापना

६०२. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नीम के थाने में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की चल रही योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

(२) क्या किसी उद्योगपति से इस क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए वार्ता चल रही है ?

(३) क्या सरकार के पास सहकारिता के आधार पर भी सीमेंट फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव आया है ?

(४) क्या सरकार जल्दी ही इस क्षेत्र में सीमेंट फैक्टरी लगवाने का प्रयास करेगी ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द-धारीवाल) : (१) मेसर्स जे. के. कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लि०, कानपुर को नीम के थाने में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेन्स

Page No.22

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। अभी कोई प्रगति नहीं हुई।

(२) नहीं।

(३) इस विभाग में सहकारिता के आधार पर सीमेंट फैक्टरी लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(४) पार्टी की प्रार्थना करने पर सरकार पूर्ण सहयोग देगी।

(५) लाइम स्टोन के क्षेत्र को रिज़र्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार उसे माइनर मिनरल एक्ट की धारा ३१ की उपधारा २४ (अ) के अन्तर्गत खाली करा सकती है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या इसी कम्पनी को राजस्थान में दूसरी जगह दूसरी फैक्ट्री लगाने का भी लाइसेन्स दिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: सीमेंट का....

श्री पी. के. चौधरी : दूसरे किसी किस्म का ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : इसको लाइसेन्स किस तारीख को स्वीकार किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : लाइसेन्स की तारीख मैं अभी नहीं बता सकता।

श्री पी. के. चौधरी : कौन कौन से कारखाने लगाने की इजाजत दी गई ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एक नाइ-लोन फैक्ट्री कोटा में है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या राजस्थान सरकार की ओर से कोई रुपया दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द।

श्री ज्ञानचन्द : क्या सहकारी संस्था की ओर से दरख्वास्तें भेजी गई थीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हमारे महकमे में तो नहीं आयी हैं।

श्री भैरोंसिंह : लाइसेन्स के अनुसार काम कब तक शुरू हो जाना चाहिए था ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जहां तक मेरा ख्याल है इसके लिए कोई टाइम निर्धा-रित नहीं है। टाइम जरूर दिया गया है और प्रयत्न कर रहे हैं कि वे शीघ्र लगावें, लेकिन फॉरेन एक्सचेन्ज की डिफिकल्टी होने से नहीं कर सक रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या भारत सरकार ने लाइसेन्स स्वीकार करने के पहले राजस्थान सरकार से भी सलाह ली थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : हां, हमने रिकमन्ड किया था।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने रिकमन्ड किया था तो क्या उस रिकमन्डेशन में उल्लेख था कि लाइसेन्स स्वीकार कर लिया गया तो अमुक समय में फैक्ट्री को शुरू कर दिया जावेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा नहीं है कि इस बिना पर लाइसेन्स दिया जाता हो कि अमुक समय में लगा लेंगे तो ठीक, नहीं तो कैन्सिल हो जायगा। दूसरों को भी दिया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए कितने लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं ?

Page No.23

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसकी जानकारी तो मैं प्राप्त करके बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इनमें से दो व्यक्तियों की दरख्वास्तें इसलिये खारिज कर दी गई थीं कि वे निर्धारित समय में फैक्टरी चालू नहीं कर सकते थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा नहीं होता है इसके लिये फाइनेन्शियल पोज़ीशन देखी जाती है। यह आदमी कैसा है, इसके पास कितने खर्च करने के लिये रुपये हैं; कम से कम एक सीमेन्ट फेक्टरी को ठीक प्रकार से लगाने के लिये दो तीन करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है; जिसके पास इतना खर्च करने को हो उसको लाइसेन्स देने के लिये सिफारिश करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह केस रिकमन्ड किया गया था उस दर्मियानी समय में समय-निर्धारण का प्रश्न सरकार के सामने नहीं आया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके लिये जानकारी प्राप्त किये बिना सही जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

सहकारी समिति

६०३. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या शेरगढ़ तहसील का ग्राम बालेसर, सत्तो का बास तथा खीरजो खास में चमड़ा खरीदने व अन्य चमड़े के सामान बनवाने वाले मेघवालों की सोसाइटी सरकार द्वारा रजिस्टर की गई है ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त सोसाइटी के कुल कितने मेम्बर बनाये गये ? उनके नाम बताने की कृपा करें।

(३) क्या उपरोक्त सोसाइटी से धन-राशि भी जमा की गई ? यदि हां, तो कितनी और उपरोक्त सोसाइटी को कुल कितनी धनराशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप सहकारी मंत्री (श्री दौलतराम) :

(१) हां।

(२) ११. उनके नाम निम्नलिखित हैं,

१. श्री खेताराम पुत्र जेसाराम
२. पूनाराम
३. खेताराम पुत्र बिखाराम
४. प्रभुराम
५. प्रेमाराम
६. दयाराम
७. भानाराम
८. कुम्भाराम
९. आईदान
१०. मंगलाराम
११. चौथाराम

(३) हां। २३१ रुपये जमा किये गये। समिति ने कर्जे के लिये कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया अतः समिति को कर्ज मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सूरजमल : तो फिर रुपये किस लिये जमा किये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मंत्री) : सोसाइटी बनानी थी इसलिये रुपया जमा कराया।

प्रारम्भिक व माध्यमिक पाठशालाओं की स्थापना

६०४. **गोवर्धनसिंह केन** (बयाना) : क्या

(श्री गोवर्धनसिंह केन)

शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील बयाना में कितने प्राइमरी व मिडिल स्कूल्स हैं ? ये किस किस गांव में तथा डीग के हिस्सों में कितने हैं ? क्या उक्त स्कूल आबादी के अनुपात से हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में आबादी के अनुपात से नये स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस गांव में और कब ?

(ख) क्या यह सही है कि भरतपुर शहर में छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हाई स्कूल तथा हायर सेकन्डरी स्कूल की अति आवश्यकता है ? यदि हां, तो सरकार इ सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) :

(क) तहसील बयाना में १ मिडिल स्कूल एवं ५० प्राइमरी स्कूल्स हैं । गांव वार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । डीग के हिस्से में लगभग १० स्कूल हैं । जो भी नवीन शाखायें खोली जाती हैं उनका जिलेवार वितरण निम्नलिखित आधारों को ध्यान में रखते हुए जिले की जन संख्या व आवश्यकता के अनुसार किया जाता है और जिले की विकास कमेटी की सिफारिश से खोली जाती है :

१. भवन की सुविधा ।

२. ३ मील के हल्के में पढ़ने वाले ग्रामों के समूह को मिलाकर जनसंख्या ५०० से कम न हो ।

नये स्कूल हर वर्ष खोले जाते हैं, जो स्थान उपरोक्त आधारों को पूरा करेंगे निर्धारित कोटे के अनुसार वहां स्कूल खोल दी जावेगी ।

(ख) हायर सेकन्डरी स्कूल निम्नलिखित आधारों पर खोले जाते हैं:—

१. भवन की सुविधा ।

२. जनता से भवन की सुविधा में आर्थिक सहयोग ।

३. सातवीं-आठवीं कक्षाओं में छात्रों की संख्या ।

४. आस-पास में फीडर मिडिल स्कूल की संख्या ।

५. २० मील के भीतर हाई स्कूलों की संख्या ।

उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यकता हुई तो नये हायर सेकन्डरी स्कूल खोलते समय अवश्य विचार किया जावेगा । इस वर्ष एक सहायता प्राप्त सनातन धर्म मिडिल स्कूल, भरतपुर को हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित किया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री गोवर्धनसिंह : क्या भरतपुर के छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जो हायर सेकन्डरी स्कूल है वह क्या पर्याप्त है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसीलिए तो ज्यादा खोल रहे हैं ।

विन्धियन लाइम स्टोन

६०५. श्री तेजाराम (सोजत) : क्या उद्योग व खनिज मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर डिविजन में चूना (विन्धियन लाइम स्टोन) बनाने की मोनोपोली समाप्त कर १९५५ से लीज़ सिस्टम लागू किया ? यदि हां, तो १९५५ से

(श्री तेजाराम)

सितम्बर, १६५७ तक किन–किन को व कब कब लीज़ ग्रान्ट की गई ?

(ख) क्या इस लीज़ सिस्टम होने के बाद लीज़ होल्डर्स को कोयला एल. एम. एस. के दिया जाता है ? यदि हां, तो १६५५ से सितम्बर, १६५७ तक किस किस लीज़ होल्डर को कितना–कितना कोयला अलॉट किया ?

उप उद्योग व खनिज मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जोधपुर डिविज़न में चूना बनाने की कोई मोनोपोली नहीं थी। सन् १६५४ में जोधपुर डिविज़न में विन्धियन लाइम स्टोन माइनिंग लीज़ेज़ रूल्स बनाये गये और एरिया लीज़ पर दिया गया। सन् १६५५ से १६५७ तक जिन लोगों को लीज़ दी गई थी, वह निम्न प्रकार है :

१. मेसर्स गोटन लाइम सिन्डिकेट लि० १–११–५४
२. मेसर्स केशवसिंह १–४–५५
३. श्री गुलाबसिंह १–११–५५
४. मेसर्स केमिल लाइम स्टोन ३०–१२–५७

(ख) लीज़ सिस्टम का एल० एम० एस० क्लास के कोयले से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कोयला पत्थर के खान वालों को नहीं अपितु चूना बनाने वालों को मिलता है जो भट्टे रखते हैं। कोयले का वितरण भट्टों पर होता है। उपरोक्त लीज़ होल्डर्स को निम्न प्रकार कोयला दिया गया :

	१६५५,	१६५६ व	१६५७,
१. गोटन लाइम सिंडिकेट	२४०टन	२३६ टन	२४०टन
२. केशवसिंह	६२टन	१०३ टन	१४०टन
३. श्री गुलाबसिंह	—	१ गाड़ी	४गाड़ी
४. केमिल लाइम स्टोन	—	—	—

श्री तेजाराम : ये लीज़ होल्डर्स लाइम स्टोन का चूना बनाते हैं तो ये कब से बेच रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि ये चूना बनाते हैं।

श्री तेजाराम : तो फिर सरकार को यह कैसे मालूम है कि इन तीनों पार्टीज़ के पास में १६५५,५६,५७ में भट्टे थे जिनके आधार पर कोयले का डिस्पोज़ल किया गया।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह तो आप अलग सवाल करें तो बता दिया जायगा।

श्री तेजाराम : आपने प्रश्न के (ख) भाग में बताया था कि कोयला जो है वह पत्थर के खान वालों को नहीं अपितु चूना बनाने वालों को मिलता है तो आपने इनको किन आधारों पर डिस्ट्रिब्यूट किया, यह बतलाइये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पहले जिन लोगों के भट्टे लगे हुए थे उनका कोटा फिक्स हो गया; उसके मुताबिक उनको कोयला देते रहे, लेकिन जब कम मिलने लगा तो उसी हिसाब से कम भी कर दिया गया; जैसा कि आपने देखा होगा तीसरे आदमी को जहां ५६ में एक गाड़ी मिली वहां हमें ज्यादा मिलने पर सन् ५७ में ४ गाड़ी कोयला दिया गया, हम और भी ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री तेजाराम : आपके स्टेटमेंट के अनुसार गोटन लाइम सिन्डिकेट को सन् ५५ में आपने २४० टन सन् १६५६ में २३६ टन और सन् ५७ में २४० टन दिया जब कि गुलाबसिंह को ५५ में कुछ नहीं ५६ में १ गाड़ी और ५७ में चार गाड़ी दी गई, इतना अन्तर क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : गोटन लाइम सिन्डिकेट का प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है ।

शिक्षा शुल्क

६०६. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कक्षा ८ तक निःशुल्क शिक्षा कर देने से सरकार पर कितना व्यय भार बढ़ा ?

(२) इसके पहले कहां-कहां पर कितनी फीस ली जाती थी ?

(३) ऊपर की कक्षाओं में फीस बढ़ा देने से सरकार को कितनी आय होने की संभावना है ?

(४) क्या यह सच है कि सरकार ने छात्र-आन्दोलन की समाप्ति पर जो समझौता किया था उसका पालन नहीं हुआ है ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई : (क) करीब ७, ५४, ४६२ रु० का ।

(ख)	कक्षा ६	कक्षा ७	कक्षा ८
अजमेर में	२।१२।०	४।०।०	४।८।०
अलवर में	०।८।०	०।१२।०	०।१२।०
जोधपुर में	—	—	१।८।०

(ग) शुरू में जो फीस बढ़ाई गई थी उसमें करीब ११ लाख रुपये की आमदनी होने की संभावना थी । बाद में जो रियायत देकर फीस लागू की गई उससे कितनी आमदनी होगी, उसके बारे में इस समय बताना सम्भव नहीं है ।

(घ) जी नहीं, पालन किया गया है ।

डॉ० चन्द्रकला : जब कक्षा ८ तक निःशुल्क शिक्षा है तो फीस किसकी नहीं ली जाती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ट्यूशन फीस नहीं ली जाती ।

डॉ० चन्द्रकला : तो फिर ट्युशन फीस के अलावा कौन-कौन सी फीस ली जाती है ?

श्री पूनमचन्द बिशनोई : लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और होस्टल फीस ।

श्री चन्दनमल वेद : क्या यह सच है कि राजस्थान के एकीकरण से पहले बहुत सारी रियासतों में निशुल्क शिक्षा उच्च कक्षाओं तक दी जाती थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एकाध छोटी स्टेट में हो सकती है ।

श्री चन्दनमल वेद : क्या बीकानेर स्टेट को भी आप छोटी स्टेट मानते हैं ?

डाइरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन्स

६०७. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister in-charge, Public Relations, be pleased to state :

Is it correct that a Finance Party made a surprise check of the cash balances in the office of the

Page No.27

(श्री पी. के. चौधरी)

Director of public Relations on 16 1-1958 and detected a shortage of Rs. 1500/- in the cash balance? If so, what action has been taken against the official concerned?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

The discrepancy between the amount standing in the cash book and the amount actually found in the cash chest was explained by the difference between the two having been advanced to certain officers of the Directorate of Public Relations in Connection with Government business.

This amounts to financial irregularity which is being investigated.

श्री पी. के. चौधरी : My question is whether shortage was detected or not ?

श्री रामकिशोर व्यास : It may be replied in both ways-'yes' and 'no'. It is not shortage because it was advanced for Government business. If the advanced amount is not taken into consideration then of course it is a shortage.

श्री पी. के. चौधरी : Whether there was a discrepancy between the book balance in the cash book of the Directorate and the actual cash in hand by Rs. 1500/- ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो मैंने आपसे कहा है।

श्री अध्यक्ष : He admits the discrepancy.

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो बाहर जाते थे वे रकम साथ ले जाते थे तो इस हिसाब से ये डिस्क्रिपेन्सीज़ की बात भी बराबर है, पर हिसाब उसका रहता था वह फिर अलग रहता हो यह बात दूसरी है।

श्री पी. के. चौधरी : Are the Government officers authorized under the rules cash from the departmental chest when they go out ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह इर्रेगुलेरिटी है इसके लिए तो कह दिया न मैंने कि आइन्दा से ठीक कर देंगे।

श्री पी. के. चौधरी : Is it permitted under the Rules or it is an exception in this case ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर रूल्स में पर्मिसिब्ल होता तो इर्रेगुलेरिटी ही क्या होती? पर अब आइन्दा उनको कह दिया गया है कि आइन्दा ऐसी इर्रेगुलेरिटी न करें।

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that on a provious occasion also such a discrepancy was detected in the same office ?

श्री रामकिशोर व्यास : I don't know for previous occasion. पर अब उनको कह दिया गया है। यह पहले की प्रेक्टिस थी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

अध्यापकों की पद-वृद्धि

६०८. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.28

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) क्या यह सत्य है कि जोधपुर डिवि-जन के कुछ अध्यापकों को तारीख १-४-५१ से मेट्रिक ग्रेड में प्रोमोशन दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सत्य है कि उनके एरीयर का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और भविष्य में कब तक करा दिया जाने की आशा है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई): (१) जी हां, सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, क्योंकि तीन साल पुराना केस होने के कारण वित्त विभाग की मन्जूरी आवश्यक है जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । बिल्स पास होते ही भुगतान कर दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री लक्ष्मीचंद : क्या यह माना गया है कि लिस्ट में अंकितों के सिवाय जोधपुर डिविज़न के और किसी अध्यापक को मेट्रिक ग्रेड नहीं दिया गया है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह अलग प्रश्न है।

श्री लक्ष्मीचंद : इस प्रश्न से कन्सर्ड है । मैं यह पूछ रहा हूं कि यह लिस्ट आपकी कम्प्लीट है, इसके सिवाय तो और किसी को नहीं दिया गया है न ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : नहीं, और साल का हो सकता है । इस ऑर्डर के मातहत तो नहीं है।

श्री लक्ष्मीचंद : जालोर डिस्ट्रिक्ट का कोई नाम इसमें नहीं है, उसमें किसको दिया गया ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या यह सत्य है कि गुढ़ा बालोतरा के मास्टर भभूतमल को १-४-५१ को यह ग्रेड दिया गया है ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई: हो सकता है

श्री लक्ष्मीचंद : हो सकता है नहीं, मैं सही, निश्चित, सूचना चाहता हूं।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : एक टीचर के बारे में कैसे निवेदन कर सकता हूं, जहां सारे प्रान्त में ३२-३३ हजार की गिनती में हैं। आप किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में जानना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछ लीजिये । मैं सूचना लाकर दे दूंगा ।

श्री लक्ष्मीचंद : मैंने जोधपुर डिवीज़न की सब जगह की सूचना मांगी है । वह तो आप दें।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जो है वह तो मैंने आपको दे दी है।

श्री लक्ष्मीचंद : इस लिस्ट के सिवाय तो और किसी को प्रोमोशन नहीं दिया गया है न ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : इसके पहले के व बाद के हो सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचंद : इस साल तो नहीं दिये गये न, १-४-५१ में ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : १-४-५१ तारीख है, साल नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

मेवाड़ भील कॉर्प्स

६०६. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या मेवाड़ भील कॉर्प्स नामक पुलिस का कोई अलग यूनिट है ?

(२) यदि हां, तो उस पर क्या खर्चा पड़ता है और नहीं, तो उसे कब समाप्त किया गया ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) इस नाम से कोई अलग यूनिट अब नहीं है। मेवाड़ भील कोर को १-४-५६ से रेग्यूलर आर्म्ड फोर्स में शामिल कर लिया गया है।

श्री तनसिंह : आप फरमा रहे हैं वह सही है या मैंने इस बजट में इस हैड में पैसा रक्खा हुआ देखा है वह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया न। जवाब जो दिया वह फिर सुन लिजिये।

इस नाम से कोई अलग यूनिट अब नहीं है। मेवाड़ भील कोर को (corps) १-४-५६ से रेगुलर आर्म्ड फोर्स में शामिल कर लिया गया है।

श्री तनसिंह : अब इसी साल बजट में मैंने देखा है, यह अच्छी तरह से मुझे याद है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई एरियर का होगा।

श्री तनसिंह : मैंने खर्चे का पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : सुन लिजिये ? ५६-५७ में है ३२३६६१), ५५-५६ में है १३१७२)।

श्री तनसिंह : इसमें किसी जाति विशेष के लोग ही लिये जाते थे या और भी लिये जाते थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : आम तौर पर सभी लिये जाते थे, पर भील ज्यादा थे।

घरेलू उद्योग

६१०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) घरेलू उद्योगों को प्रत्साहन देने के लिये पिछले पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितने रुपये सहायता में और कितने कर्ज के रूप में दिये गये ?

(ख) टौंक डिस्ट्रिक्ट में उक्त वर्षों में इन कार्यों के लिये कितनी रकम किन किन को दी गई ?

(ग) उन धन्धों की, जिन के लिये सहयता और कर्ज दिया गया उनकी, क्या व्यवस्था अब है और किस कदर सफलता प्राप्त हुई ?

(घ) भारत सरकार ने इस कार्य के लिये राजस्थान को कितनी धन-राशि दी थी ?

(ङ) अब कितने रुपये मिलने की सम्भावना है ?

(च) क्या उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिये इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन स्थापित करने की तजवीज है ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) पिछले पांच वर्षो में सन्

Page No.30

(श्री रिखबचन्द)

१९५२–५३ से ५६–५७ तक सरकार द्वारा घरेलू उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु दी गई धनराशी का विवरण निम्न प्रकार है :

उद्योग का नाम	सहायता	ऋण
(१) हाथ करघा विकास हेतु ऋण रूप दी गई धनराशि	कुछ नहीं	७,६२,७९२)
(२) छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु दी गई धनराशि ऋण रूप में	—	२०,२२,६५०)
(३) खादी एवं ग्रामोउद्योग प्रोत्साहन हेतु दी गई धनराशि	२,४६,९९९)	कुछ नहीं।

(ख) टौंक डिस्ट्रिक्ट में जिन पार्टियों को उक्त वर्षों में ऋण रूप में धनराशि दी गई उसका ब्योरा सदन को मेज पर रख दिया गया है।

(ग) जिन धन्धों को यह धनराशि दी गई वे सुचारु रूप से चल रहे हैं।

(घ) भारत सरकार ने उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु निम्नांकित धनराशि दी थी :

	सहायता :	ऋण :
५२-५३	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५३-५४	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५४-५५	१,०५०१०)	२,६८,५००)
५५-५६	७१,०५५)	१,८६,१०३)
५६-५७	१,५१,४८८)	६,४३,६००)
५७-५८	कुछ नहीं	४,७५,०००) इन्डस्ट्रियल एस्टेट के लिये

इस प्रकार से सहायता कुल ३,२७,५५३) एवं ऋण १६,७६,२०३) है।

(ङ) सहायता २२.८७३ लाख एवं ऋण ४६.९५८ लाख रुपये की सम्भावना है।

(च) नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जो इतने लाख रुपया दिया गया पांच वर्षों में उसमें से कितना वसूल हुआ और कितना बाकी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका तो अलग से सवाल पूछेंगे तो जवाब दिया जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह टौंक में हाथ कर्घा के लिये कहा गया कि सुचारु रूप से धन्धा चलता है तो यह कैसे जाना ? क्या इसका प्रदर्शन भी होता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसका तो कोई प्रदर्शन नहीं होता। फिर जुलाहे क्या प्रदर्शन करें ? हां उनका सालाना हाथ कर्घा सप्ताह मनाया जाता है उसमें वे लोग अपने काम के नमूने और ब्योरा बताने का प्रयत्न करते हैं। उसमें वे अपनी दस्तकारी को एग्ज़िबिट करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि तहसील दूनी में नासरदा, अलीगढ़ आदि गांवों के जुलाहों ने भी ऋण के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अलग से सवाल करेंगे तो बता सकूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या जितने आदमियों ने ऋण के लिये आवेदन पत्र दिये थे उनकी सूची अब पेश कर दें तो उनको क्या सहायता व ऋण दिला देंगे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : उचित होंगे तो जरूर दिला देंगे।

सिंचाई कर

६११. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को विदित है कि तहसील दौसा में जो लाखों रुपयों की लागत से बांध बने हैं उनका सिंचाई कर ४) रु० से १०) रु० प्रति बीघा तक है जब कि पुराने बांधों का सिंचाई कर १।) प्रति बीघा है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : सरकार के यह ध्यान में है कि नये बांधों व पुराने बांधों की सिंचाई की दर में काफी फर्क है।

श्री रामधन : यह फर्क कब तक के लिये लगाया गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री) : यह पहले से हैं।

श्री रामकरणसिंह : नये बांधों में कर लगाये जाते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो आब-पाशी की शरह है, कर नहीं है ?

श्री रामकरणसिंह : पुराने बांधों के इर्रिगेशन चार्जेज़ के अन्दर और जो नये बने हैं उनके अन्दर जो अन्तर है वह कब तक मिटा दिया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यही तो मैंने निवेदन किया कि पुराने बांधों की जो दरें हैं और नये बांधों की जो दरें हैं, उनमें जो फर्क है उनके एकीकरण का सवाल बहुत जल्दी तय होने वाला है।

श्री तनसिंह : मतलब, बढ़ाया जावेगा या घटाया जावेगा ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ६१२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

ग्राम बड़ागांव (तहसील किशनगढ़) में चमारों के साथ की गई मारपीट

६१३. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम बड़ा गांव, थाना किशनगढ़, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर के अन्तर्गत कुछ लोगों ने चमारों के साथ अक्टूबर १६५७ में मारपीट की और उनका अनाज भी गाड़ियों में भर कर ले गये ?

(२) इसमें कितने हरिजन आहत हुए और इस मामले में कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि इस मामले में पंचायत के सदस्यों का भी हाथ था ?

(४) इन हरिजनों के रक्षार्थ सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) जी हां।

(२) ६ हरिजनों को साधारण चोटें आईं एवं ६ व्यक्तियों को इस कारण बन्दी बनाया गया।

(३) अभियुक्तों में से एक तो पंचायत का क्लर्क तथा एक ग्राम पंचायत डिवाना का मेम्बर है।

Page No.32

(श्री रामकिशोर व्यास)

(४) अभियुक्तों का चालान करने के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दफा १०७ की कार्यवाही की गई है।

श्री बहादुरसिंह : भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : भविष्य के लिये तो कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : इसकी कार्यवाही कब से जारी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो उनकी रिपोर्ट हुई तभी से मुकद्दमा दर्ज किया गया और उसकी कार्यवाही तभी से जारी है।

श्री मूलचंद डागा : मुकदमा किस सेक्शन में दर्ज किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : ३९९ आई० पी० सी०।

श्री मदनसिंह : यह मारपीट क्यों हुई ? वह हरिजन थे या कोई दूसरा कारण था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो झगड़ा था वह यह था कि उनका अनाज भी उठाकर ले गये थे।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, सरकार इसकी क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी रोकथाम की जाती है। अब कोई झगड़ा नहीं है इसलिए कोई सवाल खड़ा नहीं होता।

प्रश्न संख्या ६१४

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह मसूदा।

(अनुपस्थित)

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर

राजस्थान की राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) Is it correct that the Rao Committee had already submitted its report to the Government of India, Ministry of Home Affairs, regarding the selection of site for the permanent location of the seat for the State Capital ?

(b) Is it correct that the Government of India, Ministry of Home Affairs, have communicated to the Chief Minister the recomendations of the Committee ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (a) Yes, please.

(b) Yes, please.

श्री पी० के० चौधरी : what are the contents of the report ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I would just submit this within 10 minutes.

श्री अध्यक्ष : Would you circulate it ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Yes. Sir.

श्री अध्यक्ष : That is all right.

Page No.33

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं जिसकी मुख्य सिफारिशें इस रिपोर्ट के पेज ४७ पर दी गई हैं, वे यह हैं:—

1. The Capital should not be shifted from Jaipur.

2. The permanent seat of the High Court should continue to be at Jodhpur.

3. The existing Bench at Jaipur should be abolished and there should be no Benches of High Court.

4. The Public Service Commission, Board of Secondary Education and the Board of Revenue may be shifted to Ajmer."

(उक्त प्रतिवेदन विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री श्रीमानसिंह : Very damaging to the Finance Minister.

अनेक माननीय सदस्य : Damaging ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : अब बजट पर सामान्य वाद-विवाद होगा।

श्री धर्मपाल पंवार : माननीय अध्यक्ष, एक प्रश्न मेरा रह गया ?

श्री अध्यक्ष : आप बहुत देर से आये।

१२. १५ म० प०

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह का भाषण कल हो रहा था और आज से ऐसी व्यवस्था की गई है कि भाषण के समय की अवधि १५ मिनट निश्चित की जायेगी। श्री भैरोंसिंह अपना भाषण १५ मिनट में समाप्त करें। फिर यह अवधि आगे के लिए भी जारी रहेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह १५ मिनट की अवधि सबके लिए है ?

श्री अध्यक्ष : जी हां, सब के लिए है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : (पूर्व क्रम से जारी) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट भाषण में जो मुख्य बात कही गई है वह योजना के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रसंग के लिए यदि मैं बजट भाषण का पैराग्राफ ६६ पढ़ कर इस सदन को बताऊं तो सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम होगा कि हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना में कितनी और किस प्रकार से प्रगति हुई है। उसमें लिखा है कि :

"प्रथम पंच वर्षीय योजना का लक्ष्य आर्थिक ढांचे के आधार को मजबूत करना था। अधिक उत्पादन तथा अधिक रोजगार पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रमों में सिंचन, कृषि व विद्युत-शक्ति पर पूंजी की भारी लागत सम्मिलित थी। प्रथम योजना की कुल मिलाकर सफलता यह हुई है कि जाति-हीन, वर्ग-हीन तथा विशेषाधिकार-विहीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की नींव पड़ गई है जिसमें स्वाधीनता तथा लोकतंत्र सुनिश्चित हो गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा इस प्रकार की थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सारी रूप-रेखा देखने से ऐसा पता लगता था कि हमारा यह लक्ष्य था कि हमें अपने देश का उत्पादन

(श्री भैरोंसिंह)

बढ़ाना है, प्रान्त में कृषि की पैदावार बढ़ानी है और इस प्रकार के उद्योग-धन्धे भी पनपाने हैं कि जिससे बेरोजगारी दूर हो, लोगों को काम-धन्धा मिले लेकिन मुझे एक बात की तारीफ करनी चाहिए कि माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने इस सारी सफलता का मूल्यांकन केवल तीन लाइनों में ही कर दिया और यह कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के कारण हमने प्रान्त में एक वर्ग हीन राज्य स्थापित कर दिया है जो प्रजातंत्र को सुदृढ़ करने के लिए काफी है। अध्यक्ष महोदय, केवल इस प्रकार के वाक्यों से लोगों को किसी प्रकार की कोई सांत्वना मिलती हो, मैं समझता हूं कि यह ऐसी बात नहीं है। सांत्वना तो उस समय मिलती जिस समय कि राज्य के अन्दर कृषि की पैदावार बढ़ती और जितनी हमने कृषि में पैदावार बढ़ाई है और इसके लिए जितने हमारे आंकड़े थे वे सारे के सारे आंकड़े या जो लक्ष्य था उस तक हम पहुंचते। लेकिन हम देखते हैं कि राज्य के अन्दर अकाल की स्थिति है, राज्य में अनाज की कमी की स्थिति है। हम राज्य के अन्दर कृषि के उत्पादन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम हैं। लेकिन इस बजट के आकड़ों को देखने से ऐसा मालूम होता है कि अभी तक ऐसी भी मदें हैं जिनके अन्दर विकास की आवश्यकता थी, विकास हो सकता था लेकिन उनमें विकास नहीं हुआ। भू राजस्व में, वैज्ञानिक विभाग में, कृषि में, पशु-चिकित्सा में, सामुदायिक विकास में, नागरिक-निर्माण-कार्य में अकाल राहत कार्य में, बिजली योजनाओं में, उद्योग तथा रसद आदि में, सभी मदों में खर्च हुआ है। उस कम खर्च का कारण हमारी राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार का उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में आया है और राज्य सरकार की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया है वह संतोष व्यक्त नहीं कर पाये हैं। एक तरफ राज्य सरकार इस बात को अच्छी तरह से महसूस करती है कि प्रान्त में इस हद तक बेकारी बढ़ी हुई है और उसको रोकने के लिए हमें लोगों को धन्धा देना चाहिए। एक तरफ यह भी कहते हैं कि हमारे पास जो धन था और उसे हमें जिन चीजों में खर्च करना था, जो लोगों को धन्धा प्रोवाइड करना था वह हमारी सरकार नहीं कर सकी और इसका कोई कारण नहीं, बल्कि हम नयी नियुक्तियां नहीं कर सके। अध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर अनाज की जिस प्रकार की स्थिति है वह स्थिति आज किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके लिए हमारी भारत सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि एक जोन से दूसरे जोन में अनाज नहीं जाये। इस प्रकार की व्यवस्था का स्वागत हमारी राजस्थान सरकार को करना चाहिए था। यदि इस प्रकार का स्वागत राजस्थान सरकार की ओर से होता तो जो यह आज हमारे राज्य में अनाज के अभाव की स्थिति है वह इस प्रकार की परिस्थिति में और इस ढंग से नहीं होती। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी राज्य सरकार की ओर से एक अजीब प्रकार का बहाना लेकर इस राज्य के बाहर भी यहां के अनाज को भेजने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने कोटा के एक व्यापारी को और वहां के ही दूसरे व्यापारियों को अनाज बाहर भेजे जाने के लिए परमिट दिया। उन्होंने यह राज्य सरकार से कहा कि इस वर्ष मैंने अकाल के कामों में राहत पहुंचाने के लिए जो राज्य सरकार से अनाज लिया है वह मेरे गोदामों में पड़ा हुआ है और उसमें घुन लग रहा है और अगर वह अन्न आगे के लिए पड़ा रहा तो खराब हो जायेगा। उसने कहा और दरख्वास्त दी कि जो अनाज मेरे पास पड़ा हुआ है उसको बेचने के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

परमिट दिया जाय। मगर अध्यक्ष महोदय, अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि उन व्यापारियों को न केवल राज्य सरकार ने इन्कार किया बल्कि भारत सरकार ने भी मना कर दिया लेकिन जहां भारत सरकार इन्कार करे वहां हमारी राजस्थान की राज्य सरकार ने एक व्यक्ति को एक ऐसी फर्म के नाम से जिसका वहां कोई एग्ज़िस्टेन्स नहीं है उसे परमिट दिया और वहां से उसने १८७३१ मन बंगाली तौल गेहूँ बंगलोर को एक्सपोर्ट कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह परमिट दिया गया और परमिट देने के बाद जब यह अनाज लादा गया बाहर भेजने के लिए तो इसकी शिकायत जनता ने कलेक्टर को की और अन्य ऑफिसरों को भी शिकायत की और यह कहा कि जिस अनाज के लिए परमिट दिया गया है उसका तो विक्रय पहले ही हो चुका है और उससे जितना लाभ उसके मालिक को उठाना चाहिए था वह उठा लिया है और वहां का जो काठिया लाल बीज है, लाल गेहूं है और वह वहीं के एक महावीर ट्रेडिंग कम्पनी से खरीद कर उसे बंगलोर भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। शिकायत देखकर जब कलेक्टर पहुंचा और दूसरे अधिकारी पहुँचे तो अधिकारियों ने देखा कि वह गेहूं वहां की एक कम्पनी से खरीदा गया था। उस दिन तो वह गेहूं वहीं पड़ा रहा और स्टेशन पर पड़ा रहा। मगर कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि सरकार के प्रति रोष की भावना पैदा हुई, तो सरकार ने यह कहा कि इसको वापिस दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार अगर न्याय को पसन्द करती है, यदि ईमानदारी से काम करने की कोशिश करती है, हमारी सरकार यदि नैतिकता का ढिंढोरा पीटती है तो जो व्यक्ति इस बारे में राज्य सरकार से १८ हजार मन गेहूँ को बाहर भेजने का इस तरह से परमिट ले उसका अनाज ही केवल वापिस नहीं होगा बल्कि जो कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ हो सकती थी वह भी की जानी चाहिए थी। लेकिन कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई। कानूनी कार्यवाही के स्थान पर रेल्वे डेमरेज जो हो सकता है वह राज्य सरकार ने बर्दाश्त किया। रेल्वे को कलेक्टर ने टेलीफोन कर दिया कि अनाज को रिलीज़ कर दो। राज्य सरकार को धोखा देकर, राज्य सरकार को मुगालता देकर अनाज को एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की गई है उस चीज़ को रोकने का तरीका यह है कि डेमरेज चार्ज किये बिना ही अनाज को जब्त करके कानूनी कार्यवाही हो सकती थी। यह सारी कार्यवाही राज्य सरकार को करनी चाहिए थी, वह कार्यवाही नहीं की। एक कानून और एक व्यवस्था के मातहत एक व्यापारी के साथ एक प्रकार का दृष्टिकोण; और दूसरे व्यापारी के साथ दूसरा दृष्टिकोण भारत सरकार का एक काम के लिए एक दृष्टिकोण और राजस्थान सरकार का उसी काम के लिए दूसरा दृष्टिकोण ! मैं समझता हूं कि हम सब मिलकर प्रयत्न करते हैं कि राजस्थान की खाद्य स्थिति ठीक हो और राजस्थान के बाहर किसी प्रकार का एक्सपोर्ट नहीं है। लेकिन बद-किस्मती इस बात की है कि कानून होने के बावजूद, सारी व्यवस्था होने के बावजूद कुछ लोगों के इन्ट्रेस्ट्स हैं उन इन्ट्रेस्ट्स को कमाने के लिये, उन इन्ट्रेस्ट्स का लाभ उठाने के लिए १८००० मन गेहूँ का परमिट बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए दे दिया जाता है और उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा

(श्री भैरोंसिंह)

कि राज्य सरकार एम्प्लॉयमेंट के विषय में इस प्रकार से लोगों को धोखे में रखे हुए है कि जिसके ऊपर इस बात का संदेह होता है कि राज्य सरकार के सामने इस प्रकार की कोई योजना नहीं है या राजस्थान सरकार इस समस्या को दूर करने में असमर्थ है। माननीय अध्यक्ष, भारत सरकार ने सन् १९५० में एक सॉल्ट एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की थी। उस सॉल्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस प्रकार की व्यवस्था दी थी कि सांभर, डीडवाना और पंचभद्रा में इन तीन स्थानों में नमक पैदा होता है उसके नमक के बीटल्स बचते हैं उन बीटल्स के अन्दर से सोडियम सल्फेट निकालने के लिए हमें व्यवस्था करनी है, और उसी व्यवस्था को सामने रखकर उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक सेन्ट्रल सॉल्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट सांभर में स्थापित किया जाय। मैं नहीं कहता कि सन् १९५० की इस प्रकार की सिफारिश को सन् १९५७ में क्यों नहीं लागू किया गया, किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि उसी कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की थी कि भारत के अन्य भागों के अन्दर; जैसे बम्बई, मद्रास और उड़ीसा में इन तीन स्थानों में बम्बई में ३, उड़ीसा में १ और मद्रास में ३, इस प्रकार सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के साथ साथ फील्ड इन्स्टीट्यूट्स भी कायम किये गये थे। राजस्थान में सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट और वहां पर फील्ड इन्स्टीट्यूट पर कायम करने की बात थी। लेकिन राजस्थान सरकार, की मैं यह कहूंगा कि दूरन्देशी नहीं होने के कारण या राजस्थान की जनता की बदकिस्मती होने के कारण वह इन्स्टीट्यूट, सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, राजस्थान के सांभर में नहीं होकर वह सौराष्ट्र के अन्दर भाव नगर में गया। भावनगर के बारे में एक्सपर्ट कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की थी। एक्सपर्ट कमेटी ने राजस्थान में सांभर में इस प्रकार की इन्स्टीट्यूट कायम करने की सिफारिश की थी। मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन राजस्थान सरकार के माननीय मुख्य मंत्री इस संबंध में अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करेंगे.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह सिफारिश कब की थी ?

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट ऑफ सॉल्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसका पेज मैं बता दूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सन् कौन सा है ?

श्री भैरोंसिंह : १९५० ; समय नहीं है, नहीं तो पढ़ कर सुना देता।

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जहां पर इस प्रकार की इन्स्टीट्यूट की सिफारिश नहीं थी उस प्रान्त ने न मालूम किस प्रकार का प्रभाव डाला कि राजस्थान की मांग थी वह पूरी नहीं है और ऐसी मांग सौराष्ट्र के भाव नगर में इन्स्टीट्यूट स्थापित करवा कर पूरी की गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि हमारी राज्य सरकार को यह मुगालता हो रहा है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में नमक के संबंध में जो समझौता है वह नमक का समझौता वहां बीटल्स पर भी लागू है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के साथ जो समझौता हुआ है, वह केवल नमक के लिए है न कि नमक निकालने के बाद में जो सारी चीजें हैं उन पर। बीटल्स जिनसे कि सोडियम सल्फेट निकाल सकते हैं

(श्री भैरोंसिंह)

उनके लिए समझौता नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसा मुगालता नहीं हो तो अच्छी बात है। सरकार की जानकारी के लिए मैं यह कहूं कि सन् ४५ में इस संबंध में भारत सरकार और सांभर शामलात में इस प्रकार की बात चल रही थी, उस समय यह निर्णय हुआ था कि भारत सरकार के अधिकार में केवल नमक है, वहां के बीटल्स पर उनका अधिकार नहीं है। लेकिन अफसोस है कि सन् ४५ से ही नहीं, काफी समय पहले से सांभर, पचभद्रा और डीडवाने में इस प्रकार के रिज़र्व हैं कि जिनके बीटल्स से सोडियम सल्फेट निकाला जा सकता है और उस जगह फेक्ट्री स्थापित की जा सकती है और हजारों लोगों को काम-धन्धे पर लगाया जा सकता है, लेकिन अफसोस है इस बात का कि राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मैं यह कहूंगा कि राज्य सरकार एक दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रही है। हमारी सरकार चाहती है कि इन बीटल्स से जो आगे प्रोड्यूस है उसको निकालने के लिए सरकारी स्तर पर फेक्ट्री कायम नहीं हो, सरकारी इन्स्टीट्यूट कायम नहीं हो बल्कि प्राइवेट पार्टीज़ को धन्धा दिया जाय। आज लगभग डेढ़ वर्ष से डीडवाना में पदमपत सिंघानिया से बातचीत चल रही है। सांभर में बीटल्स के काम के लिए शांतिप्रसाद जी जैन से बातचीत चल रही है। वह दिन आता यदि भारत सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह उनको दे दिया जाता, लेकिन न मालूम किसी व्यक्ति ने भारत सरकार को सूचना दी और भारत सरकार के हस्तक्षेप करने पर जिन लोगों के पक्ष में इस प्रकार की यह व्यवस्था होने जा रही थी, लेकिन भारत सरकार की मनाही के कारण वह चीज़ यों की यों ही रख दी गई।

अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २० लाख रुपये इस बात के लिए निर्धारित हुए हैं कि वहां पर एक रिसर्च इन्स्टीट्यूट कायम की जाय। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्लानिंग कमेटी बनाई गई है और उस प्लानिंग कमेटी के हमारे यहां से श्री ए. के. राय, मैं समझता हूँ डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी हैं, रिप्रेज़ेन्टेटिव हैं राजस्थान की ओर से। लेकिन न मालूम आज तक क्यों पंचवर्षीय योजना के दो वर्ष समाप्त हुए लेकिन अभी तक उस कमेटी के द्वारा बताई गई उस रिसर्च इन्स्टीट्यूट के बारे में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही आगे हो रही हो वह नज़र नहीं आती। मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही जहां एक तरफ हम इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट से लोगों को धन्धा देना चाहते हैं, उन सारी बातों पर परदा डालने वाली यह चीज़ है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है कि १०० या २०० आदमियों को धन्धा देने वाली फैक्ट्री हो, बल्कि इस प्रकार की फैक्ट्री है, इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें हजारों आदमियों को धन्धा मिलेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका मतलब इन्स्टी-ट्यूट फैक्ट्री से है।

श्री भैरोंसिंह : इन्स्टीट्यूट से नहीं बल्कि बीटल्स से सोडियम सल्फेट जो बनाया जायगा और उससे जितने लोगों को धन्धा मिलेगा उससे है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात, एक शिका-

(श्री भैरोंसिंह)

यत और करना चाहूंगा । राजस्थान में नमक बनता है उस नमक के केमिकल एनेलेसिस के बारे में साल्ट के एक्सपर्ट की ऐसी व्यवस्था है कि सन् ५१ के बाद जो साल्ट बने उसमें ६१ प्रतिशत प्योरिटी होनी चाहिए । सन् ५२ में जो सॉल्ट बने उसमें ६२ पर्सेन्ट प्योरिटी होनी चाहिए, ५३ के अन्दर जो सॉल्ट बने उसमें ६३ प्रतिशत प्योरिटी होनी चाहिए और इस प्रकार से १६५७ के अन्दर जो साल्ट बने उसमें ६६ प्रतिशत प्योरिटी होनी चाहिए । इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार की नहीं, बल्कि भारत सरकार की है । इसी साल्ट एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर दिया हुआ है कि इस प्रकार से जो प्राइवेट फर्म्स जो कि दूसरी जगह काम कर रही हैं, काठियावाड़ में प्राइवेट फर्म्स इस प्रकार का काम कर रही हैं, उनके नमक की प्योरिटी १६५१ में साढ़े ६१ प्रतिशत थी और कानून के अनुसार ६२ पर्सेन्ट होनी चाहिए थी तो भारत सरकार के साल्ट कमिश्नर ने इन्कार कर दिया कि नमक में आधा पर्सेन्ट प्योरिटी की कमी भी हो तो वह नमक ह्यूमन कन्जम्प्शन के काबिल नहीं है, ह्यूमन कन्जम्प्शन के काबिल नहीं होने के कारण उसका सोडियम सल्फेट निकाल लिया जाय लेकिन जनता को खाने के लिए नहीं दिया जाय । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ५६-५७ में डीडवाने में ७ लाख मन नमक इस प्रकार का था कि जिस नमक में ६५ प्रतिशत प्योरिटी थी और कानून के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के अनुसार, उस जगह साढ़े ६५ प्रतिशत होनी चाहिए थी । उसी भारत सरकार के साल्ट कमिश्नर ने राजस्थान के लिये अलग प्रकार की व्यवस्था देदी । भारत सरकार ने मना किया था कि इसको कहीं बेचा नहीं जाय, it is not for human consumption लेकिन डीडवाना में जाकर देखेंगे तो ६० लाख मन नमक का कहीं पता नहीं है । इस नमक को बाजार में बेचा गया, साल्ट इन्सटीट्यूट ने बाजार से इस नमक को खरीद कर पता लगाया तो ७१ पर्सेन्ट ही निकला । मैं जल्दी जल्दी में ही सही, लेकिन मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक तरफ नमक का मामला है और दूसरी तरफ भारत सरकार का मामला है जिसने कहा था कि यह इम्प्योर है ह्युमन कंज़म्पशन के काम का नहीं है; लेकिन वहां के अधिकारियों ने भारत सरकार की आज्ञा की परवाह नहीं की और ह्युमन कंज़म्पशन के काबिल नहीं होते हुए भी, उसका ख्याल नहीं रखते हुए बेचा । अंत में ऐसी स्थिति आती है कि डीडवाने के नमक को प्योर नहीं बना सकते इसलिये ३० मार्च, ५८ को एक आदेश जारी होने वाला है ऐसा पता चला है, सूचना दे दी गई है कि नमक बनाने का काम बंद कर दिया जाय । एक तरफ इस नमक के काम को बंद किया जाता है तो नमक का काम करने वाले हजारों लोगों के रोटी-रोजी का क्या हाल होगा ? ३० मार्च अभी दूर है । इस बीच में राजस्थान सरकार को प्रयत्न करना चाहिये । भारत सरकार हमारे यहां लेसी की हैसियत से काम कर रही है, वह अच्छा नमक नहीं बना सकती अपनी गलती के कारण । लेसी की हैसियत से भारत सरकार को नोटिस देना चाहिये कि या तो अच्छा नमक बनाओ नहीं तो राजस्थान सरकार को सौंपो ।

(समय—समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें और कहनी रह गई हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका समय पूरा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : अंत में मैं इतना सा कहूंगा कि इस बजट से जनता को उत्साह मिले ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार हम अपेक्षा करते थे यह सबको निराशा देने वाला बजट है। यदि इसमें आवश्यक सुधार नहीं किया गया तो राजस्थान सरकार का भविष्य कितना अंधकारमय होगा यह तो भविष्य ही बतायेगा, लेकिन इससे किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता है।

राजा श्री मानसिंह : Yesterday, there were certain allegations made by the hon'ble member regarding the cheques which were distributed to Congress candidates. we would like to have those details with your permission, Sir.

श्री अध्यक्ष : It is no time for details. He gave what was thought fit by him.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, किसी प्रान्त का बजट उस प्रान्त के वार्षिक आय-व्यय का व्योरा तो होता ही है लेकिन उस प्रान्त के विकास और प्रगति का भी द्योतक होता है। हम बजट के लिये बोलते समय उसकी आलोचना करना या उसकी तारीफ करना दोनों ही बातें मान सकते हैं, लेकिन हमें बजट को समालोचना की दृष्टि से देखना चाहिये। मैं मानता हूं कि जो बजट इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया है वह ऐसा बजट है जिसको तीन प्रकार की दृष्टि से देखा जा सकता है। कहते हैं, "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी"। यह त्रिमूर्ति दर्शक बजट है जिसको कुछ लोग कहते हैं कि घाटे का बजट है, कुछ लोग कहते हैं यह बचत का बजट है और कुछ यह भी कहते हैं कि यह संतुलित बजट है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट एक साधारण बजट है और कुछ संतोषप्रद बजट भी है। मुझे एक छोटा सा दृष्टान्त याद आता है। एक समय एक दर्पण एक हब्शी के हाथ लग गया। उसने उस दर्पण में अपना मुंह देखा और देखते ही उसने उस दर्पण को यह कहकर फेंक दिया कि यह तो भूत है। मैं विनय के साथ निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो एक वर्ष का दर्पण हमारे सामने राजस्थान का बजट पेश हुआ है उसको जिस प्रकारसे देखना चाहते हैं उसी प्रकार से देख सकते हैं। यह तो वित्त मत्रीजी की कला का द्योतक है। मैं उन सब सदस्यों के प्रति आदर प्रकट करता हुआ, जिन्होंने इसकी आलोचना की है, यह कहना चाहता हूँ कि हमें वे बातें भी देखनी पड़ेंगी जो वास्तव में संतोषप्रद हैं। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे यहां अन्न उत्पादन में १ लाख ६० हजार मन की वृद्धि होने वाली है, इसे देख कर हमें संतोष मानना होगा, हमारे प्रशासनिक खर्च में ३० लाख की बचत होगी उससे भी हमें संतोष मानना होगा, जब हम देखते हैं कि हमारे समाज कल्याण के कार्य के लिये सन् ५१ में ४५४.६१ खर्चा होता था और अब उस पर १४२८.४३ हजार का खर्चा होगा तो हमें मानना चाहिये कि हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। जब हम देखते हैं कि सन् ५१ में जन हित के लिये ७५६ लाख रुपये खर्च हुए और उसकी जगह अब ३०८० लाख रुपये खर्च हुए तो उसकी सराहना करनी चाहिये। यह भी मानना होगा कि कुछ मदों में जन कल्याण

Page No.40

(श्री शंकरलाल)

कार्यों के लिये खर्चा बताया गया है वह वास्तव में कम है।

जहां तक पीने के लिये पानी का प्रश्न है अर्बन एरिया में ६५ लाख का खर्चा बताया है और गांवों के लिये कुल २६ लाख का खर्चा बताया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं और अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं होता और कोसों दूर से पानी लाया जाता है। जब जल बोर्ड कायम हुआ था तब उससे पानी के लिये कुछ व्यवस्था की गई थी और उससे लोगों को लाभ हुआ था, लेकिन कई कूए अधूरे पड़े हैं। आज जनतन्त्र के जमाने में लोग अनुभव करते हैं कि पीने के लिये पानी उपलब्ध नहीं होता। तो यह जो धन-राशि गांवों में पानी के लिये रखी गई है वह कम है, ऐसा मानना चाहिये। मैं वित्त मन्त्रीजी से विनय करूंगा कि यह आवश्यक, अतिआवश्यक और अनिवार्य चीज़ है इसको देखें और पानी के लिये अधिक खर्च करने का प्रावधान बजट में रखें।

अध्यक्ष महोदय, जब विकास की दृष्टि से देखते हैं तो भौतिक विकास का ही ख्याल आता है। जब वित्त मन्त्रीजी के द्वारा बजट सदन में प्रस्तुत हुआ तब यह आशा करते थे कि हमारे पूजनीय गांधीवादी वित्त मन्त्री जी के द्वारा आध्यात्मिक विकास का भी संकेत किया जायगा। अध्यक्ष महोदय, इस बात को नहीं भूल सकते जब सदस्यों द्वारा खामियों की ओर ध्यान दिलाया गया, भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया गया लेकिन आपसी बातचीत का स्तर देखता हूं तो माननीय सदस्यों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहूंगा कि उनके द्वारा जो शब्द उपयोग में लाये जाते हैं उनका जनता पर क्या असर पड़ेगा और आगे आनेवाली संतानों पर क्या असर पड़ेगा व विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ेगा, मैं आदरपूर्वक कहूंगा कि उनका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ताल्लुक हमारे चरित्र और आध्यात्मिक विकास से है। हम कूए खुदवाते हैं, तालाब बनाते हैं, स्कूलें खोलते हैं इसमें करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जहां एक तरफ भौतिक विकास होता है वहां दूसरी तरफ आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो यह विकास अधूरा रहेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में जो कमी महसूस होती है और जिस चीज़ के लिये हम यह महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में चरित्र में जो आध्यात्मिकता आनी चाहिये उसकी कमी है और हम भारतीय प्राचीन संस्कृति के बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है, मैं यह नहीं कहता कि किसी एक की तरफ बढ़ा जाय और उसके लिये पैसा खर्च किया जाय लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईमानदारी और सत्य की भावना है वह केवल कानून बनाने से या एन्टी-करप्शन बोर्ड कायम करने से ही नहीं आ सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हमारे जीवन स्तर को समाज में उठाना है तो हमें आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को प्रचलित करना पड़ेगा। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, अन्य विषयों की उसी प्रकार उनको एक घंटे तक इस चीज की शिक्षा देनी चाहिये जिसमें ऐसी चीज़ बताई जावे जिनसे जीवन में सत्यता उतारी जा सके। कौनसा ऐसा धर्म है जिसमें ये बातें नहीं होती हैं? मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कहता लेकिन प्रत्येक धर्म वाले सत्य को मानते हैं और सत्य का

(श्री शंकरलाल)

नारा लगाते हैं । चाहे मुस्लिम हों, हिन्दू हों या ईसाई हो प्रत्येक ने सत्य को महत्व दिया है। यह एक ही धर्म की बात नहीं है, यह जीवन के जरूरी विकास की बात है। जीवन में भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास को भी दृष्टिगत रखना पड़ेगा। स्कूलों में एक पीरियड कम्पलसरी रखा जाय जिसमें आध्यात्मिक बातों का प्रचार हो । मैं यह नहीं कहता कि प्रशासन चलाने वाले लोग या कर्मचारी भ्रष्ट हैं, सब के सब भ्रष्ट नहीं हैं, कुछ भ्रष्ट हैं कुछ भ्रष्ट नहीं भी हैं। लेकिन आवश्यकता यह है, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी कम से कम ऐसा समय निर्धारित किया जाय: एक घंटा, जिस समय में उनको उनके जीवन के स्तर की तरफ, भाषणों के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा जो बिल्कुल अराजनैतिक हो, आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर हो, ध्यान दिलाया जाय, जिससे मनुष्य के जीवन के अन्दर, उसकी आत्मा के अन्दर एक भाव पैदा हो कि उन्हें भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए और प्रत्येक को ईमानदार बनना चाहिए । यह काम केवल कानूनों से या एन्टीकरप्शन विभाग से नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्य सरकार द्वारा किये जा सकते हैं और बड़े बड़े सम्मेलन बड़े बड़े फंक्शन्स इस प्रकार के रखे जा सकते हैं जहां पर बड़े बड़े महापुरुषों के; स्वामी विवेकानन्द, स्वामी राम तीर्थ, चाहे मुसलमान धर्म के हों, चाहे क्रिश्चियन धर्म के हों, इसमें किसी धर्म की बात नहीं है, कि जीवन को लेकर उन्हें ईमानदारी की, ऑनेस्टी की ओर सत्यता की बात बतलाई जाय और इस प्रकार का प्रचार और प्रसार सामाजिक जीवन में होना अत्यन्त आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, जब तक आध्यात्मिक विकास का हमारे बजट के द्वारा, या हमारी राज्य सरकार के द्वारा प्रचार व प्रसार नहीं होगा, मैं दावे के साथ निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारा जो विकास होगा, जो प्रगति होगी, वह केवल एक दृष्टिकोण से प्रगति होगी और मानव-जीवन की प्रगति की तराजू का एक पलड़ा भारी होगा और एक नीचा होगा । आज हम भौतिक विकास की तरफ ही चलते जाना चाहते हैं लेकिन हमें अध्यात्मिक दृष्टिकोण को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा माननीय वित्त मंत्री से कि हमारे बजट में कुछ इस प्रकार के प्रचार व प्रसार का प्रावधान रखा जाय, जिसके द्वारा राजस्थान के सामाजिक जीवन को ऊंचा उठाने की, राजस्थान के जीवन स्तर को उठाने की कोशिश की जाय....

श्री मदनसिंह दांता : ऐसी व्यवस्था है संघ में, आप उसके साथ आ जायं ।

(हंसी)

श्री शंकरलाल : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के भाषणों से मालूम होता है और कभी कभी देखता हूं कि जिस संघ का नारा लगाया जाता है, उस संघ के माननीय सदस्य किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं...

श्री मदनसिंह दांता : मुझे १०-१५ दिन ही हुए हैं ।

श्री शंकरलाल : जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । तो केवल मैं संघ के लिए ही नहीं मान सकता क्योंकि वह एक राजनैतिक संघ है और उस संघ के अगुआ और नेता, माननीय सदस्य, अपने को बत-

(श्री शंकरलाल)

लाना चाहते हैं, वे इस प्रकार की इस सदन में बात कहते हैं, मैं नहीं कहता, वह बुरी बात है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों को वे आवेश में आकर कहते हैं, उससे विश्वास नही किया जा सकता कि इस प्रकार के संघ में आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है । अध्यक्ष महोदय, यह इन्टरप्शन आ गया, इसलिए बीच में बात बता दी है । लेकिन मैं कह रहा था कि राजस्थान के अन्दर भौतिक विकास के साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास की कुछ प्रवृति के लिए प्रचार व प्रसार करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के सम्बन्ध में थोड़ी बहुत बात अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बतलाऊं तो कोई बुरी बात नहीं होगी । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पाली जिले के अन्दर रायपुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें इस प्रकार का इलाका आया हुआ है, जो करीब ३ है, वह पहाड़ी इलाका है, कुछ रेतीला इलाका है, ऊबड़ खाबड़ इलाका है, जहां बड़ी बड़ी डकैतिया होती थीं और दुराचार और अत्याचार होते थे । मैं राज्य सरकार को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि शांति की दृष्टि से इस इलाके में काफी शांति है । इस सदन के माननीय सदस्य कल इस बात को कह रहे थे कि पुलिस के आदमियों के लिए, जो इस प्रकार की चोरी कराते हैं, इतना प्रावधान रखा गया है । साथ ही मैं उनको बताऊं कि राजस्थान में जो व्यवस्था बनी है शांति की, जो डाकू मारे गये हैं, इसके लिए दूर क्यों जाये, कल परसों की घटना है कि किस प्रकार पुलिस के एक सुपरिन्टेन्डेन्ट ने किस प्रकार की बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला किया और डाकुओं का सफाया किया ।

(थपथपाहट)

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पुलिस में सुव्यवस्था हो रही है और शांति की व्यवस्था हो रही है, हमारे पुलिस के कर्मचारी मौत से नहीं घबड़ाते । इसलिए हमें इसमें दोनों ही बातें देखनी होंगी, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, कल ही एक माननीय सदस्य अपने भाषण में बता रहे थे, मुझे और सदन को बता रहे थे कि हमारी सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, अविश्वास के उदाहरण उन्होंने बताये । मैं नहीं कहता कि सरकारी कर्मचारियों के तबादले इस तरह होते हैं या नहीं होते, लेकिन यह दूसरी बात है । लेकिन हमें देखना है कि बजट में कहांतक शांति और व्यवस्था को बनाये रखने का प्रावधान है और उसके जरिये क्या बात वे बताना चाहते थे, मैं नहीं कह सकता । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने यह बताया था कि लोगों के अन्दर सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, मैं दावे के साथ, जहां तक मुझे व्यक्तिगत एक्सपीरियेन्स है, यह बताना चाहता हूं, जिस समय वे माननीय सदस्य स्वयं मुख्य मन्त्री थे, उस समय पाली जिले के इलाके में एक जगह कोशेलाव है, वहां पर डकैती होने वाली थी, छापे छप गये थे, लोग भयभीत होकर बाहर जा रहे थे, उस समय हम एक डेपुटेशन लेकर मुख्य मन्त्रीजी के पास आये थे । कल जिस समय माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहा है, उसी समय मुझे यह बात, जो मैं बताना चाहता हूं, स्ट्राइक कर गई थी । तो हम उनके पास गये, उन्होंने दो घन्टे तक हमें मिलने का समय तक नहीं दिया । उसी समय भारत सरकार

(श्री शंकरलाल)

के डिफेन्स मिनिस्टर, श्री आयंगर दो तीन दिन के लिए आने वाले थे, उनसे किसी प्रकार कोशिश करके मुलाकात की। जिस समय उनके पास कुछ केबीनेट मिनिस्टर राजस्थान के बैठे हुए थे, उनसे हम मिले और उन्होंने हमारी बात सुनकर प्रबन्ध किया और वहां एक पुलिस टुकड़ी भेजी गई।

(घंटी)

उस समय जो भावना थी, उसको देखते हैं और आज देखते हैं तो ज्ञात होता है कि पाली जिले के अन्दर और दूसरे इलाकों में शांति और व्यवस्था है।

(थपथपाहट)

आज हमें सरकार के प्रति पूर्ण विश्वास है, उस समय विश्वास नहीं था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार में हमारा विश्वास है, जनता को विश्वास है और जनता ने अभी अभी विश्वास प्रगट किया है। मैं कल देख रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस समाप्त होने के बाद भी इस प्रकार का भ्रम रह गया है और माननीय सदस्य उसी प्रकार की बात कह रहे हैं; लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में जो खास चीज है, जो बताने जैसी चीज है, जो बजट में कमी है उसे बताना चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो बजट है वह एक साधारण बजट है और समय को देखते हुए सन्तोषजनक बजट भी है लेकिन इसमें प्रगति और तेजी की जरूरत है। जिस प्रकार समाज में व्यवस्था और शान्ति चाहते हैं उसी प्रकार इस बजट के अन्दर गरीबों के लिए कुछ हो,

(‹ ी)

झोपड़ियों के लिए कुछ हो, उन लोगों के लिए कुछ हो जो लोग देखते हैं कि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इन चीजों को देखते हुए हमें देखना पड़ेगा कि जो कुछ कमी रह गई है उसे दूर करने के लिए सुझाव देना चाहिए। जो भिक्षा-वृत्ति की समस्या है..........

श्री अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

(अनेक माननीय सदस्यों के भाषण देने लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

एक माननीय सदस्य : आपकी दिव्य दृष्टि बैक बैंचेज़ पर भी पड़नी चाहिए।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन से लगातार बजट पर बहस जारी है, आज बहस का तीसरा दिन है परन्तु जैसा कि सारा सदन सुन रहा है, बजट पर बहस का मुख्य विषय यह चल रहा है कि किस किस प्रतिनिधि की कॉन्सटीट्यूएन्सी में क्या कमी है? जहां तक मैं समझ पाया हूं बजट की बहस का खास मुद्दा होता है कि गवर्नमेंट ने जो बजट बना कर रखा है, उसमें किस प्रकार की कमी है, उन कमियों को दूर करने के लिए सुझाव देने चाहिए। यह बजट पर वाद-विवाद का मुख्य विषय होता है लेकिन सदन में चर्चा कुछ दूसरी ही चल रही है। मैं समझता हूं कि किसी कल्याणकारी राज्य के बजट के आंकते समय हमें विशेष तौर से यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम निर्माण कार्य के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं? किसी घर का बजट बनाते समय, किसी दुकान या फैक्ट्री का बजट बनाते समय इस बात को ध्यान में

(श्री लच्छूराम)

रखा जाता है कि कुल आमदनी कितनी है और इस आमदनी में जो खर्चा करना होगा, उस खर्चे को हमें किस प्रकार से करना होगा। इसी प्रकार किसी कल्याणकारी राज्य का बजट बनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि निर्माणकारी कार्यों में कितना खर्च करेंगे और उसके लिए आमदनी किस प्रकार करेंगे। उस खर्च के सीगे को तैयार करके किस प्रकार आमदनी करनी है, यह देखना होगा। सरकार के सामने जो आमदनी का खास स्रोत है वह लेन्ड रेवेन्यु का है। राजस्थान सरकार को करीब ६ करोड़ की आमदनी भू राजस्व (लेन्ड रेवेन्यू) से होती है। इसके बाद निर्माणकारी कार्यों के लिये बजट में कितनी रकम किस प्रकार से खर्च करनी है, इसके लिए कर लगाने की आवश्यकता होती है। इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि किसी सरकार को कोई कर लगाना चाहिए, बिना कर लगाये कोई सरकार नहीं चल सकती, सरकार का कार्य ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार कि सूर्य का। जैसे सूर्य समुद्र से पानी ग्रहण करता है और फिर बरसा देता है, अपने पास नहीं रखता उसी प्रकार से जनता से रुपया कर के रूप में सरकार वसूल करती है और जनता पर ही वह रुपया खर्च कर देती है। पर हमें देखना है कि जनता कर देने के लायक है कि नहीं ! सूर्य भी समुद्र से जल लेता है न कि छोटी तलाई से। तो यह देखना चाहिये कि सरकार जो कर लगा रही है ऐसा तो नहीं है कि उसे गरीब आदमी बर्दाश्त न कर सके। बिक्री कर जो हमारे सामने आ रहा है वह समाजवादी समाज के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाय तो बिक्री कर की धारणा ही गलत है, उत्पादन पर कर लगाना समाजवादी समाज का सिद्धान्त है, बिक्री कर का आम लोगों पर गरीबों का असर पड़ता है, यह सिद्धान्ततः गलत है कल्याणकारी राष्ट्र के लिये।

(कुछ क्षणों के लिये विराम)

श्री श्रीमानसिंह : Sir, at what time the Government reply will start today?

श्री अध्यक्ष : At 2.30

श्री श्रीमानसिंह : ३ बजे से रख दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : इस पर कई और बोलना चाहते हैं साहब, समय और बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर!! No interruptions please.

श्री लच्छूराम : (जारी) पिछली साल का बजट २८० लाख के घाटे का था और आज इस साल का साढ़े उन्नीस लाख की बचत का है, लेकिन हमें इस ओर जाने की आवश्यकता नहीं है कि बजट घाटे का है या बचत का, हमें तो यह देखना है कि हमारी सरकार निर्माण कार्यों में कितना खर्च कर रही है ? इसमें दो राय नहीं हो सकती कि हमारी सरकार निर्माण कार्यों में खर्च कर रही है पर देखना यह है कि जितनी रकम निर्माण कार्यों में खर्च की जा रही है वह निर्माण के कार्यों में अच्छी तरह से खर्च हो रही है कि नहीं। इसके लिये सबूत ढूंढ़ने के लिये हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, १७६ माननीय सदस्य प्रतिनिधि हैं और दो दिनों से करीब १५–२० माननीय सदस्य बोल चुके हैं और सब ने अपनी-अपनी कान्स्टीट्युएन्सी का वर्णन बताया है और सब ने इस कार्य के सम्बन्ध में असन्तोष जाहिर किया है। तो ऐसी हालत में यह मानी हुई बात है कि निर्माण कार्य असं-

(श्री लच्छूराम)

तोषजनक हो रहा है, किसी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि निर्माण कार्य में जितनी रकम खर्च हुई है उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है और यह बात सत्य है कि निर्माण कार्यों में जितना खर्चा हुआ, उसमें फिजूल खर्ची हुई है।

अब मैं आपके सामने बतलाऊं, माननीय वित्त मंत्रीजी ने पैरा ६७ में अपने भाषण में कहा है कि हम बजट पेश कर रहे हैं, इसकी मंशा क्या है !

दूसरी योजना की मंशा यह है कि भारत के ग्राम्य जीवन का पुनरुद्धार हो, औद्योगिक विकास की नींव पड़े तथा जन समाज के निर्बल व अल्प विकसित अंगों को यथा-संभव उन्नति का अवसर प्राप्त हो और देश के सब भागों का संतुलित विकास हो। इसी को ध्यान में रख कर हमने बजट इस तरह बनाया है कि इस की लक्ष्य पूर्ति में राज्य के आय–व्यय साधनों का उपयोग हो।

राजस्थान में ८० प्रतिशत जनता ग्रामों में रहती है और खेती का काम करती है और इस लक्ष्य के साथ बजट बनाया है, पर शहरों में पानी के लिये ६५ लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है और गांवों में २० लाख का प्रावधान रखा गया है, यह बिलकुल नावाजिब है, जब कि ८० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। ऐसी सूरत में गांवों में २० लाख का और शहरों में ६५ लाख का प्रावधान रखा गया है, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि हमारी सरकार के दिल में शहरी जनता और गांवों की जनता के प्रति फर्क है। जैसे जयपुर में मिनिस्टरों की कोलोनी की तरफ जाने के लिये पुल बनाया जा रहा है, उसके बिना सिर्फ इतनी असुविधा रहती है कि रेल आती है तब तक ट्रैफिक रुका रहता है। पर गावों में २०–२० दिन तक आवागमन बन्द रहता है. शेखावाटी में काटली नदी है, इसकी वजह से कई दिनों तक लोगों का आना जाना बन्द रहता है, अच्छे २ शहर इसके आस पास बसे हुए है, इस नदी की वजह से कई दिनों तक लोग एक शहर से दूसरे शहर में जा नही सकते, पर कोई पुल या पुलिया उस नदी पर नहीं। पर बहुत अफसोस की बात है कि कुछ मिनिट के लिये यहां आवागमन रुकता है तो वहां पुल बन जाता है और बाहर गांवों में कई दिनों तक आवागमन रुका रहता है फिर भी वहां कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह पुल नेशनल हाईवे पर बन रहा है।

लच्छूराम : गांव वालों का आवागमन तो कई दिनों तक रुका रहता है, नदी के इस पार गांव हैं और नदी के उस पार खेत हैं, तो वे लोग वहां नहीं जा सकते। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बजट को बनाते समय और धन–राशि को स्वीकृत करते समय गांवों की उपेक्षा की जाती है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने राज्यपाल के भाषण के उत्तर में कहा था कि हम ३ लाख टन अनाज राजस्थान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वास्तव में यह बात नहीं है। राजस्थान की जन संख्या पुरानी जनगणना के आधार पर १ करोड़ ६० लाख है, मौजूदा समय में राजस्थान में वास्तव में जन संख्या १ करोड़ ७५ लाख है। ५५–५६ के आंकड़ों के अनुसार हमारे यहां ३,५७६ हजार टन अनाज का उत्पादन है, जन संख्या के लिहाज से ४,२५,००० टन अनाज खर्च होना

Page No.46

(श्री लच्छूराम)

चाहिये इसमें वह अनाज भी शामिल है जो पशुओं के काम में आता है, गवार चना आदि। एक दलील उत्तर देते समय मन्त्री महोदय दे सकते हैं कि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, उनकी खुराक बड़े आदमियों के बराबर नहीं पर पशुओं की डाइट का अनाज भी तो इसमें शामिल है। तो यह तथ्यहीन दलील है, और यह तथ्यहीन है कि ३ लाख टन अनाज राजस्थान से बाहर एक्स्पोर्ट करते हैं। १७५ लाख हमारी जन संख्या है और ३,५७६ हजार टन कुल हमारी पैदावार है और ४,२५,००० टन अनाज का हमारे यहां खर्चा है, तो इतना कम पड़ता है। पहले वर्षों से अधिक पैदावार हो तो अनाज के भावों में गिरावट आती है, लेकिन ५५—५६ में हमारे यहां बाजरा १२ रुपया १ आना मन और गेहूँ १५ रुपया मन यह भाव था और आज गेहूं १७,१८ रुपया मन है। यदि उत्पादन में अधिकता होती तो भाव गिरते, यह इस बात का सबूत है कि हमारे पास अन्न की पहले से कमी है और यह दलील गलत है कि हमारे पास एक्स्पोर्ट करने के लिये अन्न है। हो सकता है, पर कृषि पर जितना जोर दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि हमारे पास इतना धन नहीं है। इसी प्रकार से शिक्षा में आप कहते हैं कि प्रोविजन रखा है १ हजार प्राइमरी स्कूलों और ५०० मिडिल स्कूलों को खोलने का। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि जितने स्कूल पहले चल रहे हैं, उनका ही इन्तजाम अच्छी तरह रखें तो बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे कि आज कई ग्रामों में स्कूलें हैं मगर वहां पर बच्चों के बैठने का अच्छी तरह से इन्तजाम नहीं है; बोर्ड नहीं हैं, अध्यापकों के बैठने के लिये कुर्सियें और दवातें नहीं हैं लिखने के लिये। इसलिये नई स्कूलें खोलने के बजाय जितनी स्कूलें हमारे पास मौजूद हैं अगर हम उसमें भी ज्यादा सुधार कर सकें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छी बात होगी।

१. १. म० प०

एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि पुलिस का बजट अधिक है मगर मैं यह कहूंगा कि पुलिस के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह कम है और मैं यह कहूंगा कि इसलिये बढ़नी ही चाहिये। अफसरों को बहुत ज्यादा वेतन मिलता है और छोटे छोटे कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है। इसलिए अगर हमें हमारे देश की पुलिस की व्यवस्था को ठीक करना है, तो बजट में उनके लिये ज्यादा रकम रखनी चाहिये और जितने पैसों की मांग है, वह उचित है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनके लिए नोन गजेटेड ऑफिसरों की यूनियन होनी चाहिये। इसके लिये मांग की गई, मगर वह ठुकरा दी गई। इससे यह साफ मालूम होता है कि हमारी सरकार, जो लोग गरीब हैं उनको ज्यादा गरीब और जो अमीर हैं उनको ज्यादा अमीर रखना चाहती है। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार का समाज कल्याणी भावावेश से, या राष्ट्रीय भावना से बजट बनाना चाहिये, नहीं बनाया गया है और जो आमदनी के साधन होने चाहिये नहीं दिये गये हैं; जैसे जागीरदारों को दी जाने वाली बड़ी बड़ी रकमें, राजाओं को दिये जाने वाले प्रिवी पर्स आदि कई मद हैं, जिससे आमदनी हो सकती है, उस पर हम जोर नहीं देते।

(घंटी)

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष, १० मार्च से सन् १९५८

(श्रीमती गंगादेवी)

और ५६ का बजट सरकार के सामने आया है। यह बजट मैंने देखा और काफी मेहनत भी की। मैं उम्मीद करती थी कि हमारे वयोवृद्ध वित्त मंत्री इस बजट में समदृष्टि रखते हुए इस बजट को हमारे सामने रखेंगे, मगर अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि राजस्थान की जो पुरानी राजधानियें हैं उनकी तरफ उपेक्षा की दृष्टि रखी गई है। जिस क्षेत्र मे या जिस जिले से मैं आती हूं उस जिले की नजीर देने की आवश्यकता महसूस होती है और मैं समझती हूं कि वह नजीर सुन कर आप भी महसूस करेंगे कि वह एक क्षेत्री की नहीं होकर, सारे राजस्थान की है। जिस क्षेत्र से मैं आई हूं उस क्षेत्र की आबादी में अधिकतर शरणार्थी रहते हैं। उनकी जो समस्या है, वह आज से और १० वर्षों से बराबर रास्थान सरकार और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के सामने पड़ी है। इस समस्या के सामने जो अपना बजट है उसमें, इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है जमीन की। जमीन की यह है कि क्लेम के लिये फार्म मांगे उस समय उनको फार्म यह कह कर नहीं दिये गये कि २० हजार से कम के क्लेम हैं, नहीं दिये जावें और इस वजह से फार्म दिये नहीं और कुछ ने लिये नहीं। बल्कि उनको और यह कहा गया कि ५० में एक एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है कि जिसके पास ४ एकड़ जमीन से ज्यादा है उसका २० हजार से ज्यादा का क्लेम नहीं लिया जावे। जब यह बात तय हो गई तो फिर किस प्रकार से जमीनों की कीमत मांगी जा रही है? रकम है नहीं, कर्जा दिया तो लोन तकाबी के लिये दिया, उसकी वसूली की बात हो रही है। जब १० साल से सवाई जमा की लिखा पढ़ी हुई है, वहां पर आज उनके लिये कुछ पार्टीज़ ने आंदोलन की चर्चा की, लेकिन यह एक सोचने का विषय है कि आखिर वे लोग आये हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ इतिहास है और वह ऐसा इतिहास है जो स्वतन्त्रता का, आजादी का एक अंग है।

एक तरफ हमने यहां के जो काश्तकार थे उनको खातेदारी हकूक दिये हैं और दूसरी तरफ शरणार्थी आये हैं उनसे हम जमीनों की रकम मांगना चाहते हैं; ये दोनों बातें किस तरह से हो सकती हैं और ये दोनों बातें किस तरह से मेल खाती है? आखिर वे १० वर्षों से काश्त कर रहे हैं और सवाई जमा की रकम अदा कर रहे हैं। यह एक तरह अच्छी बात नहीं है। यह चीज सरकार के सामने बराबर १० साल से आ रही है। मैं समझती हूं कि कम से कम सरकार इस पर जल्दी से जल्दी तवज्जह देगी और सरकार को जल्दी से जल्दी तवज्जह देनी चाहिये और जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करना चाहिये। अलवर में १२ हजार फैमिलीज़ ऐसी हैं जो बराबर इन चीजों को लिये हुए घूमते हैं। यहां तक की उनकी जमीन के आंकड़े भी सरकार के पास होंगे और वे क्या कहें, अगर उनका ४–६ महीनों में फैसला नहीं हुआ तो वे बहुत बड़ा कदम उठावेंगे और वह कदम हमारे लिये खतरनाक हो जावेगा और उसको संभालने के लिये मुश्किलात आएंगी, जो हमेशा के लिये सरकार के लिये दिक्कत होगी। एक तरफ सरकार की और दूसरा वहां पर मेवों की आबादी थी जो १९४८ के आन्दोलन में इस जिले को छोड़ कर पाकिस्तान चले गये या पंजाब में जाकर, दिल्ली में जाकर रहने लगे और जब यह तय हुआ कि मेव भी वापिस आवें तो कोई बात नहीं। वे आये तो शरणार्थियों के पास जो

(श्रीमती गंगादेवी)

जमीनें उनको दी गई थीं, उनसे छीन कर वापिस उनको दिलाने लगे। उसके सिलसिले में जो कांटे की जमीनें थी जो लोकल भाइयों के पास थीं, उन जमीनों में से उनको दी; जब हमने उनको बुलाया और वे यहां के रहनेवाले थे तो उनकी कोई ऐसी भूमि नहीं थी। मेरे कहने का मतलब यह कि जो शरणार्थी आये उनको जमीनें दी नहीं। उनको बुला लिया और आपने उनको आश्वासन दिया था कि आपको उस जमीनों का मालिकाना हक मिलेगा और इस रूप में उनसे एक वायदा किया था, वह वायदा आम पब्लिक का ही नहीं, वर्कर्स का ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं का ही नहीं लेकिन केन्द्रीय सरकार की एक माननीय हस्ती हैं, जिनका नाम मैं आपके सामने रखूं, वे हैं, माननीया श्रीमती रामेश्वरी नेहरू। उन्होंने बाकायदा मीटिंग में एलान किया था कि आप आये हैं, तो आपकी जमीनें हैं, आप यहां मेहनत कीजिये और इसको अपना ही घर समझिये। फिर क्या वजह है कि इस चीज़ को न समझ कर उनसे बराबर रकम वसूली की बातें की जा रही हैं, लोन की बातें की जा रही हैं, कहीं उनको हकूक नहीं मिले हैं जिससे कि वे यह महसूस कर सकें कि हम यहां के रहने वाले हैं और हमारी यह जमीन है।

तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह यह है कि लोकल पट्टेदार हैं, उनको जमीनें उस समय दीं जब कि शरणार्थी नहीं आये थे और मेव थे, वे भी जमीनों को छोड़ कर चले गये थे। उन जमीनों को लेकर कहा कि काश्त कीजिये, उनको पट्टे दिये। उन्होंने उन जमीनों पर मेहनत की, करते करते कई महीने और साल बीत गये लेकिन पट्टे हर साल बदलते जाते थे, उनके नाम पर। इसका नतीजा यह होता था कि पट्टेदार यह महसूस नहीं करते थे कि वह जमीन का टुकड़ा मेरा है या नहीं, क्योंकि उनकी हर साल बदली होती थी। मैंने यह देखा है कि बेचारे गरीबों को, कभी तहसील के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, कभी दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे और दरवाजे खटखटाते खटखटाते बरसात की मौसम शुरू हो जाती थी और पट्टे नहीं मिल पाते थे। इस तरह से उनकी जेबें भी खाली हो जाती थीं और जो सरकारी अफसर हैं उनके लिए भी एक सुनहरी मौका था, इधर उधर किया, जो चाहे लेता। इससे जो हरिजन लोग थे, वे बेचारे बड़े परेशान हुए और परेशान हो-हुआ कर आखिर कुछ रकम उन लोगों के पेट में भरी। एक तरफ आप चाहते हैं कि जमीनों से ज्यादा पैदा हो, फूड प्रोब्लम को हल करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ ये बातें कहां तक मेल खाती हैं ! अनाज की आज जो समस्या है वह हमारे हिन्दुस्तान और हमारे प्रान्त के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसके बीच में जमीनों के लिए ऐसी बातें होती हैं। जब तक एक काश्तकार, हल चलाने वाला जो काश्तकार है, वह यह नहीं समझता है कि यह चीज, यह ज़मीन मेरी है, तब तक उस जमीन पर वह कैसे मेहनत करेगा ! इसलिए मेव, शरणार्थी और पट्टेदारों की जो समस्या है, वह हल होनी चाहिए। अगर हल नहीं होगी तो फूड का प्रोडक्शन अलवर जिले में नाम मात्र का रह जावेगा। एक तरफ तो वह जिला ऊंचाई पर है इसलिए वहां न तो चम्बल की नहरें आ सकती हैं और न भाखरा की नहरें ही आ सकती हैं. दूसरी तरफ वह जिला केवल बरसात पर ही निर्भर करता है। यदि जमीनें उनके पास रहें तो मैं कहना चाहूंगी कि वे अवश्य उन पर मेहनत करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इन

(श्रीमती गंगादेवी)

पट्टेदारों और शरणार्थियों की समस्याओं को रखा है । इसके साथ-साथ मैं इतना और कहना चाहती हूं कि यह जो बजट है, उसके जो आंकड़े दिये गये हैं और खास कर जो पी. डब्ल्यू. डी. के आंकड़े हैं, उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि सड़कों के लिए उस एरिया की समस्या को देखते हुए, बहुत ही कम है । आखिर वह भी जिला है और राजस्थान में मिला है तो इसमें आशायें लेकर ही तो विलीन हुआ है । उनको सड़कों की सुविधायें नहीं हैं । जो थोड़ी बहुत सड़कें हैं, उनसे भी काश्तकार आसानी से गल्ला मंडियों में भेज सकें, वे भी सुविधायें नहीं हैं । साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि वह हिस्सा पहाड़ों से गिरा हुआ है । १५-२० गांव तो बरसात के दिनों में बिलकुल शहरों से विच्छिन्न हो जाते हैं, आने जाने के रास्ते बिलकुल बन्द हो जाते हैं । कम से कम बीमारी के समय में चिकित्सा के लिए जो सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए वह भी उनके लिए एक समस्या बन जाती है । पढ़ाई की बात तो दूर रही, लेकिन एक इन्सान के लिए बीमारी के वक्त जो सबसे बड़ी बात होती है कि चिकित्सा की उसको सुविधा मिल सके, वह उनको नहीं मिल पाती । क्योंकि गांवों से आने जाने के रास्ते, उनके लिए बरसात में, शहरों में आने के लिए लिए बन्द हो जाते हैं । दो तीन नदियां पड़ती हैं, उनके आने जाने में । वहां की दिक्कतों को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय उधर पधारने का कष्ट करें तो उनको भी मालूम हो । वहां से लोग पैदल आते हैं, साइकिलें तो दूर रही । मन्त्री महोदय जावेंगे तो उनको पता लगेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कितनी तहसीलें नहीं जुड़ी हुई हैं ।

श्री मोहनलाल भटनागर : वहां सड़कों का अजीर्ण है ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : बहुत से गांव और तहसीलें ऐसी हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : कौन सी ऐसी हैं ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : तहसील रामगढ़ और सब तहसीलें । आप दौरा करेंगे तो पता लगेगा । इसलिए मैं निवेदन कर रही थी, उन गांव वालों ने आजादी का सुनहरा स्वप्न देखा था, इसलिए कुछ न कुछ उस सुनहरे स्वप्न का एक हिस्सा उनको भी मिलना चाहिए ।

(घंटी)

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष,............

श्रीमती गंगादेवी डाटा : पांच मिनिट और दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से शब्द परिवार नियोजन के ऊपर भी कहना चाहती हूं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टार्गेट बनाया । यह निश्चय किया गया है कि आयोजना काल में, इतने लाख लोगों को अनाज देंगे, कपड़ा देंगे, इतने के लिए शिक्षा के साधन सुलभ कर पायेंगे । मैंने उसको देखा है और उसको देखने के बावजूद मेरी समझ में यह बात नहीं बैठती कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है लेकिन वह कैसे सक्सेसफुल होगी । एक तरफ तो टार्गेट निश्चित करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते कि हर साल ५० लाख इन्सान और बढ़ते हैं । योजना का तो टार्गेट बढ़ने से रहा, वह तो सीमित रहेगा उतना ही जितना की पांच साल के लिए है । लेकिन जो आबादी बढ़ने की समस्या है वह कैसे हल होगी । इसलिए

(श्रीमती गंगादेवी)

मैं परिवार नियोजन को आज हिन्दुस्तान के लिए बहुत ही आवश्यक समझती हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा भी समझती हूं और इसको सदन के माननीय सदस्य भी महसूस करते होंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या यदि कोई है तो वह खाद्य समस्या है और आगे जाकर भी देश के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, यदि परिवार नियोजन की समस्या को हल नहीं किया गया तो । अगर हमें खाद्य समस्या को हल करना है तो उसी हिसाब से इसको हल करें कि इस बढ़ती हुई आबादी के लिए किस तरह से खाना, कपड़ा सुलभ कर सकेंगे, किस तरह से उनको शिक्षा दे सकेंगे । इसलिए यह मेरी आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि अपनी जो सरकार है, वह इस पर बहुत ही गौर से विचार करे; और जो सरकार की ओर से साधन सुलभ हो सकें, उनका गांवों में प्रचार करे अगर गांवों में परिवार नियोजन का प्रचार हो तो मैं समझती हूं कि देश का कल्याण हो सकता है । आज लोग, ऐसी बात नहीं है कि इसको महसूस न करते हों, इसको समझते हैं एवं आवश्यक समझते हैं। उनको इसके लिये शिक्षा देनी चाहिए, उनको चल चित्रों द्वारा, लिट्रेचर द्वारा, लिट्रेचर तो क्या काम देगा, लेकिन चल-चित्र अधिक वहां काम दे सकते हैं और उनके द्वारा उनमें प्रचार करना चाहिए और लोगों को शिक्षा देनी चाहिये । समाज कल्याण के जो प्रोजेक्ट हैं, उनके द्वारा गांवों में इसका प्रचार हो तो गांवों में इसका लोग फायदा उठा सकते हैं ।

(घंटी)

अनेक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष,..........

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी ।

श्री धर्मपाल पंवार : महिलाओं के बाद हरिजनों को मौका मिलना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र : महिलाओं और हरिजनों का हमेशा साथ रहा है ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : Shri B. N. Joshi. I have said that.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (चांदीकुई): I rise to make some observations on the annual financial statement for the year 1958-59 presented by the Hon. Finance Minister. The Finance Minister has stated, has conceded, that our State is a backward State and from the point of view of social services and amenities we are much behind the other States of the country. At the same time it is also apparent that the figures of unemloyment have been steadily rising during the last few years. Now all these tendencies, all these factors, if they point to anything, they point to the existence of a period of deflation at the present moment. It was a great surprise to me, Sir, when I learnt that the Budget for the current year prepared by the Hon. Finance Minister was a surplus Budget. Under such circumstances and against such a background, I cannot appreciate

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

the wisdom of having a surplus Budget, especially when the financial condition, the actual revenue and the expenditure does not permit the Budget to be a surplus one and the Hon. Finance Minister has done a great violence to the principles of Budget formation, in attempting to turn this Budget of actual revenue deficit into a surplus Budget.

Now the effect of this surplus Budget is going to be that whenever in future any amount is needed for our development schemes and when State Goverment approaches the Govorment of India, their mouths shall be shut. They will be told that their financial position is very satisfactory, they may say that in the very current year you prepared surplus Budget and now what is the justification for you to demand any more subsidy from us? I think it is a matter of common knowledge that States which are far more prosperous, far more strong, the States of Bombay, Madras, Calcutta, sorry, Bengal and other economically more advanced States, they usually have been adopting deficit Budgets in the last three or four years, specially during the Plan period.

I have to submit, Sir, that a surplus Budget is no credit. It is not a virtue for a State that it has a surplus Budget. It may be virtuous for the housewife, it may be virtuous for the private person to have a surplus Budget but for a Government it is not.

श्री ज्वालाप्रसाद : In which category you come?

श्री वी.एन. जोशी : I think the question does not deserve the compliment of a reply.

So, I was saying, Sir, that the resources of a private person are limited and it is necessary for him to make provsion for a rainy day and it is in the fitness of things that he has a surplus budget; but it is not so for the resources of a State. The resources of a State are limitless and it is always open for a State to come forward and have new and fresh taxation whenever necessity arises. Therefore, in such circumstances, when we have to advance a great deal in the matter of providing public amenities, when our social services are lagging far behind the other States, when the vast armies of un-employed are coming in larger quantities every year form our schools and colleges, we must provide some relief or other. Against all this background, it was a great mistake, a blunder and a misfortune that the Hon. Minister chose to have a surplus budget.

He has referred to the advice tendered by the Finance Commission that the revenue deficit should

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

be avoided as far as possible. Now, I am sure Sir, that the Hon. Finance Minister has defintely mis--interpreted and miss--understood the advice of the Finance Commission. It could never have been the intention of the Finance Commission that the budget should be balanced on paper or that revenue deficit should be avoided on paper when it cannot be avoided in reality. If the Hon. Minister actually wanted to avoid a revenue deficit, it was incumbent on him to include Rs. 266 lakhs or more which will be given to us in the form of central subsidy for development plans, which amount has been treated as revenue for the current year. There is anticipated economy of 30 lakhs, for which, I have to submit, that details have not been worked out and it is not apparent whether the respective departments will be in a position to accept these recommendations consistent with the demands of efficiency. In these circumstances, I have to state that great violence has been done to the principles of budget formation in turning out this budget of actual deficit to be a surplus budget.

Morover, Sir, I have to submit that we have learnt that a Committee has been appointed to study the trends of expenditure in the State. I am no expert of finance or economics, but I have to submit that I have tried to study the trends of public expenditure in this State and my observations lead me to state that at least one of the trends, which is undisputable, is that public expenditure in the State has been fast finding its way into private pockets. That is one of the trends which should be stopped at the earliest with great care and vigilence.

One tendency which is apparent from the budget is that the Finance Minister has endeavoured to avoid fresh and new taxes. I have to submit that for a province like ours, which is already indebted to the tune of over Rs. 62 Crores to Central Government and various other agencies, and when we have already had an overdraft on the State Bank of India exceeding Rs. 10 crores, and when even to finance the expenditure of current year, we have to fall on other resources, in such circumstances to avoid taxes was a most short-sighted point of view. If the Government cannot take the responsibility for initiating measures which may not be popular for the time being, I have to observe that the Government is going in for a very cheap type of popularity indeed. Few years ago, the Prime Minister of this country, speaking in Udaipur said that India or any nation which is afraid of taxation is a coward nation and it cannot prosper and progress. The question is not that

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

taxation should be avoided when taxation is necessary to raise the standard of people and provide amenities. To raise the standard of the people as many new and fresh taxes s may be necessary, should be levi d, but the only thing which should be seen is that the burded of taxation should fall on those who possess the capacity to bear it. The progressive taxation, if it comes, will not be opposen by the progressive sections of people and there is no reason why it should be avoided. This tendency of depending on external assistance, subsidies and loans, is deplorable, because unless we are able to stand on our own legs, we shall be in a pitiable state. I have to submit that the effect of our present indebtedness is that we are not masters of our own house and our own property. I was very much surprised to see from the speech of the Finance Minister that the question of rent of certain buildings which Rajasthan Government possesses at Delhi, could not be realised because the Government of India did not agree with the assessment which we had made regarding the rent. Now my submission is that we are masters of that property and if the Government of India does not agree with our assessment -- them to look for and search another accommodation.

When we cannot realise even the fair rent of our own properties it means that the state of affairs has come when we are not masters of our proprties and what actually belongs to us. Because the Government of India extends to us assistance to the tune of crores of rupees and because we depend upon them for help for the implementation of all our schemes and the fulfilment of all our programmes, we are not in a position to realise a fair rent for the property that belongs to us. This is only an instance of the type of our dependance. I don't know whether our indebted position and dependence upon loans and external assistance is to continue for any length of time.

The greatest disappointment which I received from this Budget is that it has totally failed to give any relief whatsoever to the poorer section of the employees of the State. In the previous years when we had deficit budgets we did not give them any relief because the peculiar financial position of the State did not permit it. But this year we have a surplus budget and yet we have not given any relief to the employees except the conversion of fifty percent of the Dearness Allowance into their pay which is no relief because none of the employees gets a farthing more today than what he was getting yesterday.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य क्या कहना चाह रहे हैं, यह ज़रा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दोनों तरह की दलीलें वे साथ साथ दे रहे हैं। कभी कहते हैं डेफीशिट है, कभी कहते हैं सरप्लस है। वास्तव में आप समझ क्या रहे हैं?

श्री बी० एन० जोशी : You have treated it as a surplus Budget and it is apparently a surplus budget. But when you have shown 19 lacs surplus to spare, you are not prepared to give a single pie to the poorer employees of the State who are passing through a great deal of difficulties and finding it very difficu't to make their both ends meet and who need every sort of relief and are looking for it in vain.

Therefore, my submission is that we had not given any relief to the low paid employees when we had a deficit Budget. But with a surplus Budget this year we are also not giving. When will these poor and unfortunate employees who have been looking forward to some sort of help all these years, when will their hopes be fulfilled and when will their expectations be implemented? Moreover, Sir, it is a most stereotyped Budget. The various Deprtmental Heads have prepared their estimates of expenditure and all the Heads are put together, the aggregate amount found and put in the usual way, the Departments send their estimates, the figures are totalled, and we find the sum total of the expenditure of the various departments. In this Budget there is no evidnce of any intention to aim at the socialistic pattern of society. The Budget is a very important measure of the fiscal policy of the State. The policies of the party in power are implemented through the instrumentality of the Budget. If people in higher income groups were to be more taxed while people with low incomes were to be given relief and the discrepancies between their incomes bridged, that would have been moving one step in the direction of the socialistic society. From that point of view this Budget is an absolute failure and a dismal failure.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आज तीन रोज से बजट पर बहस चल रही है। उनको फिर दोहराने में मैं पिष्टपेशण नहीं करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि तीन चीजें ज्यादातर फाइनेन्स डिपार्टमेंट के सामने और गवर्नमेंट के सामने आती हैं। पहली बात उपयोग, दूसरी सदुपयोग और तीसरा दुरुपयोग। इन तीनों में से धन का उपयोग करने के लिये ..

श्री जनार्दनराय नागर : एक चौथी चीज़ और है; अनुपयोग।

श्री नरेन्द्रसिंह : अनुपयोग तीसरे में आ गया।

श्री जनार्दनराय नागर : अनुपयोग का कोई उपयोग नहीं है।

Page No.55

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पर फिर यह तो वोकेबुलेरी है। जैसे घुमाया जावे वैसे ही घूम सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत में और खास तौर से राजस्थान में पैसे की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां तक हो प्रत्येक पाई पाई का सदुपयोग होना निहायत जरूरी है। मैंने ३७ वर्षों तक बराबर राजस्थान के और जयपुर के बजट सुने हैं और देखे हैं; आज से ३७ वर्ष पहले, जब मैं मिनिस्टर हुआ था तब से लेकर आज तक'। हर समय ही किसी को दूषण देना ही ठीक नहीं है। सदा से मेरी धारणा यह रही है कि मैं हरेक मामले में, जैसा कि राज्यपाल महोदय के भाषण से लेकर बाद तक भी मैं सामने के बैठे हुए सदस्यों को धन्यवाद ही दिया करता हूं और मैं वित्तमंत्री महोदय को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहूंगा कि इस बजट को बनाने के लिये, और यह भी मैं जरूर कहूंगा कि वित्तमंत्री महोदय का जैसा कुछ भी नहीं कर सकने का हिसाब उनका रहता है; जैसे सात नदियां मिल कर एक महान् नद बन जाता है उसी प्रकार उनका बजट नीचे से जैसे ढंग से डिपार्टमेंट अपना हिसाब बना-बनूकर उनको भेज देते हैं, उसी के अनुसार वे यह सारा बजट तैयार करते हैं। अगर जौ का चून दे दिया जावे तो House wife या रसोईदार गेहूं के फुलके नहीं बना सकते। चने के चूने से गेहूं का हलवा नहीं बन सकता। जिस प्रकार की सामग्री रक्खी जाती है, उस पर उनका संकलन करना पड़ेगा। इन बातों के अतिरिक्त मेरा यह निवेदन है कि जो जितना धन खर्च होता है इसमें दो चीजें हैं कि एक तो जो भी बजट में रकम रक्खी गई हो, वह जिन कामों पर खर्च करने के लिये हो उन ही कामों पर खर्च की जावे और दूसरा यह है कि जहां तक हो उचित से उचित मात्रा में खर्च करके, आगे के साल में भी उस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से अगर एक अरब भी या दो चार अरब भी किसी जगह खर्च करने की बात हो तो व्यय के अन्दर यह जरूरी होता है कि लोग यह समझ सकते हैं कि यह भी कोई ज्यादा नहीं है। इतने बड़े प्रान्त के वास्ते जहां तक हो सके ज्यादा उपयोगी चीजों के अन्दर बहुत कुछ व्यय करना जरूरी रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जिन पर थोड़ा रुपया खर्च करके ही रिटर्न जल्दी शुरू हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पर पहले करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है फिर उनका रिटर्न मिलता है; जैसे पहाड़ पर हुई बरसात और सैंड सोइल पर हुई बरसात में फर्क होता है। पहाड़ी जगह पर हुई बरसात से एक साथ बरस कर नदी नाले बनकर खतम हो जाते हैं और सैण्डी सोइल में काफी बरसात से भी नदी नाले नहीं बन पाते। पानी सोइल में ही ज़ज्ब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि इस मामले को अगर आप गौर करके देखेंगे तो जितना उपयोग इसका होना चाहिये और सदुपयोग होना चाहिये, वह बहुत कम हो रहा है। इसी बारे में अगर मैं अपनी चीज के लिए कहूं तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। यहां के इसी असेम्बली के अन्दर यह प्रश्न उस तरफ के, मुख्य मंत्री और जो सदस्य हैं, उन्होंने इस चीज़ को सदा से निभाया है और मैं यह जरूर निवेदन करूंगा कि यहां जोबनेर के अन्दर मेरी दो तीन संस्थायें चल रही हैं। उनके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को उपालंभ दिये बिना नहीं रहूंगा कि उनके लिए जितना समावेश बजट में होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। एक तरफ से देखें तो यह चीज मेरे

(श्री नरेन्द्रसिंह)

कानों में यों की यों ही गूंज रही है कि आज के तीन रोज पहले ही मुख्य मंत्री महोदय ने जोबनेर पदार्पण किया था और उनका जो वहां भव्य स्वागत हुआ वैसा मेरे ख्याल में राजस्थान में, व्यक्तिगत बात को छोड़िये, जोबनेर के इतिहास में कभी किसी का नहीं हुआ है ...

एक माननीय सदस्य : शास्त्री जी का भी हुआ था ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री जी ने जो उस समय फरमाया था, उसमें उन्होंने ऐसी भी बातें कहीं कि जो कम से कम ६५ वर्ष से संस्था चला रहा है, उसके ऊपर कुछ ठंडा पानी पड़ जाने की सी बात कही। उनकी विचारधारा में तो कहना होगा, लेकिन दुर्भाग्य तो जोबनेर संस्था का जरूर रहा है। मैं मानता हूं कि यहां क्या तो प्लेटफार्म से और क्या प्रेस से दोनों जगह बराबर यह बात रही है और इन महानुभावों ने यहां ही इस सदन यह डिक्लेयर किया है कि जोबनेर का एग्रीकल्चर कॉलेज shall run in absolute parity with the Udaipur Agriculture College in all respects." और अगर उस समय आपने यही फरमाना था कि वह संस्था गवर्नमेन्ट रन करा रही है और इस संस्था को भी सहायता देने का काफी हिसाब हो रहा है। वहां एक प्राइमरी स्कूल के लिए थोड़े ही मकान वगैरह थे तो आज चाहते तो ३ वर्षों में, वह चीज मीट हो सकती थी। वह इसीलिए नहीं हो सकी कि वहां से क्लासेज़ बदल दी गई। यह मामूली बात है। इसी एक चीज़ को लेकर इस विषय में जोड़ दिया कि प्राइमरी स्कूल भी ठीक ढंग का नहीं है तो हम दूसरी संस्थाओं के खोलने की बात कैसे करें ! मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां की प्रत्येक चीज़ को देखा नहीं गया और जो इन्टरेस्टेड पार्टी हैं, वह उन सारी चीजों को दिखलाना नहीं चाहती थीं। यहां मैं यह भी निवेदन करूं कि पहले के और अब के जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से और कृपा कर के उस संस्था को चलाने के अन्दर पूरा परिश्रम किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने भी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कई पोटेन्शियलिटीज़ जो वहां थीं, उनको वह आज तक नहीं देख सके हैं। हमारे महामना मुख्य मंत्रीजी के हृदय में जरूर चुभन थी कि उसको एक घंटा भी जाकर देखा जाये। लेकिन दूसरी पार्टियों ने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की कि उनको वहां जाने से रोका गया....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) : आगे चलने का तय कर चुके हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, मगर मैं कहना तो ठीक नहीं समझता कि सेन्टर में कल ही इस बात पर जोर दिया गया था कि जोबनेर के अन्दर पानी की कमी है, जमीन की कमी है, वहां कई तरह की जमीन की कमी है। इसके बारे में जो पहले के चीफ मिनिस्टर हैं और दूसरे मिनिस्टर हैं, उनमें से कई तो यहां ही मौजूद हैं, उन्होंने यह कहा था कि जोबनेर के अन्दर जो साधन हैं, वह बहुत काफी हैं और ऐसे साधन बहुत कम जगह हो सकते हैं जैसे कि यहां जोबनेर में हैं। पानी के लिए कहा गया था तो मैं किसी जगह के वास्ते नुकताचीनी नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि उछोल, फतहसागर और उदयसागर तीनों में जितना पानी है उतना जोबनेर के

(श्री नरेन्द्रसिंह)

अन्दर जो बंध का पानी आया हुआ है, एक ही जगह है। यह कहा गया था कि वहां जमीन की कमी है तो पांच हजार एकड़ जमीन है and few colleges in India and in the world have such potentialities. यहां युनिवर्सिटी से भेजे गये दो महानुभाव, एक तो यू० पी० के गवर्नमेन्ट कॉलेज के प्रिन्सिपल और दूसरे पंजाब एग्रीकलचरल कॉलेज के प्रिन्सिपल ने देखकर यह कहा कि यहां जोबनेर की पोटेन्शियलिटी ऐसी है कि एक नहीं बल्कि several agricultural colleges can run there most satisfactorily.

मेरा निवेदन यह है कि ये चीजें हैं और उन महानुभावों ने जिन्होंने जा जा कर देखा है तो उस चीज को देखने के वास्ते पांच मिनट का समय या एक-दो रोज का समय क्यों न दिया जाय ? यह हमारे चीफ मिनिस्टर ने फरमाया कि मैं शीघ्र ही जाऊंगा। अगर वे वहां जायेंगे तो वे इस चीज को खुद मानेंगे कि आज तक वह चीज नहीं देखी गई है। यह सेन्ट्रल में स्थित होते हुए राजस्थान की सब तरह की जमीन यहां उपलब्ध है। तो यह जो कहा गया जोबनेर के लिए यह भी एक भंवर चक्कर पड़ा हुआ है। मैं अपने रेवेन्यु मंत्री महोदय को भी हाथ जोड़कर कहूंगा कि ...

श्री मदनसिंह : उनके कमरे में जाकर कहें तो ठीक है, असेम्बली में क्यों !

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मैं तो मजबूती के साथ कह सकता हूं और हाथ जोड़कर भी कह सकता हूं। जो हाथ जोड़कर कह सकता है वह सख्त कदम भी ले सकता है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): बड़ा आदमी भी वही होता है जो हाथ जोड़कर कहता है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : तो पांच हजार एकड़ जमीन मैंने इसलिए रोक रखी है. मुझको किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है, मैंने लिख कर दे दिया था, उसी समय जब यह सवाल आया कि जितनी चीजें हैं, वे आज सौंपने को तैयार हूं इसके बाद कई भ्रमात्मक चीज मुख्य मंत्रीजी के सामने और दूसरों के सामने भी कही गई और वे बराबर इन बातों को कहते हैं कि जोबनेर का ठाकुर यह चाहता है कि इससे मुझे कुछ कम्पेन्सेशन मिले...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कौन कहता है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : आपने फरमाया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कब ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : जिस समय वह सवाल आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बहुत पुरानी बात है। उसके बाद में आपने लिखकर दे दिया; तो ऐसी कोई बात नहीं है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह देखो आप कि बजट का चार लाख तो इस समय आपके पास है और दो लाख जोबनेर के अन्दर है। मैं आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर रहा हूं, मैं तो अर्ज करता हूं कि जोबनेर की संस्था के वास्ते जैसे चार लाख का उसके लिए प्रोवीज़न किया गया वैसा ही इसके लिए भी करना चाहिए था। आप यह बीस लाख रुपया बचत दिखा रहे हैं....

श्री मदनसिंह दांता : यह तो सारे मंत्रीमंडल से संबंधित है। बजट अकेले वित्त मंत्री नहीं बनाते हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है। मैं तो जो मेरे

(श्री नरेन्द्रसिंह)

अनन्य दोस्त श्री जयनारायण जी व्यास के शब्दों में कहूंगा कि वहां पोटेन्शयलिटी बहुत है। यह जो सवाल कहा जाता है कि पांच हजार बीघा जमीन अब भी दाब रखी है, वह इसलिए दाब रखी है कि वहां की आयंदा की जरूरतों के वास्ते यों की यों गवर्नमेन्ट को उठाकर सौंप दूंगा। यह भी कहा जाता है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर महोदय ने यह कहा है कि सारी जमीन काश्तकारों की दबी हुई है। अगर इसकी अच्छी तरह से तहकीकात करें तो आपको सब बात मालूम हो जायेंगी। यह जो संस्था से दबी हुई जमीन है, इसकी एक बीघा जमीन भी किसी की नहीं है, सिवाय ठिकाने के। एक भी कुआ काश्तकार का बनाया हुआ साबित हो जाये तो मैं आज ही यहां से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और आज तक का जो मुआवजा है, उस को भी फोरगो करने के लिए तैयार हूं। आप वहां जाकर इस बात को देखें और सोचें। किस प्रकार इसको सौंपा जावे, बतलाया जावे। तो मुझे तो कभी भी उसे छोड़ना है, अब समय भी थोड़ा है, इसलिए मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन इसका सद्उपयोग हो और यही सब से ज्यादा आवश्यक चीज़ है।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तीसरे साल का हमारे प्रान्त का बजट प्रस्तुत हुआ है। इस बजट के ऊपर कई व्यक्तियों, कई माननीय सदस्यों, ने अपनी राय जाहिर की है। कहा जाता है कि यह बजट सरप्लस बजट है। हमें देखना यह है कि बजट जो प्रस्तुत हुआ है वह केवल आय-व्यय का लेखा मात्र ही नहीं है, किन्तु उसमें हमारे देश के रहने वाले नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए कितने साधन उपयोग में लाये जाते हैं, इस बात को देखकर बजट को आंका जाता है। यदि इस मापदण्ड से देखा जाय तो हम निश्चित् रूप से कहेंगे कि जो बजट प्रस्तुत हुआ है, वह प्रगतिवादी बजट है। हमारे देश ने जिस समाजवादी ढांचे का एक उद्देश्य अपनाया है उसको देखते हुए, यह तीसरे वर्ष का बजट है, वह उस दिशा की ओर आगे जाता है। किन्तु जब हमें इसकी सारी बातों को देखें, इसके सारे रूप का अवलोकन करें, तो हमें इस बजट से ज्ञात होगा कि जो प्रगति इसमें होनी चाहिए थी, जिस प्रगति से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हुई है। उसका कारण यह नहीं है कि हमारी राज्य सरकार इस बारे में क्रियाशील कुछ कम है, हमारे प्रान्त की कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ हमारे प्रान्त की ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से यह सब कुछ होना आवश्यम्भावी था।

कई माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि यह बजट हमें आगे की ओर ले जाने वाला नहीं है। मैं यह कहूंगा कि यह हमारा बजट प्रगतिवादी है। इन सारी योजनाओं के अन्दर, हमारे देश के अन्दर किस प्रकार से लोग आगे बढ़ें और किस प्रकार से हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति आगे बढ़े, इसके लिए आवश्यक है देश के अन्दर अन्न का उत्पादन हो, देश के अन्दर बिजली और योजनाएं शीघ्र से शीघ्र क्रियान्वित की जांय, जिससे उत्पादन अधिक बढ़े। हमें देखना है कि योजनाओं के अन्दर किस प्रकार की प्रगति हो रही है, हमारे देशवासी जो हम सामाजिक क्रान्ति लाना चाहते हैं उस में किस प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, इन सारी

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

बातों को देखना होगा और इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि जो धनराशि हम खर्च करते हैं उस धनराशि का पूरे रूप से उपयोग या पूरे रूप से उनका फल हमें मिलता है या नहीं ? जो प्लान हम करते हैं उनके अनुसार चलते हैं या नहीं ? यहां राजस्थान में जो बहुत बड़ी धनराशि हमारे सामाजिक कार्यों के अन्दर व्यय होती है, बहुत बड़ी धनराशि नदी योजनाओं के ऊपर, बांधों के ऊपर, विद्युत् पैदा करने वाली योजनाओं के ऊपर व्यय कर रहे हैं, गांवों के अन्दर स्कूल खोले जाते हैं और इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। यह सब तथ्य हैं। किन्तु सारे प्लानिंग के डिटेल्स में जाते हैं, हरेक जिले में जाते हैं, हरेक निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जाते हैं, तो प्राय: सभी निर्वाचन क्षेत्रों से आने वाले लोगों ने कहा है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ नहीं हुआ है, इसका यदि हम बहुत बारीकी से पता चलायेंगे और सारे तथ्यों को सोचे तो सबसे पहली बात हमें यह देखनी चाहिए कि राजस्थान के अन्दर जितने जिले हैं, जितनी रियासतें हैं, उनके अन्दर प्लान्ड चीज हो। प्राय: इस तरह की बड़ी शिकायतें आई हैं कि राजस्थान के अन्दर जिले तोड़े जा रहे हैं। राजस्थान के हर जिले से, राजस्थान की हर राजधानी से इस बात की मांग आई है, कोई कमेटी भी बैठी है। लेकिन पांच वर्ष बीत गये। एक निर्वाचन समाप्त होकर, दूसरे निर्वाचन को दूसरा वर्ष आया। राजस्थान निर्माण का हुए १० वर्ष होने आये, किन्तु आज तक हमें पता नहीं कि कुल कितने जिले होंगे। यदि यही बात है कि जितने जिले हैं उतने ही रहेंगे, तो भी हमें देखना यह है कि इन जिलों के अन्दर किस प्रकार से सुधार किया जाय। यदि हम यह देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के ऊपर कहां कहां हमें खर्च करना है तो हमें निश्चित् रूप से मानना पड़ेगा कि हमें इस बात को तय करना चाहिए चाहे सरकार उनको प्रकाशित कराये या नहीं, लेकिन सरकार को ठीक तौर से निश्चित् करना होगा कि इतने जिले रखने हैं। कहीं अदालतें ऐसी हैं कि अदालतें घुड़साल के कमरों के अन्दर होती हैं। कहीं कैदियों के रहने के ऐसे ऐसे स्थान हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मानवों के रहने के योग्य नहीं हैं, इस प्रकार की डॉक्टरों ने रिपोर्ट्स पेश की हैं जिलों की जेलों के बारे में। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्लान नहीं किया गया है हम कहना चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना चल रही है, लेकिन कोई ठीक तरीके से, निश्चित् रूप से एक प्लान, एक नक्शा हमारे सामने आना चाहिए। आज अदालतों के बारे में, डिस्ट्रिक्ट जजेज़ की कोर्ट्स के बारे में हमने किसी प्रकार का विकास नहीं किया है। वहां अदालतों की बिल्डिंग्स नहीं है, हमारे स्कूल ऐसे नहीं हैं जिस प्रकार के नये स्कूल हम देखना चाहते हैं कि उनके सामने बड़े मैदान होने चाहिए, बड़े लान्स होने चाहिए, उस प्रकार के स्कूल्स सारे जिलों के अन्दर नहीं है। उनके लिए कोई निश्चित् योजना नहीं है। कोई निश्चित् योजना नहीं है कि इतने स्कूल खुलेंगे, इतने मल्टी पर्पज़ स्कूल खुलेंगे, इतने मिडिल स्कूल बनेंगे। मुझे याद आता है कि यहां कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से जिले के अन्दर स्कूल खोला जायगा, आबादी के हिसाब से खोले जायेंगे। इतने ग्रामवासियों के अन्दर इतने मल्टी पर्पज़ स्कूल खोले जायेंगे, इतने कॉलेजेज़ होंगे। इस तरह की पंचवर्षीय योजना

Page No.60

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

हमारे सामने होनी चाहिए, किन्तु दुर्भाग्य का विषय है कि हम इस प्रकार से प्रत्येक जिले का प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग है जरूर लेकिन ओवर ऑल प्लानिंग है, हेप हेज़र्ड प्लानिंग है। राजनैतिक सुविधा के अनुसार चाहे जहां स्कूल खोल दिये हैं। आबादी का लिहाज नही रखा जाता है, लोगों की आवश्यकता का ख्याल नही रखा जाता है। अभी कहा गया है कि विकास योजना के अनुसार, हर पांच मील के एरिया के अन्दर एक स्कूल होना चाहिए, लेकिन हमारे प्रान्त में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि एक मील के अन्दर अन्दर दो मिडिल स्कूल्स हैं और एक एक हाई स्कूल है, यह कोई हमारा प्लानिंग नहीं है।

इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स के बारे में हमको यह निश्चित् रूप से योजना बनानी चाहिए और राजस्थान सरकार को निश्चित् रूप से योजना बनानी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स इतनी बनेंगी, कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट जजेज़ की कोर्ट्स की इस प्रकार की बिलडिंग्स बनेंगी। स्कूलों और मिडिल स्कूलों के बारे में मैंने अभी कहा।

इसी प्रकार से रोड्स के बारे में प्लानिंग होना चाहिए। जिलों के अन्दर जब हम बार-बार देखते हैं तो किसी जिले के अन्दर पिछले वर्ष में कुछ रोड्स का प्लानिंग था, उन रोड्स का प्लानिंग इस वर्ष के बजट में गायब मिलता है और कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। एक जिले की हालत सुनने को मिली कि वहां पर मल्टी पर्पज़ स्कूल खोला गया। स्कूल खुला, बिल्डिंग स्टार्ट हुई, और विद्यार्थी लोग साइन्स की क्लास में भरती हो गये। तीन वर्ष होने आये उस मल्टी पर्पज़ स्कूल को, लेकिन वहां पर साइन्स का ब्लॉक नहीं खुला; हाई स्कूल का एग्ज़ामिनेशन हो गया उनकी पढ़ाई हुई होगी या नहीं, इस तरह की बातें हमारे यहां होती हैं।

इसी प्रकार हम देखते हैं कि मेडीकल रिलीफ के अन्दर जो हमारे यहां औषधालय खोले जाते हैं, या जो अस्पताल खोले जाते हैं, उनके बारे में कोई प्लान्ड योजना नहीं है। हम देखते हैं कि जहां पर होस्पिटल्स खोलने का प्लान नहीं होता है वहां खोल दिये जाते हैं और जहां पर होस्पिटल खोलने की आवश्यकता होती है वहां नहीं खुलते हैं। तो मैं कहूंगा कि इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिनका उदाहरण यहां दिया जा सकता है। हमारा प्लान जरूर है लेकिन कोई तरतीब नहीं है, कोई क्रम नहीं है, इस प्रकार से सारा क्रम चलता है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार का प्लान बनावे, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जिसके अनुसार हरेक जिले में जो भी काम करना हो, वह आबादी और आवश्यकता व सुविधा के अनुसार किया जाय। स्कूलें खोली जायं या सड़कें बनाई जायं डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स को तहसीलों से जोड़ा जाय तो उसके लिए निश्चित योजना होनी चाहिये। मैं और अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना कहूंगा कि ये सारी बातें बजट से सम्बन्ध रखती हैं। सर्विसेज के बारे में भी कहा गया और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन मैं म्युनिसिपलीटीज़ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

२.१ म० प०

हमारी स्वायत्त शासन संस्थायें समाज का बड़ा भारी अंग हैं। जिस प्रकार शहरों के लिए म्युनिसिपलटीज़ हैं उसी प्रकार गांवों में

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

पंचायतें बड़ा भारी हिस्सा अदा करती हैं। लेकिन उनमें जिस प्रकार अनियमितता की बातें चलती हैं उनको देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि पंचवर्षीय योजना काल में पंचायतों से लाभ पहुंचने वाला है। जिस प्रकार से म्युनिसिपलटीज़ को झकझोरा जाता है और अधिकारी अनुचित हस्तक्षेप करते हैं वह बहुत ही अशोभनीय और निन्दनीय कार्य है। इनके बारे में कभी विस्तृत बातें कहने का जब समय आयगा तब कहूंगा, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि म्युनिसिपलटीज़ को वाटर वार्क्स व और और बातों के लिए अवश्य सुविधा देनी चाहिए। सीकर और झुन्झुनू म्युनिसिपलिटीज़ को लिखित रूप में दे दिया गया था कि इतने लाख रुपये देने की स्वीकृति हो गई है, लेकिन बजट में यह रकम नहीं दिखाई गई, इससे उनको निराशा हो रही है। और लोग भी बहुत से जिलों से आये हैं उनको भी निराशा हुई होगी। तो ये सारी बातें देखने की हैं। बजट के बारे में बहुत सी बातें कह दी गई हैं मैं कोई इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फिर भी इस बजट को प्रगतिशील बजट नहीं कह सकते। लेकिन यह बजट हमको पीछे ले जाने वाला भी नहीं है। यह काम चलाने का बजट है। इससे एक वर्ष तक काम चल सकता है। जिनके निर्वाचन क्षेत्र में काम हुआ है, उनको सन्तोष हो सकता है और जिनके निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं हुआ है वे चुप बैठ सकते हैं, यह समझ कर कि कभी न कभी तो बारी आयगी ही। लेकिन धीरे धीरे, शनैः शनैः काम होगा और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल तक कुछ काम हो पायगा। हम सोशलिस्टिक पेटर्न का समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ को सारे जिलों में लागू करना चाहिये। सारे जिले एक साथ विकसित हों, एक साथ उठें, सब को समान लाभ हो इस प्रकार की बात करनी चाहिये और इसी दृष्टि से बजट आना चाहिए।

दूसरी बात यह कहूंगा कि जो आक्षेप नाथद्वारा काण्ड के लिए लगाया गया था, उसकी जांच करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के चीफ जस्टिस को मुकर्रर किया है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जैसा छागला कमीशन की इन्क्वायरी से पता चला कि उनकी इन्क्वायरी के बाद भी कुछ तथ्य रह गये हैं। मैं यह नहीं कहता कि इस मामले में चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट जज इन्क्वायरी नहीं कर सकते, लेकिन इन्वेस्टीगेशन का काम पुलिस ऑफिसर्स अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं इन बातों के अन्दर नहीं जाना चाहता। अच्छा होता यदि इस मामले में सदन की राय ली जाती और सदन के सामने प्रस्ताव आता और लोगों को कहने का मौका मिलता कि चीफ जस्टिस को यह सौंपा जाना चाहिये। यदि पुलिस में इन्क्वायरी होकर बाद में हाई कोर्ट के जज मुकर्रर होते तो अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि यह मामला चीफ जस्टिस साहब को सौंपा गया है, मैं समझता हूं उनकी रिपोर्ट सदन के सामने विचार करने के लिए आवेगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अध्यक्ष महोदय का जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा इस वर्ष का जो बजट है, वह सदन के समक्ष आया है। बजट को हमने सब प्रकार से देखा। अच्छी ३-४ पुस्तकें हैं, वजन में भी काफी हैं। लेकिन मैं समझता हूं, इस

(श्री धर्मपाल पंवार)

बजट को हमारे माननीय सदस्यों ने पूरी तरह से समझने की और पढ़ने की कोशिश तो नहीं की होगी, लेकिन इसकी आड में मन के गुबार निकालने का अच्छा अवसर मिला। हमारे कुछ माननीय सदस्य जो इधर बैठते हैं और कुछ उधर बैठने वालों के मन के अरमान इस तरह से निकले हैं जैसे उनसे पुराना मतभेद हो, लेकिन फिर भी बजट के संबध में हमें संतोष है। इस साल का बजट संतोषजनक है और सभी विभागों को समान रूप से विकास करने का अवसर प्रदान कर रहा है।

कुछ लोगों ने बजट के बारे में बतलाया कि यह बजट ऐसा है जिससे हमारे प्रान्त का कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष का बजट बहुत ही संतोषजनक है। जहां तक मेरा अंदाज है, मैं सरकार का इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि बजट के अन्दर जो आया है, जो रकम रखी है, वह संतोषजनक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका सदुपयोग हो उस तरफ सरकार को सतर्क रहना आवश्यक है। हम यह देखते हैं कि जहां बड़ी बड़ी रकम रखी जाती है जिस काम के लिये वह काम-पूरा नहीं होता है और सारी रकम लेप्स हो जाती है। इसमें हमारी सरकार की या विभागीय उच्च कर्मचारियों की लापरवाही समझिये या कुछ ऐसा ही समझना चाहिये, लेकिन फिर भी बात ऐसी है कि यदि सतर्कता से हम सारे बजट की रकम को साल के अंत तक खर्च करना चाहें तो इससे प्रान्त का काफी कल्याण हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि अपने वित्त मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता क्योंकि वित्त मंत्रीजी के पास ऐसा विभाग है जो हरिजन समाज से भी संबंध रखता है। हरिजनों के लिये, मैं बताना आवश्यक समझता हूं कि पिछली बार अच्छी खासी रकम रखी गई थी और इस बार भी रखी गई है लेकिन इसका सदुपयोग होना चाहिये। इस तरफ वित्त मंत्रीजी को काफी ध्यान देना आवश्यक है।

हम देखते हैं कि हमारे जितने भी सरकारी बोर्डिंग हाउस हैं उनमें हमारे विद्यार्थियों को समानता के स्तर पर लाने की चेष्टा नहीं की जाती है। हमने देखा है कि वस्त्रों में, खाने पीने की चीजों में अन्य सामान देने में संकीर्णता की मनोवृति पाई जाती है। जरूरत के अनुसार पूरी तरह से नहीं दिये जाते हैं। किताबें भी समय पर नहीं मिलती हैं। पिछली बार बीकानेर के हरिजन होस्टल के लड़कों ने विरोध प्रकट किया और कहा कि उनको रजाइयें वगैरा नहीं दी गई।

सर्विसेज़ के बारे में सरकार ने इस साल जो कदम उठाया है, वह वास्तव में सरकार के लिये प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने कदम उठाया है, उसी प्रकार से सरकारी कर्मचारी उनको (हरिजनों के) रखने की कृपा करेंगे। अभी हमारे सामने कई सवाल हैं। सरकारी नौकरियों के लिये १२।। पर्सेंट का कोटा हरिजन समाज के लिए सुरक्षित रखा है लेकिन पीछे का लेखा-जोखा देखें तो पता चलेगा कि हरिजनों को सर्विसेज़ में बहुत कम मौका दिया गया है। हालांकि अब सरकार के सहयोग से और जनता के सहयोग से हरिजनों में शिक्षा का प्रसार होता जा रहा है, लेकिन पढ़े लिखे, शिक्षित लोगों को सेवा करने का मौका न दिया जाय तो हरिजन समाज का सारा उत्साह भंग हो जाता

(श्री धर्मपाल पंवार)

है । इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस ओर ध्यान दिलाऊंगा कि सरकार को ऐसी कमेटी का निर्माण करना चाहिए, जिसके द्वारा अगर हरिजनों की सर्विस में कमी रहे तो उसकी पूर्ति की जाय और वर्तमान में जो नई सर्विस की भरती हो, तो जो स्थान हरिजनों के लिए रखा हुआ है, उन स्थानों पर बहुत ही संजीदगी के साथ हरिजनों को सेवा करने का मौका दिया जाना चाहिए ।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इधर के बोलने वाले एक सदस्य ने, जो सदस्य इस सदन में नहीं हैं, उनके ऊपर आक्षेप किया, बड़ी सुन्दर भाषा और शैली में संकेत किया है और माननीय मुख्य मंत्रीजी को सम्बोधित करते हुए हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने संकेत किया । जगहों का हवाला देकर, जिसमें एक राजगढ़ शहर की एक घटना की तरफ भी संकेत किया और यह कहा गया कि वर्तमान मुख्य मंत्री के वे साथी थे । लेकिन मैं भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी को यह बताना चाहूँगा कि उन्होंने यदि चन्द्र शेखर मेड़तिया का जजमेंट पढ़ा होता तो उनको इशारा करने की आवश्यकता न पड़ी होती । तो मैं सदन का ध्यान, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे अन्दर एक संकीर्ण मनोवृत्ति है, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने की, उससे ऊपर उठ कर देश की तरक्की की तरफ ध्यान देना चाहिए । छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे पर व्यंग कसने लग जाते हैं और जो इस सदन में नहीं है, हाउस में नहीं है उनके लिए कहने लग जाते हैं, ये सारी बातें अशोभनीय हैं । जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उन पर व्यंग कसते हैं कि वह ऐसा था, वैसा था, यह बहुत ही अशोभनीय है ।

श्री टीकाराम पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके सामने मैंने कहा था, जिन व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसको मैंने क्लियर किया था.... ...

एक माननीय सदस्य : आप अंग्रेजी में बोल रहे थे ।

श्री टीकाराम पालीवाल : मैंने स्वयं ने कहा कि जिनके खिलाफ बात कही जाती है, उनका कन्डक्ट मैंने क्लियर किया था, उनकी प्रशंसा की थी । उन्होंने रुपया वापिस दिलाने की कोशिश की थी ।

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ रखिये ।

श्री टीकाराम पालीवाल : जो अभी बताया और जो कल बताया था, उसमें काफी अन्तर है । उस वक्त ऐसी दृष्टि से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संकेत किया जा रहा था, इशारा किया जा रहा है कि मुख्य मत्री के साथी ऐसे हैं और ऐसे कांडों में अपना हाथ रखते हैं, यह स्पष्टतया बता रहे थे । खैर मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, एक प्रसंग आ गया और एक बात आ गई तो मैंने कुछ कह डाला........

श्री मदनसिंह दांता : वह इशारा बुरा लगा, क्या नाम लिया जाय ?

श्री श्रीभानसिंह : तीन चार कॉपी लिख कर लाये हैं, दूसरों को भाषण करने का मौका नहीं मिलेगा ।

श्री धर्मपाल पंवार : एक दूसरी बात यह बताना चाहता हूं कि जो भूमि वितरण

(श्री नरोत्तमलाल जोशी)

गंगानगर जिले में, भाखरा और राजस्थान केनाल के क्षेत्र में हो रहा है, उसके बारे में सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि हमारी सरकार इस बात का दम भरती है कि हम हरिजनों का उद्धार कर रहे हैं लेकिन वहां मैं ने प्रयत्क्ष रूप से देखा है कि भूमिहीन हरिजनों की दरख्वास्तों पर बड़ी बेरहमी से विचार किया जाता है और हरिजन के मुकाबले में कोई दूसरे सज्जन भूमि के लिए आते हैं तो वहां हरिजन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हमारे मुख्य मंत्री जी जब रेवेन्यु मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इस सदन में वायदा किया था कि भाखरा और राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि वितरण के सम्बन्ध में हरिजनों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन जब कि प्राथमिकता देने का सवाल है तब प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और जब दरख्वास्त आती है तो हरिजनों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार को सर्तक रहना चाहिए और हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा भूमि मिल सके राजस्थान और भाखरा क्षेत्र में, यह प्रयत्न किया जाना चाहिए।

दूसरे गंगानगर जिले में ही नहीं, बल्कि सारे राजस्थान में एक सीलिंग की चर्चा चल रही है। इससे गंगानगर जिले में एक खलबली मची हुई है और बड़े बड़े जमीदारों पर भय छाया हुआ है कि क्या होने वाला है। मैं सीलिंग के सम्बन्ध में सरकार को अपने विचार बता देना चाहता हूं। हम यह नहीं चाहते हैं कि जो ऊँचे स्टेन्डर्ड के आदमी हैं, उनका स्टेन्डर्ड गिराया जाय। हम यह जरूर चाहेंगे कि जो गरीब हैं, जो भूखे हैं और जिनका पेट भूख से चिपक चुका है, उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये और गरीबों को अमीरों के स्टेन्डर्ड पर लाया जाय, न कि अमीरों को गरीब के बराबर लाया जाय। सीलिंग के सम्बन्ध में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीबों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सके।

एक बात मैं किश्तों के बारे में निवेदन करूंगा कि हरिजनों को किश्तों के सम्बन्ध में कुछ छूट देनी चाहिए। जहां दूसरे लोगों से १० किश्तों में वसूल किया जाता है, वहां हरिजनों से २० किश्तों में २० साल में वसूल करना चाहिए।

ये सारी बातें जो मैंने कही हैं, ये सरकार के लिए श्रेयस्कर हो सकती हैं और इनके द्वारा हमारे प्रान्त के हरिजन समाज का कल्याण हो सकता है। इन शब्दों के साथ जो वर्तमान बजट है, उसका मैं समर्थन करता हूं, यह बजट हितकारक बजट है और इससे हमारे प्रान्त का भला होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचंद (लक्ष्मनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष की अपेक्षा अबकी बार इस बजट को मैंने ध्यान से देखा है। चूंकी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष वर्गों को कुछ विशेष रियायत देती है, इसलिए मेरी अधिक दिलचस्पी उस सम्बन्ध में है और मैंने इस बजट में जो देखा है, उससे मालूम हुआ है कि बहुत पैसा कल्याणकारी योजनाओं के लिए हम खर्च करते हैं, उनमें कुछ हैड्स मैंने देखे हैं और वे ये हैं (१) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के लिये तथा विकास योजना के लिये व्यय, (२) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये योजनायें (३) अन्य पिछड़ी

(श्री गोकुलचन्द)

हुई जातियों के कल्याण के लिये योजना, (४) गाड़िया लौहार का पुनर्वास (५) भूतपूर्व अपराधी जातियों का कल्याण और (६) अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये योजनायें । इसमें अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये योजनायें, ये दो जगह दिया गया है, एक तो पेज़ ४८८ पर और एक है पृष्ठ ३६६ पर । मेरा ख्याल ऐसा है कि अनुसूचित जन जातियों की जगह एक ही नाम लिखा हुआ है । यह समझ में नहीं आता कि कौनसा हैड अनुसूचित जातियों का है और कौनसा अनुसूचित जन जातियों के लिए है । आप देख लीजिये पृष्ठ ३६६ और ४१६ पर, दोनों में एक ही हैड है, यह समझ में नहीं आता । खैर । मेरा निवेदन यह है कि पहला छात्र वृत्ति का मसला है । राजस्थान सरकार ने छात्र वृत्ति के ऊपर २०, ६७० रु० रखा है और हरिजनों के लिए, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए २५,८७० रु० रखा है और गाड़िया लौहार के लिए १३,७४० रुपया रखा है । इस बजट में जो साढ़े उन्नीस लाख की बचत बताई है, उससे मैं आशा करता था कि क्योंकि हरिजनों के लिए हमेशा कम रुपया रहता है तो अब कि बार ज्यादा नहीं तो एक लाख रुपया और अधिक दिया जायेगा क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए बहुत से उम्मीदवारों के फार्म आते हैं और छात्रवृत्ति बहुत कम को दी जाती है, जिनको नहीं मिलती है, उन्हें निराशा होती है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि जितने आवेदन-पत्र आते हैं, उन्हें सारे स्कूलों में भेजने की व्यवस्था किसी तरह की नहीं होती । सारे स्कूलों में आवेदन-पत्र पहुंचाये जाय, क्योंकि जो स्कूल से आवेदन-पत्र नहीं ले सकते हैं, संस्था से नहीं ले सकते हैं वह रह जाते हैं । इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा विभाग के पास, जहां आप रकम भेजते हैं, लिस्ट होती है स्कूलों की, उन सब स्कूलों के नाम से आवेदन-पत्र भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए । एक और शिकायत मेरी यह है कि साल के अन्दर दो बार स्कोलरशिप बंटती है, आठ महीने की एक बार और दो महीने की एक बार । इससे कर्मचारियों को तो परेशानी होती ही है लेकिन कुछ छात्र इससे वंचित रह जाते हैं । कई छात्रों के मामले डिप्टी डॉइरेक्टर के कार्यालय में पेश किये हैं और वे जब स्कूल छोड़ कर दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती । केन्द्रीय सरकार पूरी की पूरी स्कॉलरशिप १२ महीनों की एक साथ दे देती है और जिन विद्यार्थियों ने रकम ली है उन्होंने बताया है कि केन्द्रीय सरकार एक मुश्त स्कॉलरशिप देती है । मैं समझता हूं कि एक मुश्त रकम हरिजनों को मिलनी चाहिये ।

दूसरी बात है पानी पीने के कुए, इसमें ३६००० और पिछड़ी जातियों के लिये १३६ हजार, जन-जातियां के लिये ४३ हजार हैं; ऐसी हालत में २६ जिलों को देखते हुए यह रकम बहुत कम है । हुलियाना गांव में एक कुआं है, उस पर वहां हरिजन पानी भरते थे, गांव वालों ने उनको पानी भरने से रोकने के लिये एक साधु को बुलाया और उस साधु ने बीज मन्त्र गांव वालों को बताया कि उस कुए की मरम्मत कराओ और मरम्मत के नाम पर रोकने के बाद हरिजन रुक जायंगे तो फिर हमेशा के लिये पानी भरने से रोक दिये जायेंगे । वहां के हरिजन पानी भरने से नहीं रुके, मुकदमेबाजी हुई और गांव वालों ने फैसला दिया कि पानी नहीं भर सकते । हरिजन थाने में गये, पुलिस ने केस दर्ज किया, और

Page No.66

(श्री गोकुलचन्द)

हरिजनों की ७ मवेशियां चोरी गईं। हमारी यह सलाह थी कि झगड़ा न करें, और अलग कूआं खोद लिया जाय। उन्होंने कूआं खोदा, उसमें सहायता के लिये कोई एक वर्ष होने को आया है पर उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। वे कुए के लिये फार्म भरते हैं तो वह तहसील में जाता है, तहसीलदार सिफारिश कर के एस० डी० ओ० के पास भेजता है और एस० डी० ओ० सिफारिश कर के समाज कल्याण विभाग के पास भेजता है, वहां से वे फिर कागजों को इन्सपेक्टर के पास जांच के लिये लौटाते हैं कि जांच करो कि क्या कुआ बनवाना जरूरी है। जब तहसीलदार ने सिफारिश कर दी तो फिर इन्सपेक्टर से जांच क्यों करवाई जाती है? मेरा निवेदन है कि या तो तहसीलदार से या एस. डी. ओ. से जांच करवा ली जाय या एम. एल. एज़. की सिफारिश रखी जाय। उस इलाके के एम.एल.ए. की सिफारिश मानली जाय तो इससे बहुत सुविधा हो सकती है। जिन गांवों में कुओं पर पानी भरने के सम्बन्ध में झगड़ा होता है, वहां पर कुआ खुदवाने के लिए बहुत जल्दी रकम देनी चाहिये, सुविधा जल्दी से जल्दी देनी चाहिये।

तीसरी बात है मकान बनाने की, मकान बनाने के लिये जो कुछ रकम रखी गई है उसमें से १७५ हजार रुपया पिछड़ी जातियों के लिये रखा है, पिछड़ी जातियों को प्रति घर ५०० रुपया की दर से दिया जाता है। कंजर और सीरिया जाति हैं उनके लिये और अनुसूचित जातियों के लिये कोई विवरण इसमें नहीं है कि कितना मिलेगा। एक घर को३५० रुपया मिलेगा यह एक दूसरी लिस्ट में है। यह ना काफी है, गवर्नमेंट जिस प्रकार के मकानों का नक्शा देती है उसमें ३५० रुपये एक घर के देती है, जमीन लेनी पड़ती है, पहले एक जमीन तजवीज की जाय फिर एक नक्शा बने, उसके लिये ३५० रुपया दें उससे क्या मकान बन सकता है, जब उनकी जेब में १००० रुपया हो तो इस प्रकार का मकान बन सकता है। मैं ने गत वर्ष भी सुझाव दिया था कि प्रति घर सहायता के रूप में इनको भी ५०० रुपया दीजिये और ५०० रुपया कर्ज के रूप में दे दीजिये, तब योजना सफल होगी। जमीन दे दी जाय तो बहुत ही अच्छा हो। अलवर में एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, इसके लिये समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी चिल्लाते हैं कि मकान बनवाओं पर मकान बनवाएं कहां से, उन्हें जमीन नहीं मिलती। जब जमीनें नहीं मिलतीं तो फिर वह पैसा किस काम का, चाहे फिर आप लाखों रुपया रखिये, सब बेकार जायगा। आपकी योजना बेकार है जब वह काम में नहीं आती।

आग के लिये सहायता रखी है, जिनके आग लगती है उनको सहायता देते हैं, सहायता दी जाती है, मैं ने अपने हाथों से बटवाई है। मेरे इलाके में एक एक गांव साल में दो दो बार जला है, खुशी की बात है कि इस बार नहीं जला। तो जलने वाले गांव को टीनें दी जायं मेरे सुझाव के अनुसार और रकम देकर बनवा दिये जाये तो हमेशा के लिये यह सवाल हल हो सकता है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

मेडिकल की १६००० रुपयों की सहायता रखी है, १२५० रुपया हरिजन दिवस मनाने के लिये रखा है। राजधानी में हरिजन दिवस मनाया जाता है या नहीं; मनाते होंगे मैं ने

Page No.67

(श्री गोकुलचन्द)

नहीं देखा। मैं जहां रहता हूं वहां का देखा है, इस दिवस के मनाने के लिये कार्यक्रम तैयार करने के लिये मीटिंग बुलाई, पर कलेक्टर साहब नहीं आये; खैर कोई बात नहीं, मैं यह नहीं कहता कि क्यों नहीं आये। एस. डी. ओ. साहब ने मीटिंग की, ४ आदमी उसमें शामिल हुए। मैं था, वैलफेयर इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स। जलूस निकाला तो हरिजन केवल मेहतर थे, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के अलावा कोई शामिल नहीं हुआ। मैं भी उस रोज दुर्भाग्य से सफेद टोपी लगा कर गया था, लोग कह रहे थे गुंडे हैं। मैं समझता हूं कि, इस प्रकार हरिजन दिवस मनाने की क्या आवश्यकता है, इससे क्या फायदा है कि आज्ञा निकाल दी जाय; फिर चाहे उसका पालन हो या नहीं हो? अगर राजस्थान सरकार के कर्मचारी ही सरकार की आज्ञा नहीं मानते हैं तो इस तरह की आज्ञा निकालना ही बेकार है, फिर इस प्रकार आज्ञा निकाल कर क्यों हरिजनों की बेइज्जती कराई जाती है।

आज जो ग्राम पंचायतें हैं, तहसील पंचायतें हैं वहां हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता, मंडावर में पानी भरने की हिम्मत की, बावड़ी पर गये तो खूब पिटाई हुई, अलवर से जयपुर तक कई चक्कर काटे चालान भी तब बड़ी देरी में, बहुत मुश्किल से हुआ। अगर आप हुक्म देते हैं तो उस हुक्म की अच्छी तरह से तामील करवाइये। इस तरह का स्वांग आज अच्छा नहीं लगता। अस्पृश्यता निवारण कानून है, जिनको मन्दिरों में जाना होगा वे मंदिरों में जायेंगे, जिनको कुओं पर जाना होगा कुओं पर जायेंगे, यह कोई जगदीश का मेला नहीं, या ताजिये नहीं—मैं तो आवश्यकता नहीं समझता कि हरिजन दिवस मनाया जाय।

सरकारी नौकरियों के मामले में खुशी की बात है कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि ५१ से ही इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है। पर मैं कहूंगा कि इसमें संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, कोई हरिजन आज कलेक्टर नहीं है, एस. डी. ओ. नहीं है, कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर नहीं है। मुझे सरकार की ईमानदारी पर शक नहीं। उन्होंने एक विभाग, जो मुख्य मंत्रीजी के आधीन कायम किया गया है इसमें हरिजनों को उचित स्थान मिलेगा। पर जो हरिजन नौकरियों में जाते हैं, उनकी आम तौर से यह शिकायत रही है कि जो भी लड़का शिक्षा विभाग में या कोऑपरेटिव विभाग में रखा जाता है तो अपोइन्टमेन्ट होने के बाद उसे ऐसी जगह भेजा जाता है कि उसे तंग आकर आखिर में नौकरी छोड़नी पड़ती है। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूं कि एक राजगढ़ का पटवारी है, वह ट्रान्सपोर्ट में सब-इन्सपेक्टर था, उसे जैसलमेर भेजा गया। एक भरतपुर का कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर है, उसे देखिये प्रतापगढ़, थानागाजी भेजा गया, यह बेचारा रात दिन चिल्लाता है कि नौकरी छोड़ूं या क्या करूं? हमने उसे आश्वासन दिलाया है कि नौकरी न छोड़े. मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा के लिए यह नहीं कहता कि उनको दूसरी दूर जगहों पर भेजा ही नहीं जाय पर नया अपोइन्टमेंट हो, एक हरिजन का लड़का है, वह किस तरह पलता है, किस तरह के वातावरण में रहा है, किस तरह के उसके संस्कार होते हैं, उसको सैकड़ों मील दूर भेजते हैं तो

(श्री गोकुलचन्द)

इसमें उसको बहुत बड़ी कठिनाई होती है। शुरू शुरू में अपॉइन्टमेंट होता है तो इतनी तो सुविधा दीजिये कि वह अपने जिले में ही रहें। जमीन के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समय ज्यादा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे दो तीन बातें ही इस सम्बन्ध में कहनी है, मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे ज्यादा बोलने का शौक नहीं है। मैं मेवों की जमीन की बात आपको बताऊं। मैं आपको अलवर की बात बता रहा हूं। जब अलवर में राजा साहब का राज्य था, वहां पर मेव बसते थे। जिस समय वे पाकिस्तान चले गये तो उनकी जमीनें हरिजनों को पट्टे पर दे दी गई। हरिजनों ने उन पर अपने खेती के साधन जुटाये और सरकार को लगान अदा किया। उसके बाद स्थिति आती है कि उनकी जमीनें कुछ तो छीन कर शरणार्थियों को दे दी और कुछ जमीनें बची हैं उनको हर साल उनसे छीनी जा रही हैं और उनको बेदखल किया जा रहा है। इसलिये इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा आपसे न कह कर यही कहूँगा कि इवेक्यू प्रोपर्टी की सही तरीके से जांच होनी चाहिये। सरकार पटवारी जो लिख देता हैं, वही मान लेती हैं। वहां के लोग और हम एम० एल० ए० कुछ कहें, मगर उनकी कोई सुनता नहीं। पटवारी ने लिख दिया, वह सही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पहली बार मैंने एक प्रश्न माननीय राजस्व मन्त्री से पूछा ऐसी कितनी जमीनें हैं जिनके पट्टे हरिजनों को हुए पर उस पर दखल न मिल सका उसका उत्तर मुझे मिला कि ऐसी कोई जगह नहीं। मैंने एक लेख छापा तब कई भावों में कलेक्टर साहब ने इस सम्बन्ध में दखल दिया। एक केस तिनकी रूड़ी (गांव) का है वहां के लोगों ने नाजायज जमीन दबा रखी थी। आपस में झगड़ा था। उस केस को निकलवाया। जब वह केस निकला तो तहसीलदार जी कई महीनों तक उसको रोक कर बैठ गये। कई सक्यूंलर आदि भी निकले मगर हम लोगों को किसी को कुछ इत्तला भी नहीं दी गई। मैं भी एक पट्टा कमेटी का सदस्य हूं। उस मामले में हमको इत्तला जब दी जब हाई कोर्ट से रिट का स्टे ऑर्डर आया। पट्टा करने के लिये बैठे पट्टा करके तीन या ४ बजे उठते हैं। उस समय आदमी आता है हुक्म लेकर और उसको रोक दिया। तो मैं कहता हूँ कि यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो सरकार को दिलचस्पी लेनी चाहिये और जब सरकार दिलचस्पी लेगी तो हरिजनों का भला हो सकता है और उनको भूमि मिल सकती है। इसलिये इवेक्युई प्रोपर्टी की सही जांच की जावे तो उचित होगा। एक व्यक्ति अपनी जायदाद छोड़ जाता है, पटवारी दूसरों से पैसा खा लेते हैं और अपनी रिपोर्ट किसी दूसरे के हित में कर देता है। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। गवर्नमेंट इसके लिए कदम अवश्य उठायेगी कि इसकी सही जांच हो।

(घंटी)

खैर अब तो समय हो गया है। मगर फिर भी मैं आपको ऑफिसरों की धांधली की बात बता देना चाहता हूं। एक व्यक्ति तकावी के लिये फॉर्म भर कर देता है। उस पर पटवारी रिपोर्ट करता है कि कितनी जमीन है और कितना देना चाहिये। वह तहसील में जब जाता है तो तहसीलदार उस फॉर्म की पूर्ति करने के लिए आदेश देता है और जब वह व्यक्ति उस फार्म की पूर्ति करके लाता है तो तहसीलदार साहब उसे यह लिखकर वापिस लौटाते हैं कि नायब-तहसीलदार जी ने ये

Page No.69

(श्री गोकुलचन्द)

कागजात दस्ती क्यों दिये ? वे उस व्यक्ति को वापिस नायब तहसीलदारजी के पास भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ उनसे कहो कि आपने दस्ती कैसे दे दी ? आप देखिये कि वह गरीब बड़ी मुश्किल से अपने फार्म की पूर्ति करा कर लाता है और फिर तहसीलदार उसको यह कहते हैं कि वापिस जाओ। मगर तहसीलदार साहब खुद उसको दस्ती देते हैं यह बड़े मजे की बात है। कागज मेरे पास मौजूद हैं। जब आप नायब तहसीलदार को कहते हैं कि दस्ती नहीं दे सकते तो फिर आप दस्ती कैसे देते हैं। मैं कहूंगा कि अगर ऐसा किया है तो तहसीलदार का भी जवाब मांगना चाहिये क्योंकि तहसीलदार भी ऐसा ही करते हैं। वे दस्ती क्यों देते हैं? तहसीलदार साहब यहां तक उसके लिए लिखते हैं कि आयन्दा यह काम जारी किया जावे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, योजनायें बनाती है. लेकिन हमें देखना यह है कि जो रुपया खर्च होता है, वह सही तरीके से खर्च होता है या नहीं, कौन कितना खाता है, कितना हरिजनों के और कितना पब्लिक के काम आता है।

(घंटी)

मैं समझता हूं कि समय हो गया है और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से इस सदन में बजट पर जनरल डिस्कशन्स हो रहे हैं और इसमें माननीय सदस्यों ने बजट पर टीका-टिप्पणी करते हुए बहुत से अपने अभियोग या शिकायतें की हैं, मैं उन शिकायतों और अभियोगों का, जो माननीय सदस्यों ने कही हैं व जिनका सम्बन्ध मेरे विभाग से है, उसका जवाब अर्ज करूंगा।

सब से पहले हमारे माननीय सदस्य जो महुआ मंडावर से आये हुए हैं उन्होंने अपने लम्बे भाषण में बहुत सी बातें कहीं, जिनका वे कहते थे कि मैं स्पेसिफिक इन्सटान्स दे कर बताना चाहता हूं कि कितनी गड़बड़ी हो रही है और उन्होंने अपनी जान से कुछ केस इस सदन में पेश किये और उस पर उन्होंने जानकारी दी और यह बताने की कोशिश की कि इन केसेज़ में कहीं न कहीं गड़बड़ होती है और उसके लिये जिम्मेदार ऐसे महानुभावों को बताया जो पहले कभी सदन के सदस्य थे और वे आज सदन के बाहर वकालत करते हैं। उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन जो केसेज़ सदन में पेश किये हैं और जिसके लिये उन्होंने डिटेल दी है, उसके लिये मैं कहूंगा कि या तो जो बात उन्होंने कही उनको मालूम नहीं थी या जो उन्होंने कहा वह सत्य नहीं था। मैं एक एक केस को लेकर बताना चाहता हूं कि किस तरह से तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया गया और किस तरह से कोई भी बात नहीं थी, उसको बताया गया कि ऐसा हुआ और जो हुआ उसको छुपाया गया। मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने जान बूझ कर ऐसा किया है। मैं यह कहूंगा कि जो कुछ कहा गया वह सत्यता से बहुत दूर है।

सबसे पहले कोटा के सेठ का केस जिसके लिये बहुत जोर से कहा गया कि उसके कर्ज के लिये नबाब टौंक ने जमानत लिख दी और उसको लेकर बहुत विस्तार से कहा गया। पहले जब राजप्रमुख का भाषण हुआ था,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उस समय भी इस पर कहा गया था और मैंने अपने जवाब में स्पष्ट तौर से बताया कि अभी तक उसका अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। मैंने बताने की कोशिश की थी कि जो जिम्मेदारी टोंक के नवाब ने ली थी उसमें साफ लिखा था कि अगर रुपया वह नहीं देगा तो रियासत देगी। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। मगर इस बार उन्होंने पहले के भाषण से और ज्यादा आगे बढ़े और कहा कि जब वे रेवेन्यु मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर थे, उस समय यह मामला उनके सामने पेश हुआ और उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेन्स डिपार्टमेंट की राय ली और उस क्लेम को नामंजूर किया और बताया कि उस नामंजूर शुदा क्लेम को हमारी सरकार ने रीओपिन किया और यह उनको देने के लिये किया। माननीय अध्यक्ष, मेरे पास इस केस के सम्बन्ध में सारी फाइल हैं, अगर आप (अध्यक्ष) देखना चाहें तो दिखाने को तैयार हूं। यह केस १६५५ से पहले कभी भी विधि मन्त्री मण्डल के सामने पेश नहीं हुआ। जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जब यह केस उनके सामने कभी आया ही नहीं और न उन्हें कभी इस पर विचार करने या देखने का मौका मिला। हो सकता है, कहीं दूसरी जगह देखा हो। मनुष्य गलती करता है और उनको याद हो इसमें गलती हो सकती है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब कोई फाइल उनके सामने आई ही नहीं, आपने उस फाइल को कभी देखा नहीं, कभी वाकियात उनके सामने पेश नहीं किये गये, जैसा मैंने आपको बताया फाइल मेरे पास है....

श्री बी. एन. जोशी : Is the hon'ble Minister prepared to place these files on the Table of the House ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No. it is not necessary. The House is expected to believe what I say. I am subject to the jurisdiction of the House and if I make a wrong statement I can be punished by the House.

श्री बी० एन० जोशी : But how can the House verify unless you place it on the Table of the House ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am prepared to show all these files to the hon'ble Speaker but I am not prepared to place these files on the Table of the House.

श्री नोरत्तमलाल जोशी : The Chair cannot be involved in these controversies.

श्री अध्यक्ष : Please continue.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस तरह से एक प्रकार की बात माननीय सदस्य यहां सदन में कहते हैं कि उन्हों ने हुक्म दिया था, वह गलत है। उन्होंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था उस फाइल में और यहां तक कि यह फाइल उनके पास पेश ही नहीं हुई थी। इसलिए मैं इस बात को माननीय सदस्यों पर ही छोड़ूंगा कि वे खुद इसको सोच लें कि आया यह उनका कहना कहां तक सही है और किस मोटिव से इस प्रकार की बातें सदन के सामने कही हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसी केस के सिलसिले, में माननीय अध्यक्ष, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत सीरियस बात कही। खास तौर पर उन्होंने यह कहा कि जब बहुत सारी रियासतें मिल कर, जो शब्द उन्होंने कहे, जहां तक मुझे याद पड़ता है यदि वे ठीक हैं तो मैं उन्हीं शब्दों को कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : The successor State has the right to dis-honour all the contracts.

श्री दामोदरलाल व्यास : उन्होंने यह कहा था कि जब बहुत सारी रियासतें मिल कर एक सोवरिन स्टेट बनती है, नई स्टेट बनती है, तो यह माना हुआ सिद्धान्त है कि पहली स्टेट के सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टस हैं, कमिटमेंट्स हैं उसको ओनर करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जहां तक याद पड़ता है उन्होंने ये शब्द कहे थे। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यदि राज्य की तरफ से किसी सिटिज़न के साथ डील किया जाय तो यह राज्य की भी जिम्मेदारी है कि उसके साथ ईमानदारी से डील किया जाय।

श्री नरोत्तमलाल जोशी : There are identical observations from the Supreme Court in a case against the Government-very similar observations.

श्री दामोदरलाल व्यास : What are those? Let me have my say.

श्री नरोत्तमलाल जोशी : Identical observations.

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know. You must have told them when you spoke.

मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि इस पोज़ीशन को माननीय सदस्य जैसा कहते हैं यदि सही मान भी लिया जाय, बात यह होगी किसी से स्टेट गवर्नमेन्ट कर्जा लेती है, कान्ट्रेक्ट करती है और उस स्टेट की दूसरी गवर्नमेन्ट बनती है या आगे चल कर वह स्टेट दूसरी स्टेट में जाकर मिल जाती है, या दूसरी रियासतें उसमें आकर मिल जाती हैं और नई स्टेट हो जाती है तो यह कहा जाय कि चूंकि स्टेट दूसरी बन गई है इसलिए तुमको रुपया वापिस नहीं दिया जा सकता। यदि इस तरह के विचार हैं, तो वे किसी तरह से न्यायसंगत नहीं हो सकते और अभी अभी एक माननीय सदस्य ने उठ कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ओब्ज़र्वेशन्स हैं, हालांकि क्या ओब्ज़र्वेशन्स हैं, यह नहीं बताया। मैं समझता हूं कि हाईकोर्ट के ऐसे ओब्जेरशन्स नहीं हो सकते कि यदि किसी स्टेट ने किसी सिटीजन से कान्ट्रेक्ट किया है, डील किया है, तो उसके साथ उसको बेईमानी से काम लेना चाहिए और ईमानदारी को छोड़ देना चाहिए।

एक बात माननीय सदस्य ने बहुत जोर से कही थी और बड़े जोरों से रखी थी उन्हीं माननीय सदस्य ने जो कि वकील हैं, अभी सदन में नहीं हैं, उन्होंने एक बात गवर्नमेंट होस्टल के सामने वाली जमीन को रीलिज़ कराने बारे में कहा था उन्होंने यह कहा था कि उस मकान को रिलीज़ कराने में, उस आदमी को बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी। खर्च करनी ही नहीं पड़ी रीलिज़ ऑर्डर्स जस्ट थे, गवर्नमेन्ट से ऑर्डर हुआ लेकिन लाने में काफी रुपया खर्च करना पड़ा, एक माननीय सदस्य ने चिल्लाया कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके लिए उनको जायदाद गिरवी रख देनी पड़ी और उस जमीन का उनको कब्जा हासिल करना पड़ा। इस मामले की फाइल को भी मैं रखने के लिए तैयार हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने। अन्तिम ऑर्डर्स अभी सरकार ने नहीं दिये, न इस case में रिलीज करने का प्रश्न आता है। मुख्य प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने उनका नाम लिया था बताया, लालजी की जमीन है। अभी उस फाइल में यह देखा जा रहा है कि आया उनके लिमिटेड राइट्स हैं या एक्सेलरेटेड राइट्स हैं, उस पर लॉ डिपार्टमेंट में विचार हो रहा है; जबकि उन्होंने कहा कि उसका फैसला हो गया, रिलीज हो गई, इतना रुपया खर्च कर दिया। दूसरे इन्स्टान्स उन्होंने पेश किये हैं इसके।

श्री वी० एन० जोशी : On a point of order, Sir. is the Hon'ble Minister prepared to place this file on the Table of the House?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have requested the Chair that I am prepared to show the files to the Speaker, if he so chooses to see, but I am not prepared to place these papers on the Table of the House.

श्री श्रीभानसिंह : I rise on a point of order. The Hon'ble Mihister has used the words. "If the Chair is curious to see." I would like that the word 'curious' should not be used.

श्री अध्यक्ष : There is no question of putting the filebefore the House, they are confidential documents.

श्री श्रीभानसिंह : This term 'curious' should not be used for the Chair. This is my contention.'

श्री दामोदरलाल व्यास : I never said 'curious'; 'chooses to see' I said.

श्री श्रीभानसिंह : The proceedings are there.

श्री मदनसिंह : Even if you have said, it is nothing, क्योंकि क्युरिओसिटी होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तीसरा केस है। माननीय सदस्य ने लैन्ड एक्वीज़िशन के लिए कहा था और उस मामले में माननीय सदस्य, जो वकील हैं, उनके द्वारा एसोसियेट करने की कोशिश की गई। खास तौर पर उन्होंने गम्भीर आरोप लगाये हैं। मैं माननीय अध्यक्ष, आपका इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैंने जब पूछा था तो उन्होंने बताया था कि फलां फलां केस है। उस केस के लिए यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि वह सत्येन्द्रनाथ नृपेन्द्रनाथ बनर्जी का है, जिसका कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया था। ४५-४६ में कुछ जमीन एक्वायर की गई थी और उसके लिए ४६ हजार रुपया उस जमीन पर जो स्ट्रक्चर थे, बाउन्डरी वॉल, मकान इत्यादि उनको पेमेन्ट का दिया था और जमीन जो रह गई थी उसके लिए यह ऑर्डर दिया था कि जयपुर शहर से बाहर उनको इतनी जमीन दे दी जाय और प्रिफरेन्शली उसके बाद यह हुआ कि चेनपुरा में जमीन दे दी जाय। उस पर कार्यवाही हो रही है। लेकिन माननीय सदस्य

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने जैसा जिक्र किया, यहां एम. एल. ए. की है सियते से सार्वजनिक रूप में उस केस को रिप्रेज़ेन्ट किया और स्वीकार किया है, एक वकील की हैसियत से। उन्होंने मुवक्किल की तरह से नोटिस दिया था। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनका नोटिस आया है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। इन्क्वायरी हुई है। वह नोटिस १६. १२. ५७ का था और वह पहुंचा २३. १२. ५७ को। उसके बाद उसी दिन कार्यवाही होकर तुरन्त कलेक्टर को लिखा गया कि जमीन फौरन सुपुर्द कर दी जाय। कल माननीय सदस्य ने नोटिस का जिक्र किया और जितनी बातें हैं उनको सदन के सामने नहीं रखा। यह बात सही है कि कलेक्टर को लिखा गया, आदेश दिये गये कि गांव के आस-पास कोई जमीन हो तो उतनी ही जमीन उनको दे दी जाय। यही नहीं, कलेक्टर के पास नोटिस गया तो कलेक्टर ने डी. ओ. लेटर मुवक्किल के वकील को लिखा, माननीय सदस्य जिनके वकील हैं, उनको लिखा और उसमें यह हिदायत कर दी थी कि तहसील में जाकर जमीन ले लें। लेकिन मुवक्किल नहीं लेना चाहते थे और वे इस कोशिश में थे कि इसका कम्पेन्सेशन मिल जाय कम्पेन्सेशन की ६० हजार की रकम होती है। इस कोशिश में है इसलिए यहां इस तरह यह पेश किया जा रहा है ताकि सारा वजन सरकार पर डाल दिया जाय। जयपुर गवर्नमेन्ट का फैसला है वह हम आज भी मानने के लिए तैयार हैं और वक्त वक्त पर ऑर्डर्स भी जारी किये गये हैं।

जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया लास्ट लेटर कलेक्टर जयपुर द्वारा जो माननीय सदस्य को लिखा गया, वह मैं पढ़कर सुनाऊंगा जिससे मालूम हो जायगा कि वस्तु स्थिति क्या है?

This letter is from the Collector to Shri Paliwalji and is dated 25. 2. 1958. Servashri S. N. Mukherji has been informed vide this Office Order dated 3rd February, 1958. His client was also served with one letter in his capacity as Advocate, 'No land in village Chainpura or Durgapura is available for allotment. However, land in two of the villages in Tehsil Sanganer is available. You may in consultation with the Tehsildar inform this office about the Khasra number so that necessary action in respect of this allotment may be taken by this office."

श्री श्रीभानसिंह : On a point of clarification, Sir, is it not open for the concerned man to claim compensation instead of land ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As I told you just now that this was a decision of the former Jaipur State and it has to be implemented.

श्री श्रीभानसिंह : The Land Acquisition Act has been been passed by this House.

श्री दामोदरलाल व्यास : A decision was taken in the year 1945 by the former Jaipur State. The land was acquired by the former Jaipur State and a decision was also taken by it,

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ, जो कि इन्हीं माननीय सदस्य ने कहा कि उन्होंने नोटिस इसलिए दिलवाया कि वे यह जान सकें कि राज्य सरकार एक्शन लेती

Page No.74

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है या नहीं, सदन में वे बताते कि राज्य सरकार ने एक्शन लिया या नहीं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर माननीय सदस्य के सारे भाषण को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि वहीं भी इस बात का जिक्र नहीं कि उस नोटिस पर क्या एक्शन हुआ, बावजूद इसके कि नोटिस का जवाब मिल गया था...

श्री टीकाराम पालीवाल : इस प्रकार का कोई लेटर मेरे पास नहीं आया।

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी रखते हुए) I have read this letter issued from the collector, Jaipur.

श्री ज्वालाप्रसाद : This practice may not be encouraged, Sir.

दामोदरलाल व्यास (जारी रखते हुए) : इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खास तौर से राज्य सेवाओं को लेकर बहुत ही नैतिकतापूर्ण भाषण दिया। माननीय सदस्य इस प्रांत के मुख्य मन्त्री रह चुके हैं और काफी लम्बे अर्से तक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, लेकिन कल के भाषण को सुनकर हमें अफसोस ही हुआ। उन्होंने अपने इतने लम्बे भाषण में यह बताने की कोशिश की है कि इस प्रकार सरकार द्वारा राज्य सेवाओं पर नाजायज दबाव डाल कर काम करवाया जाता है। वे यह समझते हैं कि राज्य सेवायें आज की सरकार से बहुत असन्तुष्ट हैं और वे इसके लिए बहुत परेशान से मालूम हुए और इसी वजह से उन्होंने दो तीन केसेज़ बताये जो उनसे सम्बन्धित थे, यह बताने के लिए कि वे कहां तक सही कह रहे हैं। कुछ तबादलों को लेकर, कुछ तरक्कियों के मामलों को लेकर उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि अफसरों को विक्टिमाइज़ करने के लिए तबादले किये जाते हैं या यों कहना चाहिए कि खास राजनैतिक कार्यकर्ताओं के कहने में जो अफसर नहीं रहते या उनकी बातों को नहीं मानते उनका बार बार तबादला किया जाता है इससे सर्विसेज़ डिमोरेलाइज़ होती हैं। इन बातों को लेकर कुछ उदाहरण भी आपने दिये, दो तहसीलदारों का भी आपने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि "खन्डार के तहसीलदार का तबदला इसलिए कर दिया गया कि उन्होंने एक गांव की पंचायत के चुनाव बहुत सुचारु रूप से करवाये थे चूंकि कुछ लोग उन चुनावों में हार गये इसलिए उनके कहने पर उन तहसीलदार साहब का तबादला कर दिया गया। मैं इन चीजों की मेरिट्स पर जाना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कह देना चाहता हूँ माननीय सदस्य को कि उनका तबदला पंचायत चुनाव की वजह से नहीं हुआ। उनके तबादले का कारण तहसील पंचायतों का चुनाव नहीं बल्कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कुछ एलीगेशन्स थे। जिसके लिए प्राइमाफेसी तौर पर इनफोर्मेशन कलेक्ट करने पर मालूम हुआ कि एलीगेशन्स सही हैं मैं सदन की जानकारी के लिए वे एलीगेशन्स भी सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा...

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ प्राइमाफेसी एवीडेन्स के आधार पर अगर कोई एलीगेशन्स माननीय मन्त्री महोदय द्वारा सदन में बताये गये तो मैं समझता हूं यह अच्छी परम्परा नहीं होगी, यह सरकारी मुलजिम के प्रति भी अन्याय है। अगर एलीगेशन्स इस किस्म के हैं जिनमें सजा दी जा

Page No.75

(श्री भैरोसिंह)

सकती है और प्रूव्ड हैं और प्रूव्ड बातें अगर माननीय मन्त्री महोदय सदन में लाते हैं तो यह ठीक होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य)

श्री भानसिंह : He is making a mistake by correcting you.

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी रखते हुए) Quite right.

तो मैं अर्ज यह कह रहा था कि ट्रान्सफर उनका पंचायतों के चुनाव के कारण नहीं हुआ बल्कि उनके खिलाफ सीरियस एलीगेशन्स थे और उन एलीगेशन्स की इन्क्वायरी होना आवश्यक था और एवीडेन्सेज़ इस प्रकार की आयी थी कि जो एलीगेशन्स थे वे सही मालूम होते हैं ऐसी परिस्थिति में जांच उनकी ठीक हो सके इसलिए उनका ट्रान्सफर किया गया उनके ट्रान्सफर का ताल्लुक पंचायत इलेक्शन से बिल्कुल नहीं है। माननीय सदस्य के कहने के अनुसार उनको खुद को इस बात में दिलचस्पी नहीं। लेकिन कुछ लोग वहां के ऐसे थे, जिनको इनके रहने में दिलचस्पी थी, जिनको दिलचस्पी थी, उन्होंने आपके पास आकर कह दिया और माननीय सदस्य ने वह मामला सदन में पेश कर दिया।

दूसरे तहसीलदार के बारे में रिश्वत की बहुत सी शिकायतें हैं उसको मुअत्तिल करके इन्क्वायरी की जा रही है। जब तक इन्क्वायरी का नतीजा सामने नहीं आ जाता उसके बारे में कुछ भी कार्यवाही नहीं की जा सकती। माननीय अध्यक्ष, जिन माननीय सदस्य ने इनकी बात रखी, उनको साथ में यह भी कहना चाहिए था कि और यह ज्यादा न्याय संगत होता कि वो कहते कि उसके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है और वो मोअत्तिल हैं ताकि सदन को मुगालता नहीं रहता....

श्री टीकाराम पालीवाल : आप किस तहसीलदार का कह रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बौंली के तहसीलदार का कह रहा हूं।

श्री टीकाराम पालीवाल : कब मुअत्तिल किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेवेन्यु बोर्ड से मुअत्तिल हुआ है।

श्री टीकाराम पालीवाल : एक हफ्ते पहले या दो चार दिन पहले ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कम से कम आपने भाषण दिया उससे पहले।

श्री टीकाराम पालीवाल : मेरे पास तो यह इन्फोर्मेशन है कि जिस दिन भाषण दिया था, उससे पहले दिन तक वे वहीं पर कार्य कर रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आप ऐसे एजेन्ट्स रख लेते जो आपको तुरन्त जानकारी दे देते।

श्री दामोदरलाल व्यास : (जारी रखते हुए) इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष, महोदय, नाथद्वारे के मामले का भी जिक्र किया गया। वैसे तो गजट नोटिफिकेशन इश्यू हो गया जैसा कि मैंने कल ही अर्ज कर दिया। इन्क्वायरी एक्ट की तहत एक सदस्यी कमीशन नियुक्ति कर दिया गया, जिसके हमारे राजस्थान के चीफ जस्टिस ही एक मात्र सदस्य हैं उसके टर्म्स ऑफ रफरेन्स भी गजट में पब्लिश कर दिये गये हैं। बावजूद इसके माननीय सदस्य ने इसके बारे में कहा....

श्री पी० के० चौधरी : What are those terms of reference ? I would also like to know whether the Report will be placed before the House ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have informed the House that a notification has been published in the Extra-ordinary issue of the Gazette.

मगर इस मामले को लेकर जुडिशियल इन्क्वायरी की जो बातें कही जाती थीं, जब जुडिशियल इन्क्वायरी के लिये कह दिया, तो यह कहा जा रहा है कि जुडिशियल इन्क्वायरी से कुछ नहीं होने वाला है और यह कहा गया राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास का हवाला देते हुए कि उन्होंने भी एक बयान दिया है एक अर्से पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिये कहा है । उसका हवाला देते हुए यह कहा गया कि जबतक इस मामले में पुलिस इन्वेस्टीगेशन न हो तब तक कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है । मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि पुलिस इन्वेस्टीगेशन हो । लेकिन पुलिस इन्वेस्टीगेशन जिस का हो उसके लिये पहले केस रजिस्टर होना चाहिये । जो राज्य के अन्दर कानून की व्यवस्था है उस कानून की तहत में किसी केस (case) को पुलिस को वैसे ही हैन्ड ओवर नहीं किया जा सकता । जिन माननीय सदस्य ने यह बात कही वे एक सफल वकील हैं, बहुत बुजुर्ग वकीलों में से हैं, कानूनी हालत इस मामले की क्या है वे सब जानते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन उसी हालत में हो सकता है जब कि केस रजिस्टर किया जाय । इसके अलावा इन्टेलीजेन्स ब्रांच पुलिस का जो रोजमर्रा का काम होता है, वह तो वह करती है उसमें ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं रहती । मगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो तभी हो सकता है जब कि केस रजिस्टर होता है । माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि जिस वक्त नाथद्वारा कमेटी जो है या कहना चाहिये कि ट्रस्टीज़ की बॉडी जो है उन्होंने जो स्टेटमेन्ट दिया है, उससे स्पष्ट है कि उनके लिहाज़ से कोई ओफेन्स नहीं हुआ, डुप्लीकेशन नहीं हुआ, कोई अकाउन्ट का मिस अप्रोप्रियेशन नहीं हुआ । इसलिये केस कौन रजिस्टर करे । केस तो रजिस्टर किसी को कम्पलेन्ट पर हो सकता था । यह कहा जा सकता है, मैं मानता हूं कि माननीय सदस्य ऐसा भी कह सकते हैं कि केस रजिस्टर राजस्थान सरकार को खुद को कर लेना चाहिये । केस रजिस्टर वह भी नहीं कराती है तो औरों से करा लेना चाहिये था । पर सब ठीक है । पर साथ हो यह सोचना पड़ता है, सोचना चाहिये भी कि case किस वाकयात पर रजिस्टर करावें और वह केस गलत साबित हुआ तो कानूनी जिम्मेदारी कौन लेने को तैयार है ? मैं कहना चाहता हूं कि यह सब होते हुए भी इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चीफ जस्टिस से कहा है कि वे इसकी जांच law officers से या पुलिस officers से करायें और जिस तरह की सहूलियतें, इन्वेस्टिगेशन, इन्क्वायरी वे चाहें करें, सरकार उनकी हर तरह की मदद करने को तैयार है और जो भी इस मामल में रुचि रखते हों वे एविडेन्सेज़ दे सकते है, सुबूत उनको दे सकते हैं जो जानकारी दे सकते हों, वे उन्हे दे सकते हैं । इस पर यही मैं आपको निवेदन कर सकता हूं, बाकी जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की जो बात है, वह नामुमकिन है और व्यवहारिक भी नहीं है ।

३. १ म० प०

इसके अलावा माननीय सदस्य दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वैसे मैं कहूँ अपनी आदत के माफिक बहुत जोर से दो बातें ऐसी रक्खीं जिनके लिये कहा गया कि कोई बड़ा घोटाला हो गया, मालूम नहीं क्या हो गया।

श्री मदनसिंह दांता : आपने स्वयं ने हां भर ली थी। मेरी आदत न तो आप मिटा सकेंगे और न मेरी बातों को गलत साबित कर सकेंगे।। मैं, फिर आप कहेंगे तो उन्हें सिद्ध कर दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह हां भर ली वही केस मैं प्रकट कर रहा हूं, उससे ना नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि दो केसेज़ उन्होंने रक्खे। पहला तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां थे नहीं, उनकी अदम मोजूदगी में ऐसे रक्खा जैसे बहुत बड़ा कोई दोष हो गया हो।

श्री मदनसिंह दांता : मैंने यह कहा था कि मैं रखना नहीं चाहता क्योंकि वे यहां हैं नहीं, पर आपने कहा कि उसका जवाब मैं दे दूंगा तब रक्खी थी बात।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप ठीक कह रहे हैं, मैं इससे इन्कार नहीं करूंगा। आपने मलसीसर का केस रक्खा। पुराने महाराजा माधोसिंहजी ने या और किसी ने कहा कि कोई वहां का मामला तय हो गया, उन्होंने कर दिया जिसको माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने रीओपन करके ऐसा कर दिया कि न्याय-अन्याय सभी हो गया। मैं यह सिर्फ सदन की जानकारी के लिये कह सकता हूं कि माननीय सदस्य को पता नहीं कि फैसला कब हुआ और किसने किया।

श्री मदनसिंह दाता : ४० वर्ष पहले।

श्री दामोदरलाल व्यास : थोड़ा सा तो पेशेन्स रखिये। उस मामले का फैसला राजस्थान के राजप्रमुख ने राजस्थान गवर्नमेन्ट की तवज्जोह के खिलाफ किया था और वह किया था ४ जनवरी, ५३ को और उनके खुद के ऑर्डर्स हैं, वे मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं ...

"I have fully examined the case and have heard the parties. Keeping in view the various facts I feel that Thakur Takhat Singh is the rightful owner of Thikana Malsisar and I sanction the Matmi in his favour, on the understanding that anyone who succeeds to him should adopt Bhawani Singh son of his cousin, as son and heir."

यह है, इसके ऊपर दस्तखत है सवाई मानसिंह।

मुझे अफसोस है कि किसी करणीसिंहजी के बारे में चौकड़ी के हकदार रख दिये। अब मलसीसर के जागीरदार के पुत्र को कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है।

श्री मदनसिंह दांता : कोई सपना ले रहे हैं, that is the "chowkdi" case and not Malsisar case

(हंसी)

I am subject to correction.

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कल मलसीसर केस का इशारा किया था। हो सकता है, मैंने गलती की हो।

(हंसी)

आज तो यही फाइल लाया हूं और मौके पर उसकी फाइल निकलवा कर बताऊंगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरा केस जिसके लिये आप कह रहे थे कि मैंने स्वीकार किया है उसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने स्वीकार किया था कि वह केस क्या है। कहा गया कि सत्तरह अठारह हजार रुपये दिये गये, जैसे कोई घोटाला हो गया हो। एक चारवास ठिकाना है बीकानेर में। उसके सक्सेशन के लिये एक रामसिंह नामक व्यक्ति ने कलेक्टर चूरू के यहां दरख्वास्त दी। कलेक्टर ने जागीर सक्सेशन एक्ट के तहत में उसे सुना और वहां वह केस तय हो जाता है। वहां की कमिश्नर या रेवेन्यु बोर्ड में अपील की जाती है।

श्री मदनसिंह दांता : बिल्कुल नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप सुनिये शान्ति से।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो मार्च ५७ को कलेक्टर चूरू ने रामसिंह के हक में फैसला कर दिया उस फेसले के खिलाफ वहां के जागीरदार की लड़की श्रीमती रूपकंवर ने रेवेन्यु बोर्ड में अपील की। पर फिर अपील को तो विद्ड्रा कर लिया, आपस में राज़ीनामा करके अगस्त ५७ में। पर रिवीजन पॉवर में रामसिंह के खिलाफ फैसला हुआ। उसमें कहा गया कि कलेक्टर ने जो फैसला किया वह गलत था, क्योंकि सब पार्टीज़ को नोटिस देकर फिर फैसला करना चाहिये था। इसलिये इस केस को रिमान्ड कर दिया। इस बीच में जो वक्त मिला रामसिंह ने इन्टेरिम कम्पेन्सेशन की रकम चूरू से ड्रॉ कर ली। अब इसके लिये राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, हालांकि यह केस कलेक्टर और रेवेन्यु बोर्ड से आगे बढ़ा नहीं। राज्य सरकार के सामने जब यह मामला आया तो उस पर जो नोटिंग और ऑर्डर हुए, माननीय सदस्य ध्यान से सुनें मैंने यह ऑडर दिया है...

(लिखित उपलब्ध नहीं हुआ)

यह ऑर्डर हमने यहां से दे रक्खा है।

श्री मदनसिंह दांता : इसका मतलब क्या ! आप खुद लिख रहे हैं कि उसने गलत ऑर्डर दिया। गलत आदमी को सक्सेसर माना। और मेरा चार्ज क्या था ! और आज उसी कलक्टर को आप तरक्की दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या हो गया इसमें तो ?

श्री मदनसिंह दांता : १७ हजार का घाटा हो गया; न उससे कुछ कह सकते हैं, न ले सकते हैं। लेने वाले ने कलेक्टर के ऑर्डर से जागीरदार होकर लिये हैं और अब दुबारा सही आदमी को वह रकम गवर्नमेंट दे नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : Order please ! order !!

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा जो अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने रिफ्यूजी की समस्या जमीन के मुतल्लिक पेश की और जो हरिजनों की समस्या पेश की उसके बारे में यह सही है कि उनका और लैण्ड का खास तौर से अलवर भरतपुर में कॉम्प्लीकेटेड मसला है। इसमें बहुत सी उलझनें पैदा हो गई हैं। इसके लिये सरकार पूरी कोशिश कर रही है। अब इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी चूंकि सम्बन्ध है इसलिये वहां के रिहैबिलिटेशन विभाग के मन्त्री श्री खन्ना साहब से भी बातचीत करते रहते हैं और इन मामलों को सुलझाने की कोशिश

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करते हैं। पर साथ ही इसकी आवश्यकता है कि जो रिफ्यूजी जो जमीनों पर बैठे हैं या वे हरिजन जिनको पट्टे पर जमीनें दी गई हैं महसूस करें कि वह इवेक्यूई लैण्ड है। उस पर न राज्य सरकार का अधिकार है न उनका इसलिये इस इवेक्यूई कानून के मुताबिक उन पर अमल होगा और खास तौर से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इसमें सद्भावना को साथ लेकर नहीं चला जावेगा तब तक किसी कम्प्लीकेशन को ठीक करने में हम सफल नहीं हो सकेंगे।

अभी अभी पिछले महीने में वहां के मुतल्लिक एक मुफस्सिल नोट खन्ना साहब को भेजा है। वे इस महीने के आखीर तक या अगले महीने में यहां आवेंगे तब फिर उन के साथ बैठकर बातें करेंगे। आशा है कोई न कोई हल निकल आवेगा। इस सम्बन्ध में यही मैं कह सकता हूं।

दूसरी बात, हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आये हुए माननीय सदस्य ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ कहा। मैं पहले भी सवाल के जवाब में बता चुका हूं कि हरिजनों को एलॉटमेंट ऑफ लैण्ड में काफी प्राथमिकता दी गई है और अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड के जो रूल्स हैं उसकी धारा ६ के अन्दर सारे राजस्थान में जहां अलॉटमेंट अनक्युपाइड लैण्ड का होगा उनमें २५ पर्सेन्ट जमीन रिज़र्व की गई है। अब वह बराबर भाखड़ा नांगल के रिज़र्वेशन के लिए कहते हैं। ५० हजार एकड़ जमीन जो अलॉट होगी उसमें हरिजन भी आयेंगे और उनको भी अलॉट होगी और यह कहना कि वहां उनके साथ में कुछ रियायतें नहीं की जाती हैं या उनकी दरख्वास्तों को ज्यादा खारिज किया जाता है। माननीय सदस्य स्वयं उस कमेटी के सदस्य हैं और यह उनको देखना है कि वहां कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं होता है। इसके अलावा हर एक कमेटी में एक हरिजनों का रिप्रेज़ेन्टेटिव है और हरिजनों का सदस्य होने से उनके राइट्स काफी सेफगार्डेड हैं और हां, अगर कोई ज्यादती होती हो और उसको ध्यान में लाया जाये तो इसके बारे में मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि उनकी जो कुछ बात होगी उसके लिए मैं मदद करूंगा और उसके लिए कोशिश करूंगा। यही बात मैं आपके समक्ष माननीय सदस्य कहना चाहता था एक बात जरूर है कि जहां रिफ्युजीज़ के पट्टेदारी के मामले में सवाल किया गया है और यह कहा गया है कि उनको बेदखल होना पड़ा है तो मैंने इस साल के पहले जब मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई तो बराबर कलेक्टर साहब अलवर और भरतपुर को इस की हिदायत दी थी कि ऐसा नहीं है। उसके बाद में भी बेदखल की शिकायतें आईं तो मैंने एक्शन लिया। एक माननीय सदस्य ने कहा तो मेरे ध्यान में नहीं आया कि ऐसे कहां एजेक्टमेंट हुआ है और बेदखल किया गया। मेरा ख्याल ऐसा है कि अगर वह मेरे ध्यान में इसको लायेंगे तो विश्वास दिलाता हूं कि उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी। मगर एक बात है कि जब तक आप स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ नहीं देते तो यह मुमकिन नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकूं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जो बात कहना चाहें वह मिसाल के तौर पर कहें और स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज़ दें तो उसमें हमें जांच में सहूलियत होगी और उसके साथ साथ मुझे यह सहूलियत मिल सकेगी कि....

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir, the Hon. Mini-

(श्री पी. के. चौधरी)

ster did not reply about Lambardars' remuneration which is an abuse of the rule-making power.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not finished yet, when you interrupted. I was coming to it. Thank you very much.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon. Minister sat down, then I stood up.

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, एक बात इस सदन में एक से ज्यादा सदस्यों ने कही और उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की कि लम्बरदारी सेस लगाया गया है। वह एक साहब ने कहा कि टैक्स लगाने का यह बैकडोर सा तरीका है और कुछ ने कुछ कहा और कुछ ने कुछ। लेकिन एक से अधिक सदस्यों ने आपत्ति की है इसलिए इसमें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान में अलग-अलग रियासतों में इसके बारे में अलग अलग तरीके से अमल था और लम्बरदारी सेस हर एक रियासत में था और उन लम्बरदारों के जो रैमुनरेशन्स हैं वह कहीं तो राज्य सरकार के खजाने से दिये जाते थे, तो कहीं किसानों से वसूल करके दिये जाते थे, कहीं लम्बरदारी सेस के नाम से और कहीं किसी नाम से दिये जाते थे। ज्यादातर रियासतों के अन्दर आज से नहीं बल्कि सदियों से यह सेस वसूल होता आ रहा है और जगह-जगह होता था। मेरा ख्याल है कि मुझे उदयपुर स्टेट का ठीक तरह से मालूम नहीं है, बाकी हर जगह यह वसूल होता था और हर जगह लम्बरदारी सेस से ही लम्बरदारों को रुपया दिया जाता था....

श्री पी० के० चौधरी : 'ए' क्लास स्टेट में कौन कौन से स्टेट से होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री पी० के० चौधरी : Amongst 'A' class States, which other States levy such a sees ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Let me finish this first. I will tell you. तो जयपुर राज्य में भी यह 'मलवा' के रूप में वसूल हुआ करता था और लम्बरदारों और पटेलों को रेमूनेशन इसमें से दिया जाता था। सन् '५४ या ५५ में हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कानून में कोई प्रॉवीज़न नहीं है इसलिए बन्द होगा। जोधपुर में 'सेवाई' के नाम से और दूसरी-दूसरी रियासतों में अलग-अलग नाम से वसूल हुआ करता था। अब चूंकि हमारा लैण्ड रैवेन्यू एक्ट बन गया और हमारे लैंड रैवेन्यु एक्ट की जो रिलेवेन्ट धारा है, जिसमें कि लम्बरदारों के अपॉइन्टमेन्ट के बारे में लिखा है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अन्दर स्टेट गवर्नमेन्ट को यह पॉवर्स दी गई है कि उनको रेमुनरेशन देने के लिए कहीं से देने के लिए रूल्स बनाये हैं और जो इसके अनुसार गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पॉवर्स दी गई हैं उनमें यह ५ पर्सेन्ट लम्बरदारी सेस है; वह लगाया गया है और इसी धारा के तहत उस सेस को लगा कर के कार्यवाही की गई। यह कोई चीज नहीं जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि यह बैकडोर प्रैक्टिस है। यह तो साफ बात है कि लैंड रैवेन्यू एक्ट ने गवर्नमेन्ट को रूल मेकिंग की पॉवर्स दीं। जैसा मैंने कहा कि हर एक राज्य में इस प्रकार का प्रावधान था कि लम्बरदारी सेस वसूल किया जाय। किसी न किसी नाम से चाहे उसे भाषण कहें, चाहे 'सेवाई' कहें

Page No.81

(श्री दामोदरलाल व्यास)

वह वसूल होता था और लम्बरदारों को इससे रेमुनरेशन मिलता था । यह कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : 'ए' क्लास स्टेट में कहां लगाया ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय,... ...

(करतल-ध्वनि)

श्री सज्जनसिंह : I want some information from the Revenue Minister on this point, if I may be permitted to request the Hon. Minister...

श्री अध्यक्ष : You can table a question if you want more information.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, बहुत बुरा होगा कि प्रश्न और उत्तर की तरह भाषण होने लगें ।

अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से कल मैं सदन के अन्दर जिस समय बहस हो रही थी उस समय उपस्थित नहीं रह पाया और एक अत्यन्त दुखद घटना की वजह से मुझे अचानक जोधपुर जाना पड़ा । इस वजह से बहुत सा जो कल भाषण हुआ उनकी तरफ से और साथ-साथ जो बातें कही गई वह मुझे मालुम नहीं हैं और इस वजह से मैं उस सिलसिले में ज्यादा नहीं कह पाऊंगा । उसके लिये माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे । कल भाषणों के दौरान में मुझे ऐसा बतलाया गया कि सर्विसेज़ के बारे में एक माननीय सदस्य ने काफी कहा कि सर्विसेज़ को राजनैतिक दबाव से दूर रखना चाहिए. उनको हर दृष्टि से आगे स्वयं राय जाहिर प्रकट करने के लिए मौका देना चाहिए और शायद यह भी कहा कि यह गवनमेन्ट सर्विसेज़ के मामलों में दबाव डालकर के एक व्यक्तिगत तरीके से उनके काम में बाधायें पहुंचाई जाती हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमने निरन्तर इन वर्षों में यह प्रयत्न किया है कि जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है, उनको पूरी तौर से काम करने के लिए अवसर दिया जाय और उस अवसर देने के अन्दर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से उनका जितना सेफगार्ड किया जाय उतनी ही ज्यादा सेफ्टी के साथ वह इस मामले में काम कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी हमें है कि इन वर्षों में अलग अलग कैडर्स में सर्विस रूल्स बनाये । प्रमोशन्स के लिए जहां आप को मालूम है कि पहले डिपार्टमेन्टली होते थे, मिनिस्ट्रियल लेवल पर होते थे उसके बजाय अलग-अलग कमेटीज़ सैट अप कीं । पिछले वर्षों में अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी ठीक फिगर्स नहीं हैं, लेकिन उसकी जानकारी की जाय तो यह मालूम होगा इन साल दो साल के अन्दर जहां पहले बहुत से टेम्परेरी अपॉइन्टमेन्ट्स हुआ करते थे उनको डिसकरेज करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेन्ट शुरू किया गया और इसके बाद में हम निरन्तर प्रयत्नशील हैं कि किसी भी तरह इस प्रकार की स्थिति पैदा हो सके कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही उनकी नियुक्ति हो । जो सारी बातें टेम्पोरेरी अपॉइन्टमेन्ट्स में पैदा होती थीं वह हट गई हैं । साथ ही सर्विसेज़ के बारे में बहुत सी अच्छी बातें कही गईं तो मैं समझता हूं कि सर्विसेज़ के बारे में तो उन्होंने भी दिल से तारीफ की है; जो बहुत खुशी की बात है ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लेकिन हम लोग इधर बैठने वाले इस बात को हमेशा कहते रहे हैं कि राजस्थान की सर्विसेज़ राजस्थान को आगे बढ़ाने में काफी काम कर रही हैं और मैं इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं जो हमारे इस राजस्थान के अन्दर, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में ऐसा शायद कहीं भी अवसर नहीं आया है, जहां तक मेरी जानकारी है कि एक पुलिस का सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाकुओं के मुकाबले डटकर खड़ा हो जाये और डाकुओं की गोली का शिकार हो जाये। इस प्रकार की भी हमारी सर्विसेज़ का स्टेन्डर्ड है और उस भयंकर डाकू दल के, जिस डाकू दल के सरगने का नाम कल्याणसिंह था उसने ८० के करीब लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके अलावा १४ लोगों के नाक और कान काटे, और कई डकैतियां कीं, सामने जाकर सुबह ६ बजे से लेकर शाम के ६॥ बजे तक मुकाबला किया और एक दूसरे के बीच में निरन्तर गोलियां चलती रहीं। मैंने खुद ने जाकर उस इलाके को देखा। वह कोई आसान बात नहीं थी। उन लोगों ने दिन की रोशनी में उसका मुकाबला किया और रात के लिए ढाणी के चारों तरफ आग लगाने की हिम्मत की क्योंकि उन्होंने सोचा कि थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जायगा और अंधेरा होगा तो ज्यादा मुश्किल हो जायगी। एस. पी. मारा जाय और डी वाई. एस. पी. के गोली लग जाय और एक कॉन्स्टेबल मारा जाय, तो आमतौर से डिमोरेलाइज़ेशन हो सकता है, ऐसे ज्यादा मौके होते हैं, लेकिन उसके बीच में वे टिके और डट कर उसका सामना किया और आग लगाने की हिम्मत की कि यदि जरूरत पड़े तो ढाणी को चार्ज करके सीधा पहुँच जायेंगे। लेकिन डाकुओं को भाग कर नहीं जाने देंगे। यह मैं समझता हूं कि एक ज्वलन्त उदाहरण है कुरबानी करने का और किस हद तक सर्विसेज़ कर्तव्य परायणता पर पहुँच सकती हैं। (करतलध्वनि) मैं समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस घटना को सुना होगा, जहां एक तरफ हमारा दिल ऐसे कर्तव्य परायण और ईमानदार ऑफिसर के इस प्रकार से मारे जाने के कारण दुःखी हुआ, उस वक्त ऐसा लगा होगा कि जो कामयाबी उन्होंने हिम्मत से हासिल की, उसकी खुशी भी हुई होगी। सर्विसेज़ के बारे में हमेशा कहते रहते हैं, अच्छा हो कि सदन में सर्विसेज़ को राजनैतिक दृष्टि से इधर उधर न करें। वे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हम यह भी नहीं कहते हैं कि सर्विसेज़ सभी सड़ी गली हैं, सारी बुरी हैं। हम जानते हैं कि सर्विसेज़ में जिस जिस को जिस प्रकार का अवसर दिया गया है उन्होंने उसकी पूर्ति की है। कमियां हो सकती हैं। कमियां सब जगह हैं। हर प्रकार के लोगों को कुल मिलाकर राजस्थान को आगे बढ़ाने में एक बड़ा हिस्सा अदा करना है, ऐसी मेरी मान्यता है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में फिर कुछ इस प्रकार का सिलसिला बन गया है और सब से दुःखदायी बात इस बात में लगता है कि जहां उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य कुछ कहते हैं उसमें किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। इससे ज्यादा कुछ न कह कर खास तौर से इस समय एक माननीय सदस्य जो लगातार इस बारे में कहते हैं उसका मुझे दुःख होता है, लेकिन मैं उसी प्रकार का जवाब दूं यह मेरी आदत में है नहीं और न मैं उसको उचित ही समझता हूं कि उस बात को कहूं। एक वक्त आयेगा जब कि शायद वे स्वयं अनुभव करेंगे कि जो कुछ उन्होंने राजस्थान की धारा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सभा में, इस विधान सभा में परम्परा डाली है वह स्वस्थ परम्परा नहीं डाली है और उचित भी नहीं किया है। राजस्थान की सेवा करने के अवसर और सुझाव देने के अवसर बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे राजस्व मन्त्रीजी ने बतलाया कि जिन चीजों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है तथ्यों से वे बहुत ही दूर जाती हैं। मैं समझता हूं कि आम तौर से सदन में जहां कि इस बात की आजादी है कि हम जो कुछ कहते हैं उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है कि जो कुछ बात कहें उसका पहले यकीन कर लें कि वह सत्य है। अगर उस आजादी का यह उपयोग करें और कहें कि किसी केस के लिये किसी तरह से २५ हजार रुपये वहां पर इधर हुए या उधार हुए और उस सदस्य के लिए जो कि सदन में नहीं है और वह बाहर से आपको कहे हुए पर मुकद्दमा दायर नहीं कर सकता है डिफेमेशन का। अगर यह चीज़ बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि हर एक समझेगा कि यह तो क्रिटिसिज्म का तरीका है कोई जरूरत नहीं है पूछताछ की; जो दिल में आये वह कह दो। मैं समझता हूं कि इससे कुछ हो या न हो लेकिन उसमें सदन की प्रतिष्ठा अवश्य गिरेगी। वह एक व्यक्ति के सोचने की बात नहीं। सब के सोचने की बात है, क्योंकि सदन की प्रतिष्ठा न हम यहां बैठे हुए हैं अकेले की धरोहर है, बल्कि सब की है। अभी जैसा कि यहां पर कहा गया है और उस कहने से आपको, और माननीय सदस्यों को स्पष्ट हुआ कि तीन केसेज़ जो आपके सामने आये हैं, उन तीन केसेज़ के मामले में काफी स्पष्ट तौर से यह मालूम होता है कि आदेश कुछ दिये गये हैं तो उसकी जानकारी गलत तरीके से हुई है। यह सारी स्थिति विपरीत निकली तो, मैं समझता हूं कि अच्छा तो यह है कि जब तक पूरे वाकयात नहीं हों, आपके सामने, फैक्टस नहीं हों, जब तक आपको पूरा यकीन नहीं हों, तब तक इस सिलसिले को न चलायें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य होता है इस को सुनकर और जो कुछ चलता है उसके बारे में कि नाथद्वारे की बात को लेकर मुझे याद है कि आम तौर से अविश्वास का प्रस्ताव आया था। उस समय बड़े जोर से जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए कहा गया था। एक जनसंघ के माननीय सदस्य हैं उन्होंने यह भी कहा था कि यदि यह कर देंगे तो अविश्वास का प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हो जाते हैं। खैर, उन्होंने लिया या नहीं यह उनके और उनकी पार्टी के सोचने की बात है कि वे उस पर कितना कायम रहे, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इस सदन में जब तक यह कहा गया कि जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए, उस पर जोर दिया गया शायद यह समझ कर कि हम इसको टालेंगे और उनके भाषण देने के अवसर चालू रहेंगे, लेकिन जब हम चीफ जस्टिस को मुकर्रर करने को तैयार हैं जुडीशियल इन्क्वायरी के लिए, तो और शर्तें या दूसरी बातें पुलिस इन्क्वायरी की कहने लगे। पुलिस इन्क्वायरी की बात कहने वाले कहने लगें कि स्पेशल पुलिस दिल्ली की आकर इन्क्वायरी करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सर्विसेज़ के मामले में एक बार विश्वास जाहिर करते हैं और दूसरी बार अविश्वास जाहिर करते हैं तो यह कई चीजें कोई मेल खाने वाली साबित नहीं होती हैं। मेरा ऐसा

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मानना है कि राजस्थान के अन्दर लोग आग जो काम करते हैं वे निडर होकर और एक तरह से जो कुछ भी अपनी राय होती है उसको क्रियान्वित भी करते हैं। लेकिन इस वाद-विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहूंगा। इसलिए कि दुर्भाग्य से आज हमने जितनी भी चर्चा करी है अभी तक मेरा ख्याल होता है कि उसका जवाब देना न तो आवश्यक है और जब कि एक जुडीशियल इन्क्वायरी कायम कर दी गई है, उसके बाद में अगर यह कहूं कि पुलिस इन्क्वायरी क्यों जरूरी नहीं है, क्या फेक्ट्स हैं और क्या नहीं उसका असर इधर या उधर पड़ता है? वह चीज़ कहना अब उपयुक्त नहीं होगा। जो कुछ मुझे कहना था वह मैं कह चुका हूं। कहा तो बहुत जा सकता है, लेकिन मैं स्वयं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि अब जब कि एक जगह इस काम को सौंप दिया है, अच्छा हो कि वह इस काम को देखे। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस महोदय, राजस्थान के हित में राजस्थान सरकार से तथ्यों तक पहुंचने के लिए सहयोग चाहेंगे वह सहयोग देगी उसके अन्दर कोई झंझट की बात नहीं है। आज यह ख्याल किया जाता है कि तथ्यों तक पहुचने के लिए दिक्कतें सामने आती हैं इस प्रकार से वे नहीं आ पायेंगी। चीफ जस्टिस महोदय, जो कुछ कहेंगे तथ्यों तक पहुंचने के लिए अमुक कार्यवाही राजस्थान सरकार को करनी चाहिए, वह करने के लिए सरकार तत्पर रहेगी।

(करतलध्वनि)

इस सदन के अन्दर बहस के दौरान, मैं कभी कभी सोचता हूं बहस इस बात की कोशिश के लिये की जाती है कि हम कैसे किसी काम को जो ईमानदारी से हो या बेईमानी से हो इस प्रकार साबित करने का प्रयत्न करें कि जिस चीज पर बहस करते हैं वह उल्टा असर तो नहीं डालती, इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या यह उचित है एक विधान सभा के सदस्य के लिये, जो किसी पर्टिक्युलर केस में वकील हैं इस सदन के बाहर, उसको इस सदन में पेश करे? (हीयर हीयर) एक प्रोप्राइटी का सवाल खड़ा होता है, ईमानदारी का सवाल खड़ा होता है, जिस केस की हम बाहर पैरवी करते हैं उसकी सदन में और तरह से पैरवी करें।

कल एक सवाल पैदा हुआ था, एक साहब को परमिट नहीं दिया गया कोटा से अजमेर के लिये बस का। स्वाभाविक बात है कि जिसको पर्मिट नहीं देंगे वह शिकायत करेगा। लेकिन यह शिकायत ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ दी गई जो इस सदन में नहीं है। जो व्यक्ति इस समय सदन में नहीं है ऐसे व्यक्ति ने २५,०००) रुपये मांगे। यदि ये रुपये दे दिये जाते तो पर्मिट देने की आगे कार्यवाही चलती। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि इसका संबंध ब्रजसुन्दरजी से होगा। ट्रान्सपोर्ट के संबंध में, लेकिन दोनों की स्थिति यह है कि दोनों आपस में मिलते नहीं, आपस में एक दूसरे के साथ बैठते नहीं, वैसी हालत में २५,०००) रु० मांगने की बात मानने जैसी बात नहीं है। जहां तक ट्रान्सपोर्ट या इलेक्ट्रिक कंपनी का सवाल है, इस बारे में तथ्य का पता है। मैं तथ्य में जाना नहीं चाहता। वे बिज़नेसमैन हैं, बाहर बिजनेस करते हैं। एक बार पहले भी कहा था, आज मैं निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय, कि कोई व्यक्ति साल भर तक मिनिस्टर रह गया हो और उससे कोई न कोई गलती न हुई हो ऐसी

Page No.85

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बात नहीं है। हो सकता है कि कोई न कोई आॅर्डर देने में गलती हुई हो, कोई आॅर्डर रिवर्स हो गया हो, ऐसी बहुतसी बातें सामने आ सकती हैं लेकिन हर चीज को इस चीज के साथ जोड़ना कि जो कुछ किया गया है इस दृष्टि से किया गया है, उचित नहीं है।

अभी राजस्व मंत्रीजी ने एक फायल से स्पष्ट करने की कोशिश की थी लेकिन माननीय सदस्य ने कहा कि फायल सदन की मेज पर रखी जाय। मुझे दुःख हुआ यह सुन कर। मैं समझता था कि इतना विश्वास तो अवश्य होना चाहिये जब कि एक चीज, तथ्य को सामने रख कर कही जाती है तो उसको मानना चाहिये और यदि फायल सामने रखदी जाय और सत्य साबित हो तो क्या दूसरे माननीय सदस्य के लिये कार्यवाही करने को तैयार हैं...

श्री भैरोंसिंह : हमेशा तैयार हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : किसी के लिये भी कहा हो गलत इत्तला दी है तो हमेशा कार्यवाही करने लिये सदन तैयार है।

श्री विशंभरनाथ जोशी : On a point of information, Sir, as explained by the Hon' ble Chief Minister I want to know that when the Government is so sure about......

(बाधा)

Sir, I am exercising my right of speech. I hope the Hon' ble Speaker will maintain the dignity of the House. I have a right to speak.

श्री अध्यक्ष : There is no question of raising any debate on this point.

श्री विशंभरनाथ जोशी : I was raising a point of information.

श्री अध्यक्ष : No, it was not necessary.

श्री विशंभरनाथ जोशी : It is for the Chair and not for certain people to try to prevent me in the exercise of my right to speak, I have been given the right to speak by our Rules of Procedure. The point that I raised was that when the entire transaction was so much clean and beyond suspicion, where was the necessity of an agitation for not placing the records on the Table of the House which is a sovereign body of the State.

श्री अध्यक्ष : He has already clarified that.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) इसमें अध्यक्ष महोदय, पोइन्ट आॅफ इन्फोर्मेशन की बात निकली नहीं, लेकिन मैं जैसा पहले कह चुका हूं, मैं इस बात के लिये सख्त ऐतराज करता हूं, सदन को हमारी बात का विश्वास होना चाहिये और अगर विश्वास नहीं है तो हमें हटा देना चाहिये। एक एक फाइल के लिये कहा जाय कि यहां पेश की जाय, यह हमारे लिये शोभाप्रद नहीं है, न सदन के लिये ही शोभा प्रद है और न यह पार्लियामेन्टरी पद्धति के अनुकूल ही है; इस वजह से ऐतराज करता हूं, इस वजह से नहीं करता कि तथ्य है या नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि क्या सदन इस बात के लिए तैयार है कि जो माननीय सदस्य यह कहना

Page No.86

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चाहते हैं कि इसमें तथ्य नहीं है, मैं अभी फायल यहां रखता हूँ, यदि इसमें सत्यता है तो क्या वे सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ने को तैयार हैं......

श्री विशम्भरनाथ जोशी : The question does not arise. I had not said any thing about the contents of that file. I simply asked whether the Hon'ble Revenue Minister was prepared to place the records on the Table of the House.

श्री मदनसिंह दांता : यदि सदन के सभी सदस्यों के लिए फरमाया जाय....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं सब के लिये नहीं कह रहा हू, आपने फाइल मांगी नहीं है। इसमें तेजी और गर्मी का सवाल नहीं है। सदन के बारे में कुछ परम्पराओं की दृष्टि से कहूँ कि हम जो बातें कह रहे हैं उन बातों के बारे में मैं देख रहा हूं। धीरे धीरे जो हमारा ट्रेन्ड बनता जा रहा है वह उपयुक्त नहीं है। जनतन्त्र में किसी को विश्वास नहीं है तो उसको उस स्थान पर नहीं रखने का तरीका है, उस पर चलें तो ज्यादा उपयुक्त है; बजाय इसके कि सदन की प्रतिष्ठा बिगड़े। इस दृष्टि से मैंने कहा था।

अब अध्यक्ष महोदय, यहां पर कल और आज जो वाद विवाद हुआ उसमें एक बात और सुनने में आई। एक माननीय सदस्य ने कहा, शायद गंगानगर जिले के लिए कहा गया कि वहां के कलेक्टर का तबादला साल में चार बार हुआ, ऐसा बतलाया गया कि २० महीनों में ४ कलेक्टर्स बदले गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो वहां कलेक्टर हैं जिनका शायद जिक्र किया गया कि वे जल्दी जल्दी में भेजे गये हैं उनको वहां काम करते हुए २ साल और आठ महीने हो गये; कुछ ने कहा अलवर का जिक्र था। अलवर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो कलेक्टर काम करते हैं उनको करीब १ साल और ८ या १० महीने हुए हैं। इस बीच में एक भरतपुर में कलेक्टर थे उनका तबादला वहां से करना जरूरी हो गया था इसलिए कि उनको सेक्रेटेरियेट में लाया गया और अलवर के कलेक्टर को भरतपुर भेजा गया। वैसा गंगानगर में पहले जल्दी जल्दी तबादले हुए हैं लेकिन मैं समझता हूं इस अर्से में ज्यादा से ज्यादा अवधि तक वहां के कलेक्टर को वहीं रखने की कोशिश की है।

फिर सदन में चर्चा हुई इस बात की, शुरू में बहस होने लगी तब कि जो पुराने काम काज होते हैं उनमें पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, तालाब टूट गये और बहुत से रुपये बेकार चले गये, सरकार काम करती है उससे लाभ नहीं होता वगैरह वगैरह। मैं एक बात सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ५७ के मार्च के आखिर तक कुल मिलाकर जो खर्चा हुआ वह ७६७ लाख का हुआ। इर्रिगेशन वर्क्स पर इसमें जो कि नया काम था और उसमें जो नुकसान हुआ वह १ लाख १ हजार रुपये का हुआ। अब राजस्थान जैसी जगह जहां इर्रिगेशन डिपार्टमेंट नया ऑरगेनाइज़ हुआ, काम करने वाले इन्जीनियर्स वगैरह नये तैयार करने पड़े। इतना बड़ा काम करने के बाद जो कमी रह गई कोई तालाब टूट गया उसकी जांच पड़ताल की गई, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के ऑफिसर्स को एसोसियेट किया गया, मैंने इस बारे में इसलिये अर्ज करना पसन्द किया कि अन्दाज लगाया गया कि लोसेज़ के मुकाबले में कितना बड़ा काम किया गया।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह भी निवेदन किया गया एक सदस्य द्वारा कि एज्युकेशन के लिये बजट में जो रुपये रखे गये हैं वे पूरी तरह से खर्च नहीं होंगे। ५५-५६ के बारे में कहा गया कि सिर्फ ५७ पर्सेंट ही खर्च हुआ, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ५५-५६ के बजट में ३,७०, १०,००० रु० रखे गये थे उसमें से ३,५१, ५८,००० रु० खर्च हुए यानी ६६.७ पर्सेंट खर्च हुए। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसमें से खर्च किया, सन् १६५६-५७ के अभी पूरे फाइनल आंकड़े नहीं आये हैं, पर यह जानकारी मालूम हुई है कि जितना रुपया रखा गया था, वह पूरा खर्च किया गया है बल्कि बाद में और डिमान्ड पेश करने की स्थिति पैदा हुई। यह मैंने इसलिये बताया कि इस स्थिति के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त हो सके।

परसों एक माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने यह कहा कि राजस्थान में कर्जा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, इतना कर्जा आखिर चुकेगा कैसे, आखिर राजस्थान का क्या बन रहा है, इसके लिए कोई योजना नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा वैसे तो वित्त मंत्री इस सम्बन्ध में बाद में कहेंगे, कि दर असल हमें यह बात समझनी है कि कर्जा एक तो चालू खर्चे के लिए, करते चले जांय और दूसरे केपीटल वर्कर्स, डेवलपमेंट वर्क्स के लिये कर्जा करते है तो उससे हम असेट्स बिल्ड करते हैं और हमारे असेट्स बिल्ड होने से हमारी कर्जे को रिपे करने की केपेसिटी बढ़ती है और प्रान्त के जीवन का स्तर ऊंचा उठता है। यह फाइनेन्शियल प्रोसीज़र में आता है, न केवल राजस्थान बल्कि देश भर और संसार यह मान कर चलता है कि कर्जा लेकर अगर पैसा केपीटल वर्कर्स में और डेवलपमेंट वर्कर्स में लगाते हैं तो उससे घबड़ाने की बात नहीं होती है। यह ठीक है कि हमारा जो बजट है, उसके अन्दर इस कर्जे को रिपे करने के बारे में हमें कुछ सोच कर चलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिये मैं संक्षेप में निवेदन करूं कि ३१. ३. ५७ तक मद्रास के ऊपर कर्जा, जो कि काफी आर्गेनाइज़ है, असें से काम कर रहा है, १ अरब ६५ लाख रुपया का कर्जा है, उत्तर प्रदेश पर ३ अरब २८ करोड़ का कर्जा है, इसी प्रकार भारत सरकार का निकालें तो उससे पता लग सकता है और कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। करीब ५६ करोड़ रुपया सैकिण्ड फाइव ईअर प्लान में खर्च होगा, यह और बढ़ कर ऊपर जायेगा, उसमें आखिर हो क्या रहा है, करीब २७,३० करोड़ रुपया भाखरा पर खर्च होगा; करीब ३० करोड़ रुपया चम्बल पर खर्च करते हैं, ७ करोड़ रुपया इर्रिगेशन वर्क्स पर खर्च करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर भी खर्च करते हैं, इससे हमारे असेट्स बिल्ड हो रहे हैं, जिनसे अगर इन्कम बढ़ती है तो उस इन्कम बढ़ने से हमारे राजस्थान की बहबूदी के अन्दर हमको मदद मिलेगी।

अब एक और बहस खड़ी हो गई कि जो जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देने वाली रकम थी, उसको रेवेन्यु हैड से हटा कर अब केपीटल हैड में डाल दिया है, यह रौंग बजटिंग है, सही बजटिंग नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि वित्त मन्त्रीजी के भाषण में स्पष्ट कर दिया है। यह रद्दोबदल फाइनेन्स कमीशन जैसी बॉडी की सलाह पर किया गया है, कोई अपना नया पैटर्न बना कर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि असेट्स बिल्ड कर रहे है राजस्थान स्टेट के अन्दर इसलिए जो कम्पन्सेशन पे करते

Page No.88

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

हैं, उसके बजाय १५–२० साल में जो ढाई करोड़ की इन्कम देने वाला सोर्स हो रहा है, इसलिए यह कैपीटल एक्सपेन्डीचर हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में लेते हैं तो यह रौंग है। अगर उसे रेवेन्यू हैड में माना होता तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनेन्स कमीशन से जो ग्रान्ट हमें मिली, वह उससे ज्यादा मिलती। उन्होंने माना कि रौंग हैडिंग है, इससे फाइनेन्स कमीशन की ग्रान्ट में अन्तर आया। फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि विंडफाल फाइनेन्स कमीशन के अन्दर से आया, यह सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ कि सदन के माननीय सदस्य कहें। सच बात तो यह है कि राजस्थान के अन्दर जो कुछ फाइनेन्स कमीशन ने किया, वह तो किया लेकिन विशेष बात यह की कि हम अपने बजट को सैकिंड फाइव ईअर प्लान से बेलेन्स कर सकें, कुछ अपने एफर्टर्स से कुछ फाइनेन्स कमीशन के द्वारा जो ग्रान्ट दी जाती है, उसको मिला कर यह फैसला किया और न सिर्फ राजस्थान की, बल्कि आसाम की, आंध्र की, और दूसरी बेकवर्ड स्टेट हैं, उनको पहले के मुकाबले में ज्यादा रकम मिली, लेकिन उतना सब होने के बाद जो शर्त रखी कि जहां पहले बजट में डेफीसिट होता है, उसके लिए उन्होंने सब स्टेटस् को कहा कि बेलेन्स्ड बजट तैयार करना है। फाइनेन्स कमीशन ने अपनी तरफ से यह कर दिया, तो इनडाइरेक्टली जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर आ गई कि डेफीसिट बजट के बजाय बेलेन्स्ड बजट बनाना पड़ेगा। इसे विंडफाल कहना, मैं समझता हूं ठीक बात नहीं। आज सारे रिसोर्सेज़ राजस्थान गवर्नमेंट के, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पुल अप होते हैं, तो हमको हमारा शेअर मिलना चाहिए, वह हमें मिला है। हमें ख्याल था कि राजस्थान ऐसी जगह पर है, जहां हिन्दुस्तान की बाउन्ड्री होने की वजह से हमें अधिक एक्सपेन्डीचर करना पड़ता है. डिफेन्स में, तो हमें कुछ और रियायत मिलनी चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि यह सोचने के लिए प्रश्न खड़ा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई, जो वाजिब है और जिसके बारे में, मैं समझता हूं, दो राय नहीं हो सकती और वह यह है कि हमारे यहां शुरू के साल में डवलपमेंट वर्क्स पर कम खर्च होता है, और लास्ट क्वार्टर में खर्च बढ़ जाता है। हम प्रयत्न में हैं कि शुरू में खर्च कम न हो लेकिन साल भर में वर्षा के मौसम में कोई वर्क्स नहीं हो पायेंगे, लेकिन रेशनेलाइज़ करने का प्रयत्न किया जायगा। इस दिशा में जो प्रयत्न किये गये हैं, उसका अन्दाजा आपको देना चाहता हूं : १९५५–५६ में जो एक्सपेन्डीचर ३१.१२ तक हुआ है, वह ३८.६७ पर्सेन्ट था और लास्ट क्वार्टर में ६१.३३ पर्सेन्ट हुआ। १९५६–५७ में वह पोज़ीशन चेन्ज होकर पहले के हिस्से में ५३.४७ पर्सेन्ट हुआ और पीछे के हिस्से में ४६.५३ पर्सेन्ट रह गया और अब दिन प्रति दिन कोशिश की जा रही है और हम इस ओर सतर्क हैं। जो सुझाव इस सदन के माननीय सदस्य की ओर से आया है, वह उचित है, उसे मैं मानता हूं। इसलिए उसके सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

जोधपुर से आने वाले सदस्य और मैं परसों या पहले रोज जोधपुर में साथ थे। शायद उन्होंने मेरी बात को गलत समझा, यह समझना चाहिए। फिर भी जो कुछ उन्होंने कहा, उसके लिए कहना चाहिए कि शायद

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उन्हें कुछ भ्रम रहा है । जो कुछ भी मैंने वहां देखा, उसको देख कर कहा वहां के लोगों से कि यह जोबनेर कॉलेज कन्टीन्यु नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर कॉलेज के तौर पर, बल्कि यह मान कर चलना चाहिए कि एक नया एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, वजह इसकी यह है कि वहां के प्रिन्सिपल तथा और लोगों ने बताया कि जो खर्चा हो चुका है, उसके अलावा २३ लाख और खर्चा करने पर यह फुलफ्लेज़्ड कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज बनेगा । यहां पर ज्यादा उदयपुर के एग्रीकल्चर कालेज की चर्चा चली, मैं आपको बताऊं कि उस पर २० लाख रुपया खर्च हुआ है तथा २०० एकड़ इर्रिगेशन फार्म वगैरह हैं । जोबनेर कॉलेज के लिए दूसरी चीज मुझे अर्ज करनी थी कि इस कालेज के पास ६ एकड़ इर्रिगेटेड लैंड है । तो वहां पर एग्रीकल्चर फार्म की कमी है । इसके अलावा वहां पानी तो बहुत है, लेकिन जो बांध है, उसके नीचे पम्प लगा कर ही पानी काम में लिया जा सकता है ..

(श्री नरेन्द्रसिंह बोलने हेतु खड़े हुए)

मैं निवेदन करदूं, कुछ गलत नहीं कहूंगा । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, वहां पर बारानी लेंड तो काफी है, लेकिन उसे इर्रिगेटेड लेंड में तब्दील करने के लिए खर्च करना पड़ेगा । इस प्रकार वहां पर पानी है लेकिन पानी के लिए पम्प लगाना कूए बनाना, फार्म को आर्गेनाइज़ करना, ये सब बातें आती हैं । इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि इस चीज को हम रियलाइज़ करें कि जो वातावरण बन रहा है, वह ठीक नहीं । सही बात है कि उस कॉलेज में हमें लेबोरेटरी बनानी है, प्राइमरी स्कूल भी बनाना है, हाई स्कूल भी बनाना है, होस्टल भी बनाना है, फार्म को सरकार को डेवलप करना पड़ेगा...

श्री नरेन्द्र सिंह : यह तो सब जगह हो रहा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) जब एक कॉलेज को डेवलप कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह बात आ जाती है । यह सही है कि आपने काफी प्रयत्न किया, आपके प्रयत्न से एक चीज बनी, आपके बारे में कुछ नहीं कहा, और मैं समझता हूं कि आप इस चीज को बनाने के लिए बधाई के पात्र हैं । लेकिन जिस प्रकार इश्यू को चारों तरफ बनाया गया, उसकी वजह से निवेदन करना पड़ा और कुछ कहने का भाव नहीं है न किसी निर्णय के रद्दोबदल करने की बात को दिल में लेकर यह बात कही है, केवल तथ्य है उसको रखा है........

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो भुक्तभोगी ही समझ सकते हैं, यह आपने पहले फरमाया था कि आप वहां जाकर देखेंगे....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने कहा था कि देखूंगा ।...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पर आज तक नहीं देखा....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (जारी) फिर श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आज जिक्र किया कि डीडवाने में नमक का बहुत कुछ है पर राजस्थान सरकार ने इन्स्टीट्यूट कायम नहीं किया है । इन्स्टीट्यूट कायम करने का पूरा इतिहास कि कब से इसकी बात चीत शुरू हुई मुझे मालूम नहीं, पर अभी की जो लेटेस्ट पोज़िशन है, उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि गवर्नमेन्ट ऑफ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इन्डिया ने साल्ट ट्रेडिंग कोर्पोरेशन नाम का संगठन बनाया है। दूसरे इन्डस्ट्रीज़ डेवलपमेंट की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को कहा गया है कि पुरानी सॉल्ट ट्रीटी है उसको रिवाइज़ किया जाय। हमने भी अपनी तरफ से कहा है। श्री मनुभाई शाह पिछली बार आये थे तो इस प्रश्न को उठाया था। बिटन्स के ऊपर हमारा अधिकार है, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, कि फलौदी वगैरह के एरिया में कल्पना चल गई थी कि सारा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है। पर हम वहां दूसरों को काम करने की गुंजाइश दे रहे हैं, जहां पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफइन्डिया वर्क नहीं करे वहां पर फिर और तरीकों से काम किया जाय।

डीडवाने का सॉल्ट खराब हुआ वह एक तथ्य है। जितने पर्सेन्ट का नमक होना चाहिये उससे कम हुआ, मार्केट में भेजने का अॅलोटमेन्ट करने का काम गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया की तरफ से होता है। ३ मार्च को बन्द कर देने वाली बात थी, माननीय सदस्य के कहने के बाद जानकारी की तो पता चला कि हर साल वह बन्द किया जाता है १ मई को। मई महीने में बन्द होता है। गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया इस साल जल्दी बन्द करना चाहती थी। अभी बातचीत करने से पता चला है कि १५ अप्रेल तक चालू करने का इरादा रखती है; तो इससे मैं समझता हूं माननीय सदस्य के असन्तोष प्रकट करने वाली समस्या थी, वह काफी हद तक दूर हो जाती है। पर्सेन्टेज का जहां तक सवाल है, जो लेटेस्ट इन्फोर्मेशन मेरे पास है, ६६ पर्सेंट क्वालिटी भी आ रही है। तो वह सीलेबल हो सकती है, जिसको अलोउ कर सकते हैं, वैसे इसमें इम्प्रवमेन्ट की आवश्यकता है.......

श्री पी० के० चौधरी : ६६ पर्सेंट पर तो अलॉऊ करते ही हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : That is what I say. इसीलिए मैंने कहा है कि हो सकता है।

जैसा कि बजट के आंकड़ों से मालूम होगा और चार्ट पेपर सर्कुलेट किया था उससे जाहिर होता है कि पिछले वर्षों में राजस्थान में हम निरन्तर सोशियल सर्विसेज़ और पब्लिक युटिलिटी पर अपना खर्चा बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसमें अपने साधनों को देखते हुए, इतना ही हम कामयाब हो सकते हैं।

एक माननीय सदस्य जो सांभर से आते हैं उन्होंने कहा कि हायर सेकन्डरी एज्युकेशन पर इस बजट में हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और प्राइमरी एज्युकेशन पर कम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में हमने ५० प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक स्तर तक बढ़ाने तथा १० माध्यमिक पाठशालाओं को हायर सेकेन्डरी स्कूल बनाने का प्रोविज़न रखा है; तो माननीय सदस्य की तरफ से कहा गया कि बहुत कम प्रोविज़न प्राइमरी एज्युकेशन के लिए रखा है। मैं निवेदन कर दूं कि हम ज्यादा से ज्यादा प्राइमरी स्कूलें खोलना चाहते हैं; पर प्लानिंग कमीशन ने जो सीलिंग मुकर्रर की है उससे ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं है। यों हम प्राइमरी एज्युकेशन जितना बढ़ा सकें वह बढ़ाना चाहते हैं, कम बढ़ाने का प्रश्न राजस्थान जैसे प्रान्त में तो हो ही नहीं सकता।

फिर यहां पर अभी तो वे माननीय सदस्य नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि राजस्थान में कुछ जगह तो बहुत खर्चा हो रहा है, खास तौर पर उदयपुर पर ज्यादा निगाह रहती है,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वहां ज्यादा खर्चा हो रहा है, और बीकानेर डिवीजन में नहीं हो रहा है, बीकानेर और उदयपुर के इतिहास का हवाला देते हुए ६ नवम्बर की याद दिलाई गई मुझको। वे हैं नहीं यहां, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में पर केपिटा कितना ज्यादा बीकानेर डिवीजन में खर्च हुआ ....

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने चूरू और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का कहा था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे डिवीजन का कहा था। महाराणा प्रताप को किसने क्या लिखकर भेजा, ६ नवम्बर को किसने किसको क्या कहा, यह सारे इतिहास का हवाला देते हुए सारे डिवीज़न की बात कही थी।

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने चूरू डिस्ट्रिक्ट और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का कहा था, सिंचाई और बांध पर जो खर्चा किया गया है उससे तो राजस्थान के और हिस्सों को भी फायदा पहुँचेगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्रिटिसिज़्म भी डिस्ट्रिक्ट के तरीके से होना चाहिये, डिवीजन के तरीके से नहीं होना चाहिये, क्रिटिसिज़्म करते समय कभी कभी हम चूक जाते हैं, फिर सवाल आता है तो कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट, जिले और तहसील की बात कही थी।

श्री मुरलीधर व्यास : वे ५६—५७ का अर्ज करना चाहते थे कि कितना खर्च किया गया; बमुकाबिले दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स के।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान में जो कुछ खर्च हुआ ३७६ करोड़ उसमें से बीकानेर डिवीजन में १४-१५ करोड़ खर्च हुआ है। भाखरा में जो खर्च होता है, उसकी बिजली, उसका पानी दूर दूर तक पहुँचेगा, तो हम कोई बिल्कुल अलग हो कर नहीं चल सकते हैं। वहां जो खर्चा हो रहा है उसका असर बीकानेर डिवीजन पर और सारे राजस्थान पर पड़ता है, मैं तो यह मान कर चलता हूं कि सब जगह तो राजस्थान में वहां की बिजली और वहां का पानी नहीं पहुंच सकता फिर भी बीकानेर में पैदावार बढ़ती है तो सारे राजस्थान पर इसका असर पड़ता है, कोटा में जो चम्बल प्रोजेक्ट है उससे सारे राजस्थान पर असर पड़ता है, तो यह कहना कि बीकानेर में कम, कोटा डिवीजन में ज्यादा, दूसरे डिवीजन में ज्यादा खर्च किया जाता है, तो यह उचित नहीं होगा। स्वाभाविक तौर से कुछ योजनाएं, ऐसी मिलती हैं कि वे उन्हीं जगहों पर कामयाब हो सकती हैं, उन्हीं जगहों पर उनको कार्यान्वित किया जा सकता है। सतलज का पानी वहां मिलता है तो हम यह नहीं कह सकते कि गंगानगर में यह खर्चा हो रहा है, यह धन जिलेवार सब जिलों में समान रूप से बांट दें, यह नहीं हो सकता। भाखरा की वजह से वहां के डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। इसी प्रकार आज राजस्थान केनाल आती है, ज्यादा तर कहना होगा जैसलमेर के इलाके को छोड़ कर १०० करोड़ रुपया खर्च होगा। सारी राजस्थान केनाल योजना इसी पर्पज़ पर बनाई हुई थी, तो यह खर्चा हुआ है वह बीकानेर डिविज़न पर ही हुआ है....

श्री मुरलीधर व्यास : उन्होंने जिलों का ही कहा था... ...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पर पुराने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

इतिहास को छेड़ा, वे बातें कहीं, वे मैं भूला नहीं हूं। तो मैं यह कहना चाहता था कि इससे आप यह समझ गये कि, कुछ काम एक जगह हो सकते हैं, दूसरी जगह नहीं हो सकते। पर फिर भी हम इस प्रयत्न में हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम जहां कर सकते हैं वहां करें और हमने इसके लिये प्रयत्न किया है। जहां जिस चीज की आवश्यकता पहले है वहां हमने पहले किया है। भरतपुर जिले में जहां वेगन फैक्ट्री लग रही है, वहां पॉवर की कमी का प्रश्न पैदा हुआ। फर्स्ट फाइव इयर प्लान से सामान आ गया था भीलवाड़ा में भीलवाड़ा के लिये टर्बाइन बुक्ड थीं, उन्हें वहां भिजवाया गया।...

श्री श्रीभानसिंह : मगर वहां पॉवर नहीं मिला है, for your information Hon. Leader.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एंजिन रवाना होकर टर्बाइन पहुंच रहे हैं, जानकारी यह कर लेते....

श्री श्रीभानसिंह : मैंने आपके लेटर से जानकारी कर ली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : स्टीम टर्बाइन्स से नहीं, डिज़ल सेट्स से पॉवर सप्लाई करने की बात थी।

श्री श्रीभानसिंह : लेकिन अभी वहां कुछ भी नहीं पहुंचा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लेकिन यह जानकारी करने के बाद कहते तो अच्छा होता। स्टीम टर्बाइन्स के मामले में इतना बेखबर मैं भी नहीं हूँ कि उससे पॉवर सप्लाई हो। मैं तो आज भी कहता हूं कि उनके पहुंचने में साल, डेढ़ साल और लगेगा।

४ म० प०

तो यह जानकारी मैंने आपको इसलिये दी कि सदन में एक तरीका बन गया है कि हम किसी बात की बहस करते हैं तो किसी के बारे में कहते हैं, जैसे फलाना के बारे में कहा। मैं इस बात को मानता हूं कि फलाना का डेवलपमेन्ट होना चाहिये। मैंने कहा कि फोरिन, यू. के. आदि में ट्रेनिंग के लिये भेजने के लिये राजस्थान सरकार ने लिखा कि हम खर्चा देने के लिये तैयार हैं। हम यह चाहते हैं कि हम इस काम को करें। फर्टीलाइज़र फेक्ट्री के बारे में प्रश्न पैदा हुआ कि उसको ज्यादा धन दे दिया। यह अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि वर्ष भर के अन्दर, मैं समझता हूं कि उसने काफी इम्प्रूवमेंट किये हैं और हम उसको इन्कार नहीं कर सकते कि कई जगह काम इसके एक्सपेन्ड होने से शुरू होंगे। जहां बाल बेरिंग का ८ लाख का, उसके मुकाबले में २ लाख का होगा। उसके साथ-साथ मैंने कल देखा और सुना कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने जयपुर उद्योग को ६० लाख रुपये लोन दिये। उसमें उन्होंने कहा कि उसमें से कुछ कांग्रेस को चन्दे की बात-चीत का सौदा तय किया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस को चंदा कई लोगों ने दिया। जिनको लोन नहीं मिला उन्होंने भी दिया और जिनको मिला उन्होंने भी दिया। मगर मैं यह कहूंगा कि जब लोन दिया जाता मैं यह कहूंगा कि जब लोन दिया जाता है तो उसमें किसी प्रकार से कांग्रेस को चन्दा देने का सौदा नहीं होता है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यहां पर बोल कर माननीय सदस्यों को जो

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बात दिखाना चाहते हैं उससे तो यह अच्छा होता अगर माननीय सदस्य, स्वयं वहां पर जाकर देखें कि जो कुछ काम किया गया है वह किया गया है या नहीं ? अगर हम वहां पर जाते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज यह एक स्टेट में सबसे बड़ी इन्डस्ट्री खड़ी हुई है। न सिर्फ राजस्थान में बल्कि एशिया में बड़ी फैक्ट्री होगी। चन्दा कांग्रेस को देने के लिये बहुतसों ने दिया है। लोन तो एक दो या २५ को दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : शांति प्रसादजी के द्वारा यह कांग्रेस को दिया गया है या नहीं

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिये कौन इन्कार करता है। पचीसों से चन्दा आया है। इसका प्रश्न यह आता है कि माननीय सदस्य इस बात को देखें कि जो लोन दिया गया है, वह वाजिब है या नहीं उसकी वजह से क्या विकास हो रहे हैं या नहीं। यदि इस बात को हम अच्छी तरह से देखें तो सारी स्थिति का स्पष्टीकरण हो जाता है; बजाय इसके कि हम उसको एक पहलू से ही देखें, इसके अलावा और दूसरों को भी दिये हैं। मैंने तो आपको कहा जे. के. इन्डस्ट्री वाले लिनन फेक्ट्री लगाने को तैयार हैं। लोन का प्रश्न पैदा हुआ तो मैंने ये बातें आपको कहीं।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहस चली, मैं सुबह यहां पर सुन रहा था कि कुछ क्षेत्रों में अलग-अलग प्रश्नों पर बातें आई। खास तौर से हमारे हरिजन भाइयों की तरफ से यह बात आई कि सर्विसेज में उनको पूरी तौर से मौका नहीं मिलता और उसी प्रकार जमीन के बारे में भी कहा गया। मैं इसके लिये पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि सर्विसेज़ के लिए तथ्यों को स्वीकार करने में कोई झिझक की बात नहीं कहता, उनको किस तरह ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त हो सकती है और खास तौर से सबोर्डिनेट सर्विसेज में, उसके लिये गवर्नर के भाषण में जिक्र किया हैं। उसका जिक्र ही नहीं बल्कि उसके मुताबिक उसको इम्पलीमेंट करने के लिये ऑर्डर भी इश्यू कर दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि समय समय पर इस नियम का जहां पालन नहीं होता हो उसकी माननीय सदस्य हमको जानकारी देंगे, ताकि जो कमियें हैं उनको ठीक किया जा सके। इससे ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा क्यों कि अभी माननीय वित्त मंत्री को बोलना बाकी है। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(हर्ष-ध्वनि)

४.५ म.प.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) :

(हर्ष-ध्वनि)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं उन तमाम माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस बजट के बहस के दौरान में अपने अपने विचार, सुझाव और आलोचनाओं द्वारा बजट पर प्रकाश डाला और सरकार को मदद देने की कोशिश की। खास करके मैं विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के भाषणों की अवश्य प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने काफी सयंम से काम लिया और काफी जानकारी सदन में प्रस्तुत की। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि हमारे इस तरफ बैटनेवाले माननीय सदस्य जो ट्रेजरी बैंचेज़ के हैं, हमारे पक्ष के जो लोग हैं वे तो ला मोहल्ला हमारे पक्ष की बात कहेंगे, आलोचना भी

Page No.94

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

करेंगे, तो अपने पक्ष के हित को ध्यान में रख कर ही करेंगे। इसलिये उनकी आलोचना से हम मुगालता और भुलावा में पड़ सकते हैं, लेकिन विरोधी दल के लोग जब हमें कहते हैं तो उनका दूसरा ही दृष्टिकोण होता है और इससे हमको लाभ होता है। पक्ष के दृष्टिकोण का ही ध्यान में रखें तो भी उनकी बातें ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं। यदि वे निष्पक्ष बातें कहते हैं तो अधिक उचित होती हैं। मैं दिल खोल कर यह कहना चाहता हूं कि पिछली दफा भी जो भाषण हुए मुझे काफी अच्छे लगे। बिना उनके नाम लिये ही मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हमारे पक्ष के सदस्यों ने भी पक्ष की नीति की दृष्टि से कुछ आगे बढ़ कर जरूर अपने विचार प्रकट किये मगर उनको इस बात की स्वतन्त्रता थी और उस स्वतन्त्रता का उन्होंने उपयोग किया और यह भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस पक्ष में सदस्यों को बोलने की इतनी स्वतन्त्रता है कि वे भी बेधड़क होकर और कभी कभी पक्ष के हितों से ऊपर उठ कर पक्ष की मदद करते हैं। इसलिये उनको भी मैं एक तरह से धन्यवाद देता हूं हालांकि मैं यदि उनके स्थान पर होता तो इतनी आजादी होते हुए भी उसका उपयोग करना पसन्द नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह दूसरा बजट पेश करने का सुअवसर मिला है। उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात पर आश्चर्य प्रकट किया या आनन्द प्रकट किया, मैं समझ नहीं सका उन्होंने बताया कि यहां ऐसी परम्परा रही है और मुझे याद आया कि केन्द्र में भी ऐसी परम्परा रही है कि वित्तमन्त्री एक दो साल से ज्यादा नहीं टिके। अतः इन दो परम्परा का देखते हुए आप देख सकते हैं कि वित्त मंत्री का काम कितना कठिन है और खास कर मुझ जैसे विश्वविद्यालय के कर्त्ता होने वाले वित्त मंत्री के लिए। तो आप स्वयं समझते हैं कि मेरा काम दूसरे मंजे हुए वित्त मंत्री की बनिस्बत काफी कठिन रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने विभाग के सभी कर्मचारियों को और मेरे मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को कि उन्होंने अपनी सहायता से मेरा काम बहुत हल्का कर दिया। जनतन्त्र की यह खूबी है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जिम्मेदारी पर चला जाय या ले लिया जाय, तो दूसरे साथी लोग निभाते हैं। यह कोई एकतंत्र नहीं है कि डंडे के बल से या उस व्यक्ति की सज्जनता और उदारता से शासन चलता हो। यह जनतंत्र है जो नियम, कानून, प्रणालियों के आधार पर चलता है और साथियों के सहयोग के और आम जनता के सहयोग से सारा काम चलता है, खास तौर पर प्रशासन का। इसलिए मेरी कठिनाई काफी कम हुई है। इस साल में मुझे काफी सीखने और समझने का मौका मिला और माननीय मुख्य मन्त्रीजी को वास्तव में मैं आज धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यह काम सौंपा।

श्री भैरोंसिंह : फेवरेबल स्पीच दे रहे हैं?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अभी तो तुलसीदासजी की रामायण शुरू हुई है।

श्री भैरोंसिंह : रामायण शुरू है तो रावण को मारना पड़ेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उस पर भी मैं आ रहा हूं। यदि यह फेवरेबल एड्रेस भी हो तो कोई चिन्ता की बात नहीं, पर शान्ति के साथ हो।

Page No.95

श्री भैरोंसिंह : मुझे बड़ा दुख होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो मैं यह कह रहा था कि मेरा काम काफी हल्का हुआ है जनतन्त्र की यह खूबी थी और खूबी है। अब थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप से कहूंगा एक दो माननीय सदस्यों ने कहा कि मैं यहां क्यों बैठा हुआ हूं ? वे मुझसे स्नेह भी रखते हैं और आशायें भी रखते हैं। आखिर पुराना सेवक हूं। हम गांधीजी के नाम पर बिकते हैं, गांधीजी के गुण हों या न हों हममें, लेकिन गांधीवादी तो कहलाते हैं न।

(हंसी)

इसलिए वे ऐसा समझते हैं तो वाजिब सहानुभूति भी रखते होंगे। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहां जो मैं हूं, मुख्यतः वित्त मन्त्री हूं और उसके बाद में गांधीवादी हूं। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यदि वित्त मंत्रित्व का काम सम्हालते हुए गांधीवाद को कोई धक्का लगे, छोटी २ बातों को छोड़ दीजिये, यदि कोई बड़ा धक्का लगे, तो मैं एक मिनिट के लए भी इस जगह नहीं रहूंगा।

(हंसी)

वैसे जब तक सरकार को मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो या मैं ही कोई खराब काम कर गुजरू तो मेरे रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

एक माननीय सदस्य : पूरे गांधीवादी कहलाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपको कौन निकाल रहा है ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे निकालने का सवाल नहीं है। इतनी कठिनाइयां होते हुए भी कैसे निभा रहा हूं। यह स्पष्ट कर रहा हूं यदि मैं सचमुच गांधीवादी हूं और आपका स्नेह भाजन हूँ तो आप इतना विश्वास रख कर चल सकते हैं कि इतनी कोई बड़ी गड़बड़ी हो तो वहां कैसे रह सकता हूं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निकाल तो दें, लेकिन सत्याग्रह का डर लगता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब मैं बजट के बारे में आपसे कुछ निवेदन करूंगा। यहां सदन में जैसा सदन का कर्तव्य है, दोनों तरफ से बजट के बारे में चर्चा हुई, जो स्वाभाविक थी। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि सदन के बाहर भी इस बजट का स्वागत हुआ है। मैं इसका जिक्र इस दृष्टि से नहीं करना चाहता कि उस स्वागत से मैं फूल गया हूं। लेकिन वित्त मन्त्री की बड़ी जिम्मेदारी है बजट बनाने की। प्रशासन के दूसरे महकमे भी हैं, लेकिन दूसरे महकमों को इतनी कठिनाई और अप्रिय बनने का मौका नहीं आता जितना वित्त मंत्रालय को आता है और वित्त विभाग को काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दूसरे विभागों की कठिनाइयों को हल करना पड़ता है, उनकी नाराजगी भी मोल लेनी पड़ती है हालांकि सब प्रेम से होता है और दूसरी आम जनता है। यह भी है कि उदयपुर से आने वाले...

श्री जनार्दनराय नागर : उदयपुर से तो सुखाड़ियाजी आये हैं ; मावली से कहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मावली से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने इस बजट का बड़ी नाराजगी के साथ स्वागत किया है।

श्री जनार्दनराय नागर : प्रेम से किया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रेम है, यह तो मैं मानता हूँ। लेकिन सदन ने आपकी नाराजगी को जाना हो तो, लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि इस विभाग का काम कठिन है इसलिए उसकी कठिनाई का अनुभव करके इसमें जो कमियां रह जाती हैं, बावजूद प्रयत्नों के, उनको और सहानुभूति से देखें और ध्यान दिलायें और जो ऐसा प्रयत्न यहां किया गया है उसके लिए वित्त मंत्रालय आपका आभारी है।

बजट सरप्लस है या डेफिशिट है, बजट बचत का है या घाटे का है, इसकी बड़ी चर्चा हुई है। मुझे ऐसा लगा उस चर्चा से कि कुछ हम शब्दजाल में पड़ गये। अगर मैं प्रयत्न करूं एक वकील की तरह और कुछ हद तक वित्त मंत्री की तरह भी, तो मैं साबित कर सकता हूं कि यह सरप्लस बजट है, लेकिन सरप्लस बजट नहीं है ऐसी वकालत की गई। पर ऐसी वकालत मैं नहीं करना चाहता। अगर १६ लाख का सरप्लस कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। थोड़ा इधर उधर घट बढ़ हो जाने से ही बजट की परीक्षा नहीं हो जाती है। दरअसल सरप्लस बजट बनाने की जो कल्पना है उसको देखना चाहिए और वह मुझे पसन्द आयी। इस दृष्टि से इसको किया गया। केन्द्रीय भूतपूर्व वित्त मंत्री से इस माने में मैंने शिक्षा ली, और जैसा कि अंग्रेजी में कहा है blessing in disguise. बुराई में से भलाई निकले। वही यहां हुआ और किया। यदि यहां ऐसा न करते तो अंधाधुन्ध रुपया वहां से मिलता रहता और उसको हम काम में लेते रहते और जब मिलता रहता तो खर्च भी अंधाधुन्ध होता रहता?

श्री चन्दनमल वेद : अब कैसे मान रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह मैं जरूर बताऊंगा। यदि आर्थिक कठिनाई या संकट आता है तो उसको संजीदगी के साथ देखा जाता है। सुलझाने के नवीन-नवीन विचार आते हैं, प्रेरणायें आती हैं और कुल मिला कर स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा मिलती है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा केन्द्र के भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय को, जिस समय वे वित्त-मंत्री थे और तमाम स्टेट्स के वित्त मंत्रियों की कॉन्फ्रेन्स बुलाकर उन्होंने निर्णय किया और सूचना दी कि तमाम स्टेट के वित्त मन्त्री घाटे का बजट न बनायें। मैंने उनको सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि वे हमें पांव पर खड़े होने का अवसर दे रहे थे। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने पांव पर इससे खड़े ही हो जावेंगे, लेकिन इस ओर एक प्रयत्न है और यदि इसी दृष्टि से इस पर विचार करेंगे तो यह जो शब्द जाल है, यह घाटे का है या बचत का यह निरर्थक मालूम होगा। यों मैंने बचत के लिए वकालत की भी तैयारी कर रखी है, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहेगा उसके लिए। हमने यह चेष्टा की है कि स्वावलम्बी किस प्रकार बन सकते हैं? कहां तक हमारा रेवेन्यू एक्सपेण्डीचर है और उसी से हम राज-काज चलायें, यह हमारा ध्येय रहा है; इसी भावना को लेकर यह बजट बनाया गया है कि राजस्व आय से चालू खर्चा चलावें। यह प्रयास जो इस साल किया तो हम देख सकते हैं कि काफी बचत हो सकती है। आखिर बचत किस लिए? बचत इसीलिए कि विकास कार्य करें और ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते जांय, उनसे आगे निर्माण का कार्य करते रहें।

तो इस दृष्टि से रेवेन्यु बजट को देखने के बाद, अब मैं यह निवेदन करना चाहता

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

हूं कि जो बजट बना है, उसमें इस बात की कोशिश की गई है कि जो खर्चा किया जाय, वह आमदनी के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाय और ज्यादा रुपया अपने विकास और लोकसेवा के कामों में खर्च किया जाय। मेरे पास इस वक्त जो आंकड़े मौजूद हैं, उनके अनुसार हम अगले साल में करीब ३० प्रतिशत रुपया प्रशासन और प्रशासन सम्बन्धी कामों पर खर्च करेंगे और ७० प्रतिशत रुपया लोकसेवा और लोकसेवा से सम्बन्धित कामों में खर्च होगा। इससे आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार की कोशिश दिन प्रतिदिन यह है कि लोक-सेवा के कामों में अधिक खर्चा हो, लेकिन यह उसी हालत में हो सकता है जब कि बचत का बजट बनाने की ओर ध्यान रहे। साथ ही हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि हम अपने पावों पर खड़े हों। चाहे हमारी प्रगति और विकास की रफ्तार धीमी ही क्यों न हो, इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हमें अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ बनाने की ज्यादा जरूरत है। भले ही घड़ी भर के लिये हम यह मान लें कि इससे विकास योजनाओं को क्षति पहुंच ही जाय। हालांकि ऐसी बात नहीं है और मैं इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगले वर्ष के लिए प्लानिंग कमीशन ने जितना रुपया मन्जूर किया था, उसमें कम नहीं किया गया है। वैसी हालत में यदि हम यह भी मानलें कि काम कम हो परन्तु यदि हमारी आर्थिक स्थित सुदृढ हो जाय और हम अपने पावों पर खड़े हो सकें तो हमारे लिये यह गर्व की बात है। मैं वित्त मन्त्री की हैसियत से आपको बताना चाहता हूं कि जो भय माननीय सदस्यों ने प्रदर्शित किया है, कर्जे के सम्बन्ध में, वह निराधार है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुसीबतें आगे आ सकती हैं अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ नहीं बनाते हैं तो, अगर हम निकट भविष्य में अपनी आर्थिक आय का सुदृढ और स्वतन्त्र साधनों से निर्माण नहीं करते हैं, तो हमारी आर्थिक स्थित अच्छी नहीं गिनी जा सकती। हम इस ओर प्रयत्नशील हैं और मुझे विश्वास है कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जायगी पर इस ओर हमें ध्यान रखने की जरूरत है।

अब मैं एक दो बातों का जिक्र कर देता हूँ जो इस प्रसंग में उपस्थित हुई हैं। बजट के सम्बन्ध में बोलते हुए ऋण और बैटरमेंन्ट लेवी के बारे में कल जो बातें कही गईं उनका भी स्पष्टीकरण कर दूं। इससे पहले मैं यह कह देना चाहता हूँ कि बजट अच्छा बनाना एक बात है, उसके मुताबिक काम होना दूसरी बात है। बजट को अगर हम बनाते हैं और उसमें गावों के लिए इतनी और शहरों के लिए इतनी रकमें खर्च होगी; ऐसा अन्दाज करते हैं, लेकिन यदि वे रकमें हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो वे रकमें लेप्स हो जाती हैं। वैसा बजट बनाने से क्या लाभ? इस संबंध में ज्यादा विस्तार में न जाते हुए केवल इतना बता देना चाहता हूँ कि पिछले सालों के बजट इतिहास को देखेंगे तो हमें आज के बजट में इस विषय में काफी प्रगति मालूम होगी। पिछले अनुभवों से लाभ उठाकर बराबर इस बात की कोशिश की गई है कि आमदनी और खर्च दोनों में ज्यादा घटा-बढ़ी न रहे, दोनों को बराबर रखने की कोशिश की है। आम-दनी ज्यादा भले ही कूतली जाय लेकिन खर्च, कुछ ज्यादा आंका जाय ताकि सप्ली-मेन्टरी डिमान्ड्स में न जाना पड़े। इसी नीति को सामने रखकर बजट बनाने की कोशिश की गई है और यह बजट इस कसौटी पर सही उतर सके इस बात की कोशिश की गई है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

लेकिन इस बजट के अनुसार कार्यक्रम चलेगा या नहीं, इसके अनुसार खर्च कर पायेंगे या नहीं, यह महत्व की बात है और यदि साधनों की कमी नहीं रही तो यह हमें पूरा विश्वास है कि ठीक तरह से हमारा कार्यक्रम चलेगा और रुपया भी ठीक प्रकार से खर्च हो पायगा। इस संबंध में प्रशासन का प्रश्न भी आता है। माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि किसी क्षेत्र की तो उपेक्षा कर दी गई है और किसी क्षेत्र में ज्यादा खर्च कर दिया है, मैं यह मानता हूँ कि ऐसा हो सकता है और मनुष्य मात्र से ऐसा होना स्वाभाविक भी है। हमें इतना मार्जिन रखकर चलना चाहिए। देखने की बात इतनी ही है कि बदनीयती से तो कहीं काम नहीं हो रहा है। मुझे दुख होता है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि अब की बार जो वाद-विवाद हुआ, उसका स्तर काफी ऊंचा रहा है फिर भी इस किस्म की ध्वनि आयी कि इसमें चालाकी की गई है, आखिर आपने ही हम लोगों को यहां बैठाया है खास तौर से मैं अपनी ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ तो हमारा ध्येय यह नहीं हो सकता कि हम आपकी आंखों में धूल झोंके और हम आगे बढ़े जांय। हम किस लिए आपकी आंखों में धूल झोंके ? इस प्रकार का अगर आपका ख्याल है तो उसे छोड़ देना चाहिए। आखिर हम भी भरोसे लायक आदमी हैं, हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, हम भी भले आदमी हैं। मैं तो मानता हूँ कि आप भी भले हैं और आप भी हमें कठिनाइयों में सहयोग और सहायता देने की इच्छा रखते हैं। यह ठीक है कि हमारी कमजोरी और हमारी किसी प्रकार की बेईमानी दिखाई दे तो आप हमें जागरुक रखें, हमारी बुराइयों की तरफ आप हमारा ध्यान आकर्षित करें। आपको और हमें सबको मिलकर जनतन्त्र को चलाना है। हमारी विधान सभा भले आदमियों की संस्था है, इसमें माननीय सदस्य ईमानदार हैं, वे राजस्थान के हित को सर्वोपरी मानते हैं, अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो हमारा जनतन्त्र चल नहीं सकता। जहां तक हमारी सुविधाओं और संगठन का सम्बन्ध है ढील हो भी सकती है और हुई भी है इससे मैं इन्कार नहीं करता। वैसे मैं अपने साथियों और अपने सहयोगी कर्मचारियों की भावना को जानता हूँ। हम सब जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं, वैसी ही माननीय सदस्यों पर भी जिम्मेदारी है। हमको आपकी बातें दस दफा सुननी पड़ती हैं और उसका जबाब भी देना पड़ता है। अतः आप शायद इतना नहीं सोचते होंगे जितना कि हम सोचते हैं। हमारे कर्मचारियों की भी ऐसी ही भावना है। हमारे यहां एक एक विभाग में हजारों आदमी काम करते हैं। रेवेन्यू को ही ले लीजिए, एक पटवारी से लेकर मालमंत्री तक काम करते हैं, कितने आदमी हैं। थोड़ा ख्याल कीजिये, पुराने इतिहास का। कोई कहां से आया, कोई कहां से। हम भी अपने को जनतन्त्र में नया मानते हैं, हम भी वास्तव में इसमें मंजे नहीं है हम यह उम्मीद करें कि सेवाओं का एक दम काया पलट हो जायगा. कठिन है। काया पलट उनमें भी हो रहा है, वे देश भक्त हैं, फिर भी पुरानी प्रणालियां पड़ी हुई हैं इसी वजह से देरी हो जाती है। हमने इस देरी को मिटाने की कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि आज नहीं तो कुछ अर्से में हम अपनी राज्य सेवाओं की पूर्ण रूप से काया पलट कर देंगे। आज चाहे कोई भी कुछ करे लेकिन सब से ज्यादा बदनाम सरकार होती है, उसको हमेशा उलाहना सहने के लिए तैयार

(श्री हरीभाऊ उपाध्याय)

रहना पड़ता है। आखिर हम लोगों का इसमें क्या स्वार्थ ? हम सुबह से लेकर रात को ११ बजे तक कार्य करते हैं, उस पर भी हम आपकी सुनते हैं, क्या केवल हजार आठ सौ रुपयों के लिए ? फिर भी मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कोशिश तो हमारी निरन्तर इसी बात की रहती है कि काम अच्छा और जल्दी हो। सर्विसेज़ की तरफ से भी चिन्ता और निराशा की कोई बात नहीं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ खामियां या त्रुटियां रही हों, हम कोशिश करेंगे कि आयंदा इस प्रकार की त्रुटियां न रहें। नये साल के लगते ही हमारी कोशिश यह होगी कि हर विभाग के पास उनके महकमे की सैंक्शन की हुई रकम तीन चार महीने के अन्दर ही अन्दर पहुँच जाय, ताकि कार्य ठीक समय प्रारम्भ हो सके।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : ३१ मार्च के पहले हो जाय तो ठीक है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो मुश्किल है, फिर भी हम जल्दी सैंक्शन भेजने की कोशिश करेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप नाराज तो नहीं होते हमारे कहने पर।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो मन्त्री की कुर्सी पर बैठ गया उसको नाराज होने का हक नहीं और सचमुच यहां बैठकर मिनिस्टर को नाराज होना भी नहीं चाहिये।

श्री तनसिंह : आप निबट लें, बाद में नाराज हो गये हों तो।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपके भाषण से तो मैं खुश हुआ हूं।

(हंसी)

अब मैं उन मदों पर जाता हूं। आज तो साढ़े पांच तक का समय है। तब तक तो मैं समाप्त ही कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही समाप्त कर सकें तो कोई एतराज नहीं है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो माननीय सदस्यों के समाधान के लिये कई बातें जो मैंने लिख रक्खी हैं उनका अगर इतने से समाधान हो जाता है तो आगे....

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह कैसे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्यों ने कहा कि कागज देर से निकलते हैं। मैंने कहा देर से निकलते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ जल्दी निकला करें। पर एक बात मैं और साफ साफ कह दूं कि जनतन्त्र में आप यह मानकर चलें कि कोई जादू जो आप चाहते हैं वह नहीं हो सकता और मैं यह चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कोई यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि जादू की तरह काम करा देंगे जनतन्त्र में। जनतन्त्र में कुछ नियम होते हैं, उनको मानकर चलना पड़ता है और इनके आचरण में जो समय लगना स्वाभाविक है वह तो लगेगा ही। आप अब यह कहें कि कोई बात करनी है तो और हुक्म दे दिया और हुक्म देने के तुरन्त बाद ही वह काम हो जाय और इसमें अगर नियम से जरा भी इधर उधर होते हैं तो आप जवाब पर जवाब पूछते हैं और नियम से जब काम किया जा रहा है, तो कहते हैं कागज जल्दी नहीं निकलते। वैसे मैं व्यक्तिगत बात

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि व्यक्तिगत व्यक्ति के विकास के लिए डिस्क्रीशनरी पॉवर्स सब कर्मचारियों को और अधिकारियों को ज्यादा दूं, मैं निगाह जरूर रक्खूं। पर आज तो यह हो रहा है कि हर बात में नियम। आप प्रश्न करते हैं, उसके लिए नियम बना लिये ? अब नियम से चलना होता है। अब आप कहते हैं कि ऐसा कर दो। कैसे कर दें ? और जब नहीं करते हैं तो नाराज होते हैं। तो ये दोनो बातें, जल्दी और नियमों का पालन करना बड़ा कठिन है। इनको लेकर कोई जादू की कल्पना करना निरर्थक है। जनतन्त्र में यह हो नहीं सकता। तो मैं आपको जनतन्त्र की कठिनाइयां बता रहा था।

श्री जनार्दनराय नागर : The hon'ble Finance Minister is just stanting with reference to what I told I did not say that things should be done without orders.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो मैं ऋण की बात आप से कह रहा था। ऋण हमारे यहां भाखरा-नांगल का है। इसके लिये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस ऋण के लिये तो पहले से ही तै हो चुका है कि १५ साल तक इन प्रोजेक्ट से कोई आमदनी ऐसी होने की संभावना नहीं मानी जा सकती कि इस अर्से में यह ऋण चुकाया जा सके। इसलिये पहले से यह ठहराव हो गया है कि इस अर्से तक मूल रकम नहीं लेंगे और कुछ मूल रकम और व्याज कुछ अंश उस रूप में देंगे कि अगर आमदनी आपकी बढ़ी हो तो बैटरमेन्ट लेवी लगाकर और जमीन बेच कर कुछ रुपया हमारे पास आ सकता हो तो उसे देकर उसी ठहराव के अनुसार हम चल रहे हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं है कि अधर में खड़े हैं।

पर साथ ही यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें यह जो ऋण है, वह कुल ६७ करोड़ और ६८ लाख के करीब होता है। इसके मुकाबले में अपने असेस्ट्स जो हैं उनको भी देखने की जरूरत है। २६ करोड़ ६६लाख यानि करीब २७ करोड़ तो अपने दूसरों की तरफ लेने निकलते हैं जो लेकर कर्जा चुका सकते हैं। यह तो लेना है और असेस्ट्स जो हैं कुल मिला कर अपने पास ८० करोड़ ७६ लाख के हैं। फिर जितना रुपया आया है, उससे असेस्ट्स हमारे निर्माण किये हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम ८० करोड़ ७६ लाख के असेस्टस के हम मालिक हैं जब कि कर्जा हम पर ६७ करोड़ ही है। इसलिए दिवाला निकालने वाली हमारी सरकार नहीं है; यह आप जानकर चलें।

श्री चन्दनमल वेद : इसमें १३ करोड़ की ही कमी है अभी ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो आपके यहां जिसको कमी कहते हैं उसको हम बचत कहते हैं, इतना ही फर्क है।

(हंसी)

तो दूसरी बात यह कही गई थी कि इन्टर्मिनेबल कर्जा भी है, जिसको हमेशा न देने की भावना है, ऐसी बात नहीं है। केन्द्रीय सरकार से यह बात अपनी तै हो चुकी है और यह ठहराव हो चुका है कि इतने बड़े कर्जे का जो व्याज है, आप लेते रहें। इसमें दोनों पक्षों को लाभ है। हम पर अचानक बोझा नहीं पड़ता और उनका एक प्रकार से

Page No.101

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

इन्वेस्टमेन्ट है । फिर जैसे जैसे अपने रिसोर्सेज़ डेवलप होते जावेंगे, उनमें से आगे चलकर वैसे वैसे मूलधन में भी चुका सकेंगे । अब अगर आप यह कहें कि इतना बड़ा कर्जा आखिर हो तो गया है उसको चुकाने की चिन्ता सरकार को नहीं और शायद इन्टर्मिनेबल है, तो इसमें डरने की क्या बात है । आखिर बदनीयती तो है नहीं न । फिर दूसरी बात इसमें यह भी देखने की है कि यह रुपया लिया किस लिए गया है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के लिए लिया गया है, बड़े बड़े विकास कार्यों के लिए लिया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार के भी इन्टेरेस्ट की बात है । तो जब केन्द्रीय सरकार की ये योजनायें हैं और उनके ही ऋण से बनी हैं और उनके और हमारे दोनों के परस्पर सहयोग से ये काम चल रहे हैं तो फिर घबराने की और चिन्ता करने की कोई बात मैं तो नहीं समझता ।

अब एक बात ८० लाख रुपये के बारे में कही गई कि यह बढ़ाकर बचत बता दी । मैं बताना चाहता हूं कि इनमें टैक्सेशन के लिए भी कहा गया, तो इन ८० लाख में से ३५ लाख तो वे हैं कि जो इस साल अपने को मिल जाने चाहिए थे, पर कुछ कारणों से वे नहीं मिल पाये । लैंड रेवेन्यू का जो रुपया था और बदकिस्मती से अनावृष्टि और अतिवृष्टि होने के कारण वह रुपया नहीं मिल सका; यह आप जानते हैं । इस तरह प्रयत्न करने के बावजूद भी अधिक लगान वसूल नहीं हो सकता । सख्ती करना मुनासिब नहीं था । तो इस तरह से जो यह रुपया कम वसूल हुआ उसके लिए कह दिया कि पोल खाता है । तो यह सही नहीं है । इस तरह टैक्सेज़ लगाकर जो रकम प्राप्त होगी वह ४७ लाख से ज्यादा नहीं है । तो ५० करोड़ की रेवेन्यू और कैपिटल का जहां बजट है, वहां ४७ लाख रुपया किसी नई चीज़ पर कर नहीं लगा कर पहले में ही कुछ वृद्धी की है तो ५० करोड़ के सामने यह रकम बहुत नगण्य सी है । तो इससे मैं नहीं मानता कि यह आपत्तिजनक कोई बात है और अगर हो भी तो इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि आप सोचते हैं ।

अलबत्ता बैटरमेन्ट लेवी के बारे में एक बात कह देना चाहता हूँ कि जो यह कहा गया कि यह बैटरमेन्ट लेवी और इरिगेशन के चार्जेज़ हैं, ये तो कृषक पर अतिरिक्त बोझ लाद देना है और इसलिये ये हटा लिये जाने चाहिये, लैण्ड रेवेन्यू और सिंचाई की दरें भी नहीं लेनी चाहिये, यह ठीक नहीं है । तो इस बैटरमेन्ट लेवी के लिए कुछ भ्रम है । बैटरमेन्ट लेवी, किसान अपनी मेहनत से खेत का विकास करता है या उससे ज्यादा आमदनी करता है तो, उस पर बैटरमेन्ट लेवी नहीं है । बल्कि उसको तो उल्टे २० साल तक रियायत दे रखी है । इसलिए एक आम किसान जो अपने परिश्रम से जमीन को ठीक करता है, उसको उपजाऊ बनाता है, उसको इससे कोई आंच नहीं आती है । यह तो उन लोगों के ऊपर असर पड़ता है कि जिनके यहां सहज भाव से कोई नहर निकल गई और उनको आबपाशी के साधन उपलब्ध हो गए और उनको कोई आबपाशी के साधन उपलब्ध होने में दिक्कत नहीं उठानी पड़ी और घर बैठे ही यह सहूलियत मिल गई और इस प्रकार के आबपाशी के साधन आ जाने से उनके खेतों की कीमत बढ़ गई और उसको फायदा जो उसके घर में आ गया उसके ऊपर यह बैटरमेन्ट लेवी है और उसमें भी ५० पर्सेन्ट वह अपने घर में रखें । उस जमीन से जो उसकी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

आमदनी बढ़ गई है उसके ५० पर्सेन्ट तक लेने का हक सरकार का है और पचास पर्सेन्ट वह किसान जो पैदा करता है वह अपने घर में रख सकता है। मगर मैं आपको बताऊं कि ५० पर्सेन्ट तो सरकार लेगी भी नहीं। अब इसके लिए एक कमेटी नियुक्त की गई है और वह कमेटी जो सिफारिश करेगी उसी पर निर्णय लिया जायेगा। तो उसको वह पचास पर्सेन्ट का तो फायदा बैठे बिठाये मिल गया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्यों ने इसको किस प्रकार गलत समझ लिया और फिर मेरी समझ में नहीं आया कि किसानों को नुकसान क्या हुआ ? सभी चीज को बैटरमेन्ट लेवी कैसे समझ लिया गया ? किसान अपने परिश्रम से जो सुधार करेगा और उपज बढ़ायेगा उस पर कोई बैटरमेन्ट लेवी नहीं है और वह भी एक हजार रुपये तक की आमदनी तक बैटरमेन्ट लेवी नहीं ली जायगी। तो इसमें भी उसको छूट दी गई है। इस तरह से यह तो काफी रियायत पहले से ही कर दी गई है।

एक बात एक माननीय सदस्य ने यह कही थी कि ६३ लाख रुपया फाइनेन्स कमीशन पर अपना ड्यु था और ११८ लाख रुपया मिल गया और इसके लिए कहा गया कि आसमान फट गया और घर बैठे ही मिल गया। ऐसे शब्द थे उनके, ऐसी बात नहीं है। अव्वल तो जिस रूप में फाइनेन्स कमीशन से रुपया मिला और मैं अपने एक साल के अनुभव से कह सकता हूं कि फाइनेन्स वाले कोई धर्मादा करने वाले नहीं होते हैं वह तो मक्खीचूस की तरह बैठते हैं। तो फाइनेन्स कमीशन ने ११८ दे दिया तो यों ही नहीं दे दिया। वह तो आपका ड्यु था। यह वाजिब है और वाजिब समझकर दिया है और अब ६० लाख रुपया तो हर साल वापिस मिलने की गारन्टी दी है और साल में एक करोड़ रुपया अपना ड्यू होता था। ६३ लाख रुपये का जो आपको फिगर....

श्री चन्दनमल वेद : यह आपकी किताबों से मिला है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने भी उन्हीं किताबों से लिया है।

अब बोरोइंग लिमिट के बारे में आपका सुझाव था कि इस तरह के कर्जे के ऊपर लिमिट लगा दें। उन्होंने समझा होगा कि यह कर्जा लेते ही रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन जो विधान में प्रोवीज़न रखा गया है वह इसके लिए दे रखा है कि हम कोई मनमानी नहीं करें और साधारण अवस्था में जो ब्याज लिया जाय उसके लिए है। इसका प्रबंध केन्द्र से होता है, अपने यहां से होता है और रिज़र्व बैंक भी करती है, तो इसलिए अगर सीमा लगा दें तो इससे आपके काम में रुकावट पड़ेगी। इसमें मनमानी करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आपका यह सुझाव अपने अधिकार में रहते हुए भी अगर इसको मान लेंगे तो अपने काम में बाधा और रुकावट पैदा होगी इसलिए इसको मानना ठीक नहीं होगा।

आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि रिडीमेबल लोन को चुकाया जाय यानि इसको चुकाने के लिए एक निधि संग्रह की जाये। वह की जा सकती है, हमने इस साल के बजट में इसके लिए २६ लाख रुपया भी रखा था और सही पॉलिसी यह

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

है भी कि कर्जे के चुकाने के लिए भी रुपया रखा जाय, जैसे मुआवजे आदि के चुकाने के लिए रखा जाता है। परन्तु फाइनेंस कमीशन ने यह सिफारिश की कि यह तभी हो सकता है जब कि हमारा सरप्लस का बजट हो और यहां तो उल्टा कर्जा लेते हैं इसलिए यह ठीक नहीं है, तो उनकी सिफारिश से इस विचार को छोड़ दिया। वैसे इस विचार से हम खुद ही सहमत थे।

एक माननीय सदस्य ने बताया था कि यह सेल्स टैक्स लगाने से खरीददारों को तो नहीं बल्कि सरकार को परेशानी है। यह उनका कहना ठीक है। इसलिए कुछ बातों से सेल्स टैक्स हटा दिया है जिनके ऊपर कि एक्साइज़ ड्यूटी लगाई गई थी। इससे लोगों को फायदा मिला है। वह प्रोसीज़र कठिन भी था और वह अब मिट गया। उनका सुझाव था कि टैक्स के बारे में ऐसा हो जाय कि जिनके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी नहीं लगाई गई है उन पर भी लगादी जाय, हम इसको पसन्द करते हैं और इसके लिए विचार भी चल रहा है। मैं समझता हूं कि यह उनके संतोष के लिए काफी होगा। वह माननीय सदस्य चले गये....

श्री मदनसिंह : हमें तो इसी में संतोष है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हरिजनों के बारे में कहा गया। हरिजनों के साथ मेरा संबंध है। प्रोहीबीशन की बात ऐसी है कि आप विश्वास मानिये, इस बात का कि मैं प्रोहीबीशन के खिलाफ नहीं हूं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं गांधीवादी हूं इसलिए मैं प्रोहीबीशन के खिलाफ कैसे हो सकता हूं; परन्तु मैं बल्कि एक बड़े राज्य का वित्त मंत्री हूं। मैं आपको बताऊं कि अखिल भारतवर्ष की दृष्टि से भी इसको मैंने सोचा और बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह मामला काफी पेचीदा है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा कभी समय मिलेगा तो इस विषय में दोनों पक्ष बात करेंगे। इसमें ऐसा है कि अगर ऐसा करते हैं तो कुछ दिक्कतें हैं। यह इतना सीधा मामला नहीं है, यह केवल बहस में सीधा है, लेकिन जब हम इसे कार्यान्वित करने जाते हैं तो यह सबसे ज्यादा मुश्किल मामला होता है। जैसे भ्रष्टाचार को एकाएक मिटाना मुश्किल है इसी तरह से इस नशाबन्दी के मामले को भी एकाएक मिटाना मुश्किल है। इसके अन्दर ज्यादा प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। इस मामले को उतावलेपन में उठायेंगे तो मुमकिन है कि हम इस काम में सफल न हों। न घर के रहें न घाट के, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज मैं इस पर आपका समय अधिक नहीं लूंगा, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा कि ऐसा कोई कार्यक्रम बन सके कि जिससे हम दो तीन साल के अन्दर नशाबाजी को हटा सकें तो भी इसके अन्दर पूरी ताकत लगाऊंगा। लेकिन उसकी कोई निश्चित योजना बननी चाहिए। ऐसा न हो कि हम जोश के अन्दर आ कर कुछ कर दें और फिर पछताना पड़े। इसके बारे में यह कहना कि हमारे राज्य की कोई घोषित नीति नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वह तो निश्चित है। सवाल इतना ही है कि हम कितने दिन में टोटल प्रोहीबीशन कर सकते हैं। उसका प्रोग्राम बनाने की जरूरत है और उसमें मैं आप सब के सहयोग की आशा रखता हूं।

अब रहा प्राकृतिक चिकित्सा और योगासन का विषय। इसका जिक्र हमारे किशनगढ़ से

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

आने वाले माननीय सदस्य ने किया । उन्होंने कहा कि एलोपैथी में जो दवाइयां हैं, इंजेक्शन्स वगैरह हैं वह सब प्राकृतिक चीज हैं । यह आज समझ में आता है लेकिन योगासन और जिस चीज पर उनको आपत्ति हुई उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि योगासन कोई बड़े ही योगियों के करने की बात नहीं है । योगासन का कोई समाधि आदि से सीधा संबंध नहीं है । यह तो शारीरिक व्यायाम के साधन हैं जिनसे सब को लाभ होता है, स्वास्थ्य की भी रक्षा होती है और इससे बीमारी भी दूर होती है, तो बिना पैसे खर्च किये और थोड़ासा शारीरिक परिश्रम करने से बीमारी दूर हो जाती है तो आपका क्या है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : व्यायाम और योगासन एक ही चीज मान ली तो ठीक है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : 'योगाभ्यास' नहीं कहा, मैंने 'योगासन' कहा है । योगाभ्यास में भी आप आगे चलेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह इतना मुश्किल नहीं है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें भी आनन्द मिलेगा ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उसका आप 'व्यायाम' शब्द रखते तो ठीक था ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे आसन जो हैं व्यायाम ही हैं असल में, और कुछ नहीं हैं ।

एक सुझाव वह आया था, वे माननीय सदस्य चले गये हैं, काश्तकारों के लगान के बारे में वे बहुत परेशान थे कि यह लगान, वह लगान, यह टैक्स, वह टैक्स, ज्यादा अच्छा तो यह होता कि वे बता देते कि यह बात तय कर दी जाय । मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि जो कि फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी थी उनके सामने भी यह प्रश्न था और उन्होंने थोड़ी सी सिफारिशें की हैं और कुछ बाकी हैं । उन्होंने इस सवाल पर सुझाव दिया है । उसके आने पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, पानी के ऊपर एक सदस्य महोदय ने ध्यान दिलाया कि शहर में बड़ा खर्चा किया जाता है और गांव वालों के पीने के पानी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं । यह बात सही है कि शहर में पानी की योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन उन्हें ऋण दिया है । उनके ध्यान में यह रहना चाहिए कि शहरों को जो रुपया दिया गया है वह ऋण के रूप में दिया है, जब कि गांवों को चाहे वह कम हो, सहायता के रूप में, सब्सिडी के रूप में रुपया दिया है, यह फर्क है । इसलिए शहरों के साथ पक्षपात किया हो और गांवों की उपेक्षा की हो, ऐसी बात नहीं है ।

एक यह शिकायत की गई है, मैं समझता हूँ कि यह शिकायत बाज जगह सही है कि आज हमारे हरिजन भाइयों के साथ छुआ छूत का व्यवहार अभी हम लोगों में से नहीं निकला है । उनका कहना सही है । कि सर्विसेज़ के लोग जो हैं वे भी बाज़ दफा इससे बरी नहीं हुए हैं । यहां पर मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि छुआछूत कानूनी जुर्म है, लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जुर्म के भय से नहीं, अपराध के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि छुआछूत स्वयं में बुराई है वह कोशिश करें कि हरिजनों को हमारे सवर्णों से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं रहे और हम

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

देखेंगे कि इस प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। हरिजन कर्मचारियों को गांवों में कठिनाई होती है, उनको मकान नहीं मिलते। इसमें सरकार की जिम्मेदारी तो है, लेकिन उसका दोष नहीं है। गांवों में अभी तक इस सम्बन्ध में इस प्रकार का वातावरण नहीं बना है। आप और हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि यह भेदभाव मिट जाय। सरकार प्रयत्न करेगी खास तौर से पिछले साल प्रयत्न किया था। हमारे सवर्ण भाइयों की जिम्मेवारी है कि वे हरिजन भाइयों को छुआछूत की चिन्ता से मुक्त कर दें।

अब मैं समझता हूं कि समय भी करीब २ खत्म हो गया है और मेरे नोट्स खत्म तो नहीं हुए हैं, लेकिन मैं खत्म कर देता हूं। अन्त में मैं माननीय सदस्यों से, बहुत से बाहर चले गये यह तो मेरी निगाह में है, लेकिन फिर भी जो रह गये हैं, उन्होंने बड़ी शान्ति से और ध्यान से मेरे भाषण को सुना, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और अन्त में आश्वासन देता हूं कि जो भी कसर रह गई है, सब बातों का जवाब नहीं आया और न जवाब देना संभव है, लेकिन हम ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि जो खामियां बताई हैं उन पर ध्यान देंगे और जहां तक होगा हमारी कोशिश यही होगी कि हम उनको मिटायेंगे।

(करतल ध्वनि)

४.४५ म० प०

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : अब एक छोटा सा विधायी कार्य है।

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, १६५८

(तृतीय वाचन पर विचार-विमर्श पारित)

श्री संपतराम (उप राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक १६५८, को पारित किया जाय ...

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष,...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : विदड्रॉ कर लिया है आपने एमेंडमेंट।

श्री तनसिंह : एमेंडमेंट की बात नहीं है। थर्ड रीडिंग के लिए लिया था। हमें कोई हर्ज नहीं, अगर इसको आगे के लिए ले लें तो।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री तनसिंह (बाडमेर): माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ तीन चार बातों की ओर ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यद्यपि मैं जानता हूं कि इसका कोई नतीजा नहीं होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है। जो एमेंडमेंट पेश हुआ था तब मुझे खयाल आया था कि समय दिया जाय तो स्टडी करके फिर बहस करें। हमने स्टडी किया तो मालूम हुआ कि पहली दोनों क्लॉजेज़ में बड़ा फर्क है, दोनों जो प्रोवीज़न्स हैं उनमें बड़ा फर्क है। इसमें ७ पर्सेन्ट की लिमिट फिक्स की है मेग्ज़ीमम यानी यहां तक लागू हो सकता है और दूसरी ओर जहां कि प्रोवीज़ों हैं उसमें यह डाइरेक्ट किया गया कि इतना लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लेकिन उसको बड़ी चतुराई से विदड्रॉ करना चाहते थे। लेकिन मौजूदा स्थिति जो

(श्री तनसिंह)

है उस स्थिति के अनुसार मैं निवेदन करूंगा कि वह सही ढग नहीं है । उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है । वह यह है कि जब ७ पर्सेन्ट के और ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के स्वास्थ्य के लिए, यहा के भी धन्धे के विकास के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम यह जो टैक्स आॅइल पर लगा हुआ है जिसको कि आपने चुपचाप १२ पर्सेन्ट से बीच में एमेंडमेंट लाकर सवा छैः पर्सेन्ट कर दिया है। यह बिल्कुल ध्यान में नहीं था । एक पाम आॅइल पर १२ पर्सेन्ट लगा हुआ है सिगार और सिगरेट्स पर यह जो सवा छैः पर्सेन्ट लगा हुआ है यह बिल्कुल बेजा जब है । १२ पर्सेन्ट वही का वही कर देना चाहिए ।

श्री सम्पतराम (उप राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, this is irrelevant. It has nothing to do with the main Amending Bill.

श्री तनसिंह : यह करेंगे तो मैं सीधे ढंग से कहूंगा कि उसमें कोई लिमिट नहीं है । जिस स्थिति मे आज यह बिल पेश हो रहा हैं । उस बिल से जो पहले की मन्शा है, पहले के बिल में इस क्लॉज़ या पहले सेक्शन की जो मन्शा थी वह मन्शा इस नये एमेंडमेंट के कारण मर जाती है । पहले जो आपका प्रोवीज़ो था उसके मुताबिक राजस्थान सरकार के लिए लाजिमी था कि कुछ कमोडिटीज़ थीं जिनके ऊपर एक फिक्स्ड टैक्स लगाया जाय । टैक्स कितना हो उसकी मेग्ज़ीमम लिमिट थी, उसके बराबर था । आज मेग्ज़ीमम लिमिट ७ पर्सेन्ट की हो गई है, आज मेग्ज़ीमम लिमिट सवा छः पर्सेन्ट की हो गई है । टो, एक कमोडिटीज़ के लिए सिलसिले से उतावली हो रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । परिश्रम करना बेकार समझता हूं, लेकिन फिर भी वह ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे । मैं अभी ५ मिनट में खत्म कर दूंगा; लेकिन जो बात कहनी है वह कहूंगा अवश्य ।

जिस प्रकार कि पहले सिगार और सिगरेट्स पर सवा छः पर्सेन्ट इसलिए था कि उनकी मेग्ज़िमम लिमिट सवा छैः पर्सेन्ट थी । अब ७ पर्सेन्ट मेग्ज़ीमम लिमिट है तो इसको भी ७ पर्सेन्ट बढ़ाया जाय । हम इस बात के लिए आपका सपोर्ट कर रहे हैं । हम टैक्सेशन को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ये चीजें स्वास्थ्य के लिए अनहितकारी हैं इसलिए सवा छः पर्सेन्ट के बजाय १२ पर्सेन्ट जैसा कि एडीबल आॅइल्स पर लगा हुआ है । आॅइल्स पर टैक्स लागू रहना चाहिए । पाम आॅइल का एमेंडमेंट तो विदड्रॉ कर लें, आपकी मन्शा यह दिखती है कि निकट भविष्य में इस प्रकार का एमेंडमेंट लाना चाहते हैं । यह एमेंडमेंट लाना होगा तो निश्चित् रूप से बड़ा भारी क्रिटिसिज़्म को फेस करने के लिए तैयार होकर आयें । मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि हमारे यहां शुद्ध घी की कमी है और जो कुछ भी मिलता है वह इस सांठगांठ से जो एमेंडमेंट आयेगा उससे पूरी हो जायगी । इसलिए आप निकट भविष्य में ऐसा बिल लायें कि सवा छः पर्सेन्ट को बढ़ाकर १२॥ पर्सेन्ट कर दें और सिगार और सिगरेटस पर कुछ बढ़ाकर ७ पर्सेन्ट ले आयें तो मैं आपके हित की बात कह रहा हूं । आपके घाटे को पूरा करने के लिए निवेदन कर रहा हूं । इनमें बजाय राहत देने के टैक्स लगाने की जरूरत है ।

इन दो-चार बातों के साथ समय को

(श्री तनसिंह)

देखते हुए जो मुझे निवेदन करना था कर दिया।

५ म० प०

श्री सम्पतराम (उप राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो दलील पेश की गई है उसको देखते हुए यह आवश्यक नहीं है कि मैं कुछ कहूं, क्योंकि मैंने प्रारम्भ में ही कहा था कि जो ऑब्जेक्शन माननीय सदस्य ने उठाया है उसका अमेडिंग बिल से ताल्लुक नहीं है। शुरू में ७ पर्सेन्ट का सुझाव था. उसके पेश होते ही ६ पर्सेन्ट का अमेन्डमेन्ट आया था उसका वेहीमेन्टली अपोज़िशन किया गया था, इसलिए जो मन्शा आज रखी जाती है उसी को उस समय रखा गया था, जो काम उस समय होने वाला था उसको टाल देना पड़ा। मेन ऑब्जेक्शन प्रोविज़ो पर है जिसे डिलीट करने के बाद उससे ताल्लुक नहीं रहता। दूसरा जो आयगा उसे सरकार किस इरादे से लाती है और कैसा ऑब्जेक्शन आयगा यह आगे देखने की बात है। थर्ड रीडिंग को पोस्टपोन किया गया था वह इस लिये किया गया था मैं समझता था कि कोई वेल्युएबल सुझाव आयेगा।

श्री तनसिंह : व्यूज़ से आप फायदा उठाते हैं क्या ?

श्री सम्पतराम : Please let me have my say. It is very necessary, keeping in view the main section of this Act. उस दिन भी मैंने कहा था, but it was not admitted. They opposed it and now they are supporting it. Now they have to come to their senses.

श्री तनसिंह : यह बात गलत है। हमने सपोर्ट नहीं किया था। आप डिलीट कर रहे थे, हमने कहा कि ज्यादा रहना चाहिये।

श्री सम्पतराम : मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक प्रोविज़ो डिलीट नहीं करेंगे तब तक क्या होगा ? एक तरफ गवर्नमेंट को पॉवर देना चाहते हैं ७ पर्सेन्ट के लिए और आज यह कहते हैं, लेकिन जब तक प्रोविजो हटाया नहीं जाता तब तक राज्य सरकार के पास पॉवर्स नहीं हैं कि हटा सके। उस दिन जिस प्रोविज़ो को हटाना चाहते थे उसका मतलब यह था कि यदि राज्य सरकार चाहे तो ७ पर्सेन्ट तक टैक्स लगा सकती है। अब क्योंकि दलील ऐसी नहीं कि जिसका जवाब दिया जाय इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि यह बिल पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही १८ मार्च, १९५८ को ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बज कर ७ मिनिट पर दिनांक १८ मार्च, १९५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १४ मार्च, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ३५५८

संस्कृत समिति की रिपोर्ट ।
जन सम्पर्क डाइरेक्टोरेट ।
पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था ।
पंचवर्षीय योजना ।
पुलिस स्टेशन, सिणदरी ।
लेक्चरार्स एवं अध्यापकों का स्थानान्तरण ।
बस सर्विस ।
विकास खंड ।
बांध निर्माण ।
सड़क निर्माण ।
पदोन्मुक्त वृद्ध कर्मचारियों का पुनः राजकीय सेवाओं में लिया जाना ।
बिजलीघर, बयाना ।
गोवर्धन कन्या पाठशाला, नाथद्वारा ।
पी. कैप पैकेट्स का निर्माण ।
सड़क निर्माण ।
इन्सपेक्टर्स का वेतन ।
हैवी व्हीकल अलाउन्स ।
बांध निर्माण ।
गोचर भूमि ।
मुल्तानी मिट्टी का ठेका ।
पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण ।
पटवार घर का निर्माण ।
स्टेडियम का निर्माण ।
बिजलीघरों में दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी ।
शिक्षा-शुल्क ।

स्कम्भ

सहरिया परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था ।
सीमेन्ट फैक्टरी की स्थापना ।
सहकारी समिति ।
प्रारम्भिक व माध्यमिक पाठशालाओं की स्थापना ।
विन्धियन लाइम स्टोन ।
शिक्षा शुल्क ।
डाइरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन्स ।
अध्यापकों की पद-वृद्धि ।
मेवाड़ भील कॉर्प्स।
घरेलू उद्योग ।
सिंचाई कर ।
ग्राम बड़ा गांव (तहसील किशनगढ़) में चमारों के साथ की गई मारपीट ।

अल्पकाल सूचना प्रश्नोत्तर ३६२१

राजस्थान की राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्रस्तुति

आय व्ययक भाषण पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद ३६२२

आय-व्ययक, १९५८-५९ पर आज भी सामान्य वाद विवाद जारी रहा । वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

१. श्री भैरोंसिंह (१४)
२. श्री शंकरलाल
३. श्री लच्छूराम
४. श्रीमती गंगादेवी
५. श्री बी. एन. जोशी

स्कम्भ

६. श्री नरेन्द्रसिंह
७. श्री नरोत्तमलाल जोशी
८. श्री धर्मपाल
६. श्री गोकुलचन्द

सरकार की ओर से श्री दामोदर-लाल व्यास, राजस्व मन्त्री, श्री श्री मोहनलाल सुखाडिया, मुख्य मन्त्री तथा श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री, ने बहस का उत्तर दिया।

विधायी कार्य—विधेयक का पारण

स्कम्भ

राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ ३७६७

श्री सम्पतराम, उप-मन्त्री, ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को पारित किया जाय। विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

मंगलवार, दिनांक १८ मार्च, १९५८ की कार्य-सूची

मांगों पर मत-दान (सिंचाई)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ५७८ का उत्तर देखिये)

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति जिसको सरकारी अनुदान दिया गया है।	कार्य विवरण जिसको सरकारी अनुदान दिया गया है।	सरकारी रकम जो दी गई है (रुपयों में)	विशेष विवरण
१.	श्री लक्ष्मीनारायण, अध्यक्ष, विकास मण्डल व श्री मूलचंद व श्री गुलाबचन्द	पेशाब घर	२५)	विकास खण्ड से मिले हैं।
२.	,, ,,	खुर्रा	२४०)	,, ,,
३.	श्री नारायण मूलचन्द, सचिव, विकास मण्डल	औषधालय	७००)	,, ,,
४.	श्री लक्ष्मीनारायण, } सदस्य	खुर्रा	१००)	,, ,,
५.	श्री मूलचन्द } विकास मण्डल	हैन्ड पम्प	१२५)	,, ,,

इसके अतिरिक्त लोकल डेवलपमेंट वर्क्स से भी निम्नलिखित व्यक्तियों को सरकारी अनुदान दिया गया है।

१.	श्री लक्ष्मीनारायण, अध्यक्ष, विकास मण्डल व श्री मूलचन्द व श्री गुलाबचन्द	कुए की मरम्मत	८००)
२.	,, ,,	स्कूल भवन	१०००)

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५८१ का उत्तर देखिये)

ऐसे कर्मचारियों की सूची जिनको उनकी सेवायें १ अप्रेल सन् १६५७ के बाद आयु की अवधि के समाप्ति के कारण सेवा-मुक्त करने के बाद, पुनः नियुक्त किया गया है ।

क्रम संख्या नाम	पद जिस पर पुनः नियुक्ति की गई ।	पुनः नियुक्ति की अवधि ।
१. डॉ० एन. एस. कटरे	सी. ए. एस. क्लास II	१ साल
२. डॉ० सी. एम. शर्मा	सीनियर स्पेसिएलिस्ट एन्ड प्रीसिपल मैडिकल एन्ड हैल्थ ऑफिसर, अलवर ।	१ साल
३. श्री नारायनदत्त	कम्पाउन्डर	१ साल
४. श्री ई. एन. एकबोटे	हैड ऑफ डिगरी डिपार्टमेंट	१ साल
५. श्री द्वारकानाथ मेहरा	एडीशनल, अकाउन्ट्स ऑफिसर, रिलीफ एन्ड रीहेबिलीटेशन विभाग ।	छः मास
६. श्री एम. आर. गोयल	अकाउन्ट्स ऑफिसर, वन विभाग ।	१ साल
७. श्री भगवानदास	सुपरिन्टेंडिग इंजीनियर, सिंचन विभाग ।	१ साल
८. श्री रामदत्त शर्मा आर. ए. एस. (रिटायर्ड)	म्युनिसिपल कमिश्नर । जयपुर ।	१ साल
९. श्री पी. सी. दास	हैड ऑफ डिगरी डिपार्टमेंट (अंग्रेजी)	१ साल
१० श्री गंगाराम	सीनियर ड्राफ्ट्स मैन, बी. एन्ड. आर. विभाग ।	१ साल
११. डा० आर. पी. सिंह	सी. ए. एस. क्लास II	१ साल
१२. श्री गंगाबिशन	कम्पाउन्डर	१ साल
१३. श्री कन्हैयालाल	बस ड्राइवर	२२. ७. ५७ से २२. ८. ५७
१४. डा० जी. डी. पारेख	डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हैल्थ ऑफिसर	१ साल
१५. डा० एच. पी. गुप्ता	सी. ए. एस. क्लास II	१ साल
१६. श्री नन्दकुमार	लेक्चरार, संस्कृत कॉलेज, जयपुर ।	

१	२	३	४
१७.	श्री एच. एन. पान्डे	एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, बी. एन्ड आर.	१ साल
१८.	डा० बी. एच. पुरोहित	सी. ए. एस. क्लास	१ साल
१९.	श्री सी. बी. देसाई	एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, बी. एन्ड आर.	१ साल
२०.	बरकत राम	असिस्टेन्ट टीचर	१ साल
२१.	श्री मूलसिंह	स्पेशल ऑफिसर विलेज वाटर सप्लाई, जोधपुर	१ साल
२२.	श्री राम रघुनाथ	लेक्चरार, फिज़िक्स राज ऋषि कॉलेज, अलवर।	१-७-५७ से ३०-४-५८
२३.	श्री राम गोपाल	लेन्डस रेकार्डस इन्सपेक्टर	१६-६-५७ से २०-७-५७
२४.	श्री यू. सी. भट्टाचार्य	क्यूरेटर,	१ साल
२५.	श्री ए. एन. कौल, आर. एच. जे. एस. (रिटायर्ड)	जज, इन्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल	१ साल
२६.	श्री के. एस. पुरोहित	असिस्टेन्ट इंजीनियर सिंचन विभाग	१ साल
२७.	श्री पी. एन. कौल, आर. ए. एस. (रिटायर्ड)	ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सिंचन विभाग	१६-९-५७ से २८-२-५८
२८.	श्री आर. पी. श्रीवास्तव	जोइन्ट डाइरेक्टर शिक्षा विभाग	१ साल
२९.	श्री हकीमर्ईहुहा मियां	हकीम (यूनानी) टोंक	१ साल
३०.	डॉ. मंगला देवी तलवार	जूनियर स्पेसिएलिस्ट	२ साल
३१.	डॉ० एस. एन. आसोपा	सीनियर स्पेसिएलिस्ट	१ साल
३२.	श्री शिव प्रताप	ड्राफ्ट्स मैन	६ साल
३३.	श्री हनुमान सहाय पुरोहित	असिस्टेन्ट कमिश्नर वक्फ्स	६ मास
३४.	श्री जहीरुद्दीन फारूकी	यू. डी. सी. (वक्फ्स)	१-११-५७ से १३-२-५८
३५.	श्री तेजराज सिंघी	ट्रेज़री ऑफिसर	१ साल
३६.	श्री एम. एम. वशिष्ठ मिलापचंद	अकाउन्ट्स ऑफिसर, (इन्सपेक्शन) सचिवालय।	९-८-५७ से ११-१०-५८

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५६३ का उत्तर देखिए)

AGREEMENT FOR OFFSET PRINTING

This Agreement made on....................day of................195 between the Governor of Rajastnan (hereinafter called the "Copy Right Holder") of one part and....................................(hereinafter called the "Printer") of the other part.

WHEREAS the Copy Right Holder being the owner of the book entitled..............Book..............Class............is desirous to have the same printed by Offset Printing Process through some reliable and competent agency for the exclusive use of students of Primary Classes in Rajasthan;

AND WHEREREAS the Printer has requested the Copy Right Holder to entrust the aforesaid work of printing to them and the Copy Right Holder has agreed to accede to their request on the considera-tion, terms and conditions hereinafter enumerated;

NOW THIS DEED WITNESSETH and the parties hereto hereby agree as follows :—

1. The Copy Right Holder shall give to the printer the speci-men of the aforesaid book for printing with the following specifi-cations regarding the cover page, the design on the cover page, textual matter, illustrations in the textual matter and any other details pertaining thereto namely :--

(a)	Quality of Paper	The paper for cover and textual matter of such size and weight as may be made available by the Copy Right Holder or approved by him.
(b)	Type of print	Class I ....36 Point. Class II ....24 Point.
(c)	Size of the book	17X27--1/8
(d)	Design of the Cover page	As per specimen.
(e)	Type of binding	Side stitching with cover paste up. Centre stitched with wire.
(f)	Ink to be used	Suitable offsetink

2. The Printer shall before final printing of each form of the book have the proof thereof approved by a person/persons nominated

by the Copy Right Holder who will be available at the printing press;

3. The Printer shall commence printing as aforosaid within 15 days of the delivery of paper to him and shall make available for delivery...............copies of the said book within a further period of two months computed from the aforesaid 15 days.

4. The Printer shall print the aforesaid book at the folowing rates :--

(a) Rs. 12/- (Rs. Twelve) per colour per thousand per formma.

(b) Rs. 2/- (Rs. Two) Binding charges per thousand per formma. Packing Hessain bundles. free F. O. R. as the case may be.

(c) Less than half forme will be charged or half and more than half as full forme.

(d) Cover printing--Pages 2 and 3 at Rs. 5/- per colour per thousand covers and pages 1 and 4 at Rs. 8/- per colour per thousand covers. Cover varnishing of pages 1 to 4 to be done at the rates allowed by the Govt. of India or Rs. 8/- per thousand covers whichever is less.

(e) Reduction of art work from 6 to 7 colours to 4 will be undertaken by the Printer at no extra cost as a very special case. The text matter will be enlarged first to the size of the art work and then reduced to the size of the book by tne Printer at no extra cost as a a special case.

5. The Printer shall not print any re-print edition or part thereof without the written consent of the Copy Right Holder. Any reprint or print in excess of the quantity in clause 3 above or in contravention if any other provision of this agreement shall, without prejudice to any other remedy which the Copy Right Holder may be entitled to in respect of it against the printer be forfeited the Copy Right Holder.

6. The Printer shall deposit with the Government Treasury in advance a sum of Rs. 500/- by way of security for the due performance of the contract. The amount of security deposited shall ba refundable to the Printer after the due performance of the contract and shall be forfeited to the Copy Right Holder in case of any breach of this agreement.

7. The Copy Right Holder will take the delivery of the books within one month of the completion of printing by the Printer in not more than one lot for each of the six stations, viz, Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kotah and Udaipur.

8. The Printer shall allow the officer or officers authorised by the Copy Right Holder to visit and inspect the Printing press or presses at any stage of Printing and the stock of books and its accounts.

9. (a) The Printer shall keep proper account of the paper supplied and used by him and shall dispose of the balance according to the directions of the Copy Right Holder.

(b) Wastage of paper at the rate of 1% per colour shall be allowed to the Printer.

(c) Torn paper received from the Mills will be replaced by the Copy Right Holder.

(d) Local and State taxes if any and cartage on paper will be borne by the Copy Right Holder. The Printer will endeavour to get exemption from payment of Octroi. Necessary certificate in this connection will be issued by the Copy Right Holder to obtain exemption.

10. This agreement shall not be assignable by the Printer without the written permission of the Copy Right Holder.

11. Notwithstanding anything herein before contained and without prejudice to other rights of the Copy Holder in the event of printer failing to make available for any reason not beyond the control of the Printer copies of the book as hereinbefore agreed upon by the time as specified in clause 3 the printer shall pay by way of penalty to the Copy Right Holder a sum of Rs. 100/- (Rupees one hundred) per week or part thereof beyond the date by which the book is required to be made available and any sum recoverable in virtue of these presents shall be recoverable as arrears of land revenue.

12. The proprietory rights of the stocks of the books hold in the godown of the printer shall vest with the Copy Right Holder.

13. The payment for the printing charges shall be completed by the Copy Right Holder to the Printer within two months, i. e. 75 % by the first month and the rest by the second month of completion of the printing of the books to the the entire satisfaction of the Copy Right Holder or his nominee provided that no part payment shall at any one time be made to-wards delivery of copies less than 50000 in number.

14. The Offset plate will be affaced in the presence of the nominee of the Copy Right Holder after comletion of the Printing.

15. If any reprint is required by the Copy Right Holder during the current academic year the printer shall undertake such reprint on the same terms and conditions provided that the number of copies required to be printed shall not be less then 25,000.

16. All disputes and questions in respects of all matters contained herein and of interpretation of any part of this deed shall be decided by the Copy Right Holder and such decision shall be final and binding on the Printer.

17. Provided always that the expression "Copy Right Holder" shall unless the context requires otherwise include his successors in office and permitted assigns and the expression "Printer" shall unless the context requires otherwise shall include his successors, heirs, liqui daters, administators and assigns.

In witthess whereof this deed has been signed this.........day of... ....in the year one thousand nine hundred and fifty seven.

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR

Witness I

Withess.........II

Education Secretary, Govt. of Raj.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ६०४ का उत्तर देखिये)

सूची पाठशालाएं वृत बयाना।

मिडलि स्कूल।

१. माध्यमिकशाला, बृह्लवाद

प्राइमरी पाठशालाएं।

१. महलोनी।
२. पुराबाखेड़ा।
३. मदनपुर।
४. कोट।
५. नगलाझामरा।
६. शाहपुर।
७. नेहराली।
८. बड़ोदा।
९. समोवर।
१०. सिंबाडा।
११. बीरमपुरा।
१२. दमदमा।
१३. नारोली।
१४. सादपुरा।
१५. महमदपुरा।
१६. बन्दबारेटा।
१७. सामरी।
१८. सिंबनिया।
१९. ठिकरिया।
२०. बाकरी।
२१. सपा।
२२. सालाबाद।
२३. बयाना।
२४. बिडयारी।
२५. हरनगर।
२६. लालबस्ती।
२७. सेरगढ़।
२८. कलसांडा।
२९. मोरीली।
३०. कैर।
३१. परोआ।
३२. खैरी।
३३. बागनैन।
३४. खानखेड़ा।
३५. मिलकपुर।
३६. कपरामलका।
३७. घीघरैन।
३८. खटनावली।
३९. नावली।
४०. घेगोआ।
४१. कुनावट।
४२. सिकन्दरा।
४३. बरखेडा।
४४. खैडलीगडिसिया।
४५. खोहरा।
४६. गुरधानदी।
४७. बाजोली।
४८. फरसां।
४९. रैलने सर्कल बयाना।
५०. बरेजाबीगरेन।

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ६०८ का उत्तर देखिये)

LIST OF TEACHERS PROMOTED TO UNTRAINED MATRIC GRADE FROM 1-4-51.

1.	Shri Laxminarain.	G. M. S. Bijapur.
2.	„ Champa Lal.	G. P. S. Bali
3.	„ Paras Ram.	G. P. S. Balotra.
4.	„ Sagar Puri.	G. P. S. Barmer.
5.	„ Lekhraj.	G. M. S. Pachpadra.
6.	„ Durgadutta.	G. P. S. Bagar.
7.	„ Mool Chand.	G M. S. Samdari.
8.	„ Parasmal.	G. M. S. Rani.
9.	„ Pratap Chand.	G. M. S. Residency.
10.	„ Mool Shankar.	G. M. S. Rajmahal.
11.	„ Maheshchandra.	G. M. S. Vidhyashala, Jodhpur.
12.	„ Heerasingh.	G. M. S. Rani.
13.	„ Janukhan.	G. M. S. Sardarapura.
14.	„ Naresh Harilal.	G. M. S. Jn. Military.
15.	„ Joharilal.	G. M. S. Chandpole, No. 2.
16.	„ Laxminarain.	G. M. S. Sardarpura, JU.
17.	„ Baboolal.	G. M. S. Balotra.
18.	„ Mohanlal.	G. M. S. Mandi, JU.
19.	„ Narsingh.	G. M. S. Chanod.
20.	„ Madhosingh.	G. M. S. Sojat Rd.
21.	„ Moola Ram.	G. M. S. Barmer.
22.	„ Jai Dutta.	G. M. S. Udaimandir.
23.	„ Kesarsingh.	G. M. S. Nana.
24.	„ Hiralal.	G. M. S. Vidhyashala.

परिशिष्ट ६

(कृपया प्रश्न संख्या ६१० का उत्तर देखिये)

टोंक डिस्ट्रिक्ट में उक्त वर्षों में निम्नांकित पार्टियों को ऋण रूप में दी गई धन-राशि का विवरण :

१. हाथ करघा विकास हेतु बुनकर सहकारी समितियों को दी गई धनराशि

जुलाहा उत्पादक सहकारी समिति, टोंक	१०,७५० रु०
लावा महावर बुनकर सहकारी समिति, लावा	२,६०२ रु०

२. छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु ऋण रूप में दी गई धनराशि

१. मेसर्स मदनलाल गीरीशंकर, निवाई	जिनिंग फैक्ट्री	७,००० रु०
२. मैसर्स मोहम्मद उसमान	बीड़ी फैक्ट्री	३,००० रु०
३. भारत प्रिंटिंग प्रेस, टोंक	प्रेस	५,००० रु०
४. श्री खलीलुल रहमान, टोंक	फर्नीचर	५,००० रु०
५. श्री रशीद खां, टोंक	साइकिल पैडल, सीट इत्यादि	२,००० रु०
६. राष्ट्रीय फरनीचर उत्पादक सहकारी समिति लि०, टोंक	फरनीचर	७,००० रु०
७. मालपुरा उत्पादक सहकारी समिति लि०, मालपुरा		५,००० रु०
		४७,६५२ रु०

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण शुक्रवार, दिनांक १४ मार्च, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३५५९	३	शिक्षा को बढ़ाने	शिक्षा को बढ़ाने के
३५६०	३	प्रथम संचालक	पृथक संचालक
३५६२	६	मन्त्री जन सम्पर्क विभाग	मन्त्री, जन सम्पर्क विभाग
३५६५	अन्तिम से ३ री	पलिस स्टेशन, सिणदरी	पुलिस स्टेशन सिणदरी
३५६६	१७	केवल दरियांब रामद हुई	केवल दरियां बरामद हुई
३५६८	२८	put ean nd to	put an end to
३५८०	५	केप्स के एक लख	केप्स के एक लाख
,,	२१	उद्योगों में समुन्नित हो	उद्योगों में समुन्नति हो
३५८४	५	Yes p!eae	Yes please
३५८५	अन्तिम से ६ वीं व ४ थी	बसेरी	बसेडी
३५८९	८	not been seleoted	not been selected
३५९३	२१	इन अनप्रेसिडेन्टेड	इन अनप्रिसिडेन्टेड
३५९५	२२	श्री जगदीशप्रासाद माथुर	श्री जगदीशप्रसाद माथुर
३६०४	१६	सम्बन्ध में क्या कर	इस सम्बन्ध में क्या कर
३६०६	२३	४. मेसर्स केमिल लाइम स्टोन	४. मेसर्स केमिकल लाइम स्टोन
३६०७	३	४. केमिल लाइम	४. केमिकल लाइम
३६११	११	the rules cash from	the rules to take cash from
,,	२४	on a provious occaion	on a previous occasion
३६१२	अन्तिम से ७ वीं	श्री पूनमचद्द बिश्नोई :	श्री पूनमचन्द बिश्नोई
३६१२	,, ,, ५ वीं	इस प्रश्न से कन्सर्ड	इस प्रश्न से कन्सर्न्ड
३६१४	शीर्ष पंक्ति	–१४ माच, ५८–	–१४ मार्च, ५८–
,,	५	मेवाड़ भील कॉप्स	मेवाड़ भील कॉर्प्स
,,	२०	लिजिये।	लीजिये
,,	अन्तिम पंक्ति	सुन लिजिये।	सुन लीजिये
३६१७	२	राशी का विवरण	राशि का विवरण
,,	[illegible]	सवा न पूछेगे तो	सवाल पूछेंगे तो
२६२०	शीर्ष पंक्ति	तारंकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३६२१	अन्तिम से ३ री-२ री	Yes. Sir.	Yes, Sir.
३६२२	८	seat of th	seat of the
३६२४–२५	शीर्ष पंक्ति	–१४ माच, ५८–	–१४ मार्च, ५८–

१	२	३	४
३६२७	७	कानूनी कार्यवाही	कानूनी कार्यवाही
,,	१०	कर दिया कि आनाज	कर दिया कि अनाज
३६३०	१७	इस बात का कि	इस बात का है कि
३६३४	शीर्ष पक्ति	–१३ मार्च, ५८–	–१४ मार्च, ५८–
३६३८	अन्तिम से ८ वीं	बड़े बड़े फक्शन्स इस	बड़े बड़े फंक्शन्स इस
३६४०	२२	बड़ी बड़ी डकैतिया	बड़ी बड़ी डकैतियां
,,	अन्तिम से ५ वीं	भ्यवस्था बनी है	अव्यवस्था बनी है
३६४२	२४	बास्तव में जो	वास्तव में जो
,,	अन्तिम पंक्ति	(1)	(घंटी)
३६४४	४	किस कार से	किस प्रकार से
३६४६	अन्तिम से ६ ठी	इससे ?ाष्ट जाहिर	इससे स्पष्ट जाहिर
३६४८	६	बड़े आदमिदों के	बड़े आदमियों के
३६५०	१४	वह एक क्षेत्री की नहीं	वह एक क्षेत्र की नहीं
,,	१८	बराबर रास्थान सरकार	बराबर राजस्थान सरकार
३६५४	१६	पहाड़ों से गिरा हुआ	पहाड़ों से घिरा हुआ
,,	२५	क्योंकि गावों से	क्योंकि गांवों से
३६५६	१४	to make provsion for	to make provision for
३६६०	५-६	miss-understood	mis-understood
,,	अन्तिम से ६ ठी	Morover, Sir,	Moreover, Sir,
३६६२	६	taxes s may be	taxes as may be
,,	७	be levi d,	be levied,
,,	८	that the burded	that the burden
,,	१२	not be opposen	not be opposed
,,	२३	and onr owin	and our own
,,	अन्तिम से २'री	......them to look	it is open for them to look
३६६३	५	of our proprties	of our properties
३६६४	७	Deprtmental Heads	Departmental Heads
३६६५	४	evidnce of any	evidence of any
३६६६	अन्तिम से ६ ठी	इन बातो के	इन बातों के
३६८५	२४	चूंकी	चूंकि
३६८८	१९	या एम. एल.	या एम. एल. एज़.
३६८९	१९	उन्हें जमीन नह	उन्हें जमीन नहीं
३६९०	९	से हु।	से हुआ।
३६९९	अन्तिम से ८ वीं-७ वीं	रीलिज़ कराने के बारे में	रिलीज़ कराने के बारे में

१	२	३	४
३६९९	,, ३ री	रीलिज़ ऑर्डर्स जस्ट थे	रीलीज़ ऑर्डर्स जस्ट थे
३७००	अन्तिम से ७ वीं	The Hon'ble Mihister	The Hon'ble Minister
,,	अन्तिम पंक्ति	the filebefore the	the file before the
३७०२	३	है ि यते से	हैसियत से
,,	अन्तिम पंक्ति	मालम हो जाएगा	मालूम हो जाएगा
३७०३	१६	not openf or	not open for
,,	२७	Act has been been passed	Act has been passed
३७०४	१७	दामोदरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
,,	२१	इस प्रात के	इस प्रान्त के
३७०५	अन्तिम से ३ री-२ री	सरकारी मुलजिम के प्रति	सरकारी मुलाजिम के प्रति
३७०६	१७	उनकी टीक हो सके	उनकी ठीक हो सके
,,	२४	उहोंने आपके	उन्होंने आपके
३७०७	अन्तिम से ६ टी	एक सदस्यी	एक सदस्यीय
,,	,, ५ वीं	नियुक्ति कर	नियुक्त कर
,,	,, ४ थी	ही एक मत्र	ही एक मात्र
३७०९	२०	कानूनी जिम्मेदारी	कानूनी जिम्मेदारी
३७१३	११	उसी क्लक्टर को	उसी कलेक्टर को
३७१४	२७	अलॉटमेंट अनक्युपाइड लैण्ड	अलॉटमेंट अनऑक्युपाइड लैण्ड
३७१५	१७	क्लेक्टर सहाब	कलेक्टर साहब
,,	अन्तिम से ७ वीं	कसूं ।	सकूं ।
३७१८	,, ७ वीं	वह मुझे मालुम	वह मुझे मालूम
३७१९	४	यह गवनमेंट सर्विसेज़	यह गवर्नमेन्ट सर्विसेज़
,,	२१	पिछले वर्षा में	पिछले वर्षों में
३७३०	अन्तिम से ६ वीं	डेवलपमेंट वर्क्स	डेवलपमेंट वर्क्स
३७३१	,, २ री	बिल्ड कर रहे हे	बिल्ड कर रहे हैं
३७३२	२०	अपने एफटर्स से	अपने एफर्ट्स से
३७३३	शीर्ष	[३३३३	[३७३३
३७३५	२ व ७	डेवलप	डेवलप
,,	१७	केवल तथ्य	केवल तथ्य
३७३६	२४	गवर्नमेन्द ऑफ	गवर्नमेन्ट ऑफ
,,	अन्तिम पंक्ति	इम्प्रवमेन्ट की	इम्प्रूवमेन्ट की
३७३८	४	यद दिलाई गई	याद दिलाई गई
,,	६	और बी निर	और बीकानेर
,,	११	करना चहता हूं	करना चाहता हूं

Page No.123

१	२	३	४
३७३६	१८	स्वाभ विक तौर	स्वाभाविक तौर
३७४२	१४	**श्री मोहनलाल सुखड़िया :**	**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**
३७४३	अन्तिम से २ री	वे तो ला मोहल्ला	वे तो ला–मोहल
३७४४	६	दूसरा ही दृष्टीकोण	दूसरा ही दृष्टिकोण
,,	१०	तो अधक उचित	तो अधिक उचित
,,	२३	देता हूँ हालांकि	देता हूँ हालांकि
,,	अन्तिम पंक्ति	परम्परा को देखेते हुए	परम्पराओं को देखते हुए
३७४६	२१	के लए भी	के लिए भी
,,	२५	कर गुजरू तो	कर गुजरू तो
३७५१	२ व ४	आथिक स्थिति	आर्थिक स्थिति
,,	१८	उसमें गावों के लिए	उसमें गांवों के लिए
३७५२	अन्तिम पंक्ति	तो आंप हमें	तो आप हमें
३७५४	१	(श्री हरीभाऊ उपाध्याय)	(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)
३७५६	१८–१६	just stanting with	just stating with
३७६२	१०	खुद ही समहत थे।	खुद ही सहमत थे।
,,	२६	**श्री मदनसिह :**	**श्री मदनसिंह :**
३७६५	२७–२८	कहना सही है.। कि	कहना सही है कि
३७६७	३	(तृतीय वाचन पर विचार-विमर्श पारित)	(तृतीय वाचन पर विचार-विमर्श एवं पारित)
३७६८	शीर्ष पंक्ति	जराजस्थान विक्रय कर	राजस्थान विक्रय कर
,,	३	सही ढग नहीं है।	सही ढंग नहीं है।
३७७२	१४	सड़क निर्माण।।	सड़क निर्माण।
३७७२	२४	हेवी व्हीकल। अलाउन्स।	हेवी व्हीकल अलॉउन्स।
३७७७	१७ आइटम २	श्री गगाविशन	श्री गंगाकिशन
३७८२	२०	Withess......II	Witness II
३७८३	३	**मिडलि स्कूल।**	**मिडिल स्कूल**
,,	७ आइटम नं० १	२. पुराबा, खेड़ा।	२. पुराबाईखेड़ा।
,,	२१ आइटम नं० १	१६. बन्दबारेटा	१६. बन्दबारेठा।
३७८५	शीर्ष पंक्ति	३६८५	३७८५
,,	६	जुल हा उत्पादक सहकारी	जुलाहा उत्पादक सहकारी